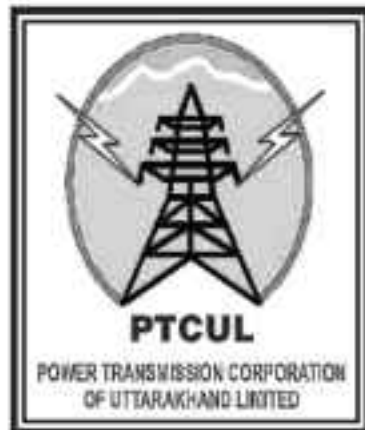


वार्षिक आख्या 2022-23



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

(An Undertaking of Government of Uttarakhand)

Corporate & Registered Office

Vidyut Bhawan, Near ISBT Crossing, Saharanpur Road,

Majra, Dehradun-248001 (U.K.)

Website : www.ptcul.org

CORPORATE ID : U40101UR2004SGC028675



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Directors on the Board of Directors of PTCUL as on 31.03.2023

Chairperson

Smt. Radha Raturi, I.A.S

Managing Director

Shri P.C. Dhyani

Director

Smt. Manisha Panwar
Shri R.M. Sundaram
Shri Pankaj Kumar Pandey
Dr. Ahmed Iqbal
Shri Neeraj Kumar Tamta
Shri P.C. Dhyani
Shri Sudhakar Badoni
Shri Sandeep Singhal
Shri Anil Kumar

Independent Director

Shri N. Ravishanker, IAS (Retd.)
Shri R.P. Sasmal

Company Secretary

Shri Arun Sabharwal

Statutory Auditor

Sanjay Dhingra & Associates
Chartered Accountant (FRN: 0511011C)



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

31.03.2023 को पिटकुल के निदेशक मण्डल के निदेशक

अध्यक्ष

श्रीमती राधा रतूड़ी, आई.ए.एस

प्रबन्ध निदेशक

श्री पी. सी. घ्यानी

निदेशक

श्रीमती मनीषा पंवार
श्री आर.एम. सुन्दरम
श्री पंकज कुमार पाण्डेय
श्री अहमद इकबाल
श्री नीरज कुमार टन्टा
श्री पी. सी. घ्यानी
श्री सुधाकर बड़ोनी
श्री संदीप सिंघल
श्री अनिल कुमार

स्वतन्त्र निदेशक

श्री एन. रविशंकर, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त)
श्री आर.पी. सन्नल

कंपनी सचिव

श्री अरुण रामरवाल

लेखा परीक्षक

संजय दीगरा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट (एफ.आर.एनः 0511011सी)



Sanjay Dhingra & Associates

Chartered Accountants

M.I.G.-8, Avas Vikas
Opp. Mohan Pandey Nursing Home
Delhi Road, Saharanpur
E-mail- vkgupta97@gmail.com
Phone: +91-9528310700

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To The Members of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited

Report on the Audit of the Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2023, and the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Cash Flows and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2023 and its profit (including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. The Title Deeds of Land were not produced for our verification and therefore we were unable to comment on the ownership status thereof.
2. Non-reconciliation of the amounts receivable from suppliers/ contractors/ employees/ other parties and amounts due to suppliers/ contractors/ employees/ other parties incorporated in the books of the company as on 01.06.2004. The impact of the same is not ascertainable.
3. In the absence of availability of relevant records with respect to property, plant and equipment pertaining to individual assets, asset wise bifurcation and charging of depreciation on property plant and equipment of existing projects as on 1st April, 2016 is not in the manner, as prescribed by UERC Regulation 2015 the impact of same could not be ascertained.
4. Inclusion of Non-moving and Obsolete stocks in the value of inventory resulting in over statements of current assets and profit for the period. The impact of the same is not ascertainable.



संजय ढींगरा एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

M.I.G.-8, Avas Vikas
Opp. Mohan Pandey Nursing Home
Delhi Road, Saharanpur
E-mail- vkgupta97@gmail.com
Phone: +91-9528310700

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक (ऑडिटर) की रिपोर्ट

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय विवरणों का ऑडिट (लेखा-परीक्षा) किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक का बैलेंस शीट (तुलन-पत्र) के साथ-साथ लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह का विवरण और समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव का विवरण सहित, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के लिए आधार खंड में निर्दिष्ट जानकारी के अपूर्ण प्रकटीकरण को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी के लिए आवश्यक जानकारी देते हैं, और यह सभी जानकारी, कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के आलोक में आवश्यक तरीके से प्रदान किया गया है और यह कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (भारतीय लेखा मानक) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कंपनी की स्थिति और इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव के बारे में सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है।

योग्य राय के लिए आधार

1. भूमि का टाइटल डीड को हमारे सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसलिए हम उसके स्वामित्व की स्थिति पर टिप्पणी करने में असमर्थ थे।
2. आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/कर्मचारियों/अन्य पक्षों से प्राप्त राशियों और आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/कर्मचारियों/अन्य पार्टियों को देय राशियों का मिलान 01.06.2004 तक कंपनी की पुस्तकों में शामिल नहीं किया गया। इसलिए उसके प्रभाव को ज्ञात करना संभव नहीं है।
3. व्यक्तिगत परिसंपत्ति से संबंधित उपकरणों, संपत्ति, और संयंत्र के संबंध में प्रासंगिक अभिलेखों की उपलब्धता के अभाव में, संपत्ति, संयंत्र और मौजूदा परियोजनाओं के उपकरण पर संपत्ति-वार विभाजन और मूल्यहास की गणना 1 अप्रैल 2016 तक नहीं की गई है, जैसा कि यूईआरसी विनियम 2015 के आलोक में अनुशंसित है, इसलिए उसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।
4. इन्वेंट्री के मूल्य में नॉन-मूविंग (अचल) और अप्रचलित स्टॉक को शामिल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों और उस अवधि के लिए लाभ का अधिक विवरण प्राप्त होता है। उसका प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है।



5. In the absence of availability of relevant records with respect to impairment of property, plant and equipment as per Ind-AS 36 which may result in overstatements of fixed assets and profit for the period. We recommend management to enhance monitoring and appoint consultant for reporting of Ind-AS.
6. During the audit process, it has been observed that the company is using accounting software to record its transactions. However, the company using its software only for recording during the year accounting transaction. It appears that the company is utilizing an Excel sheet with an opening trial balance and subsequently adding accounting transactions throughout the year (from accounting software) to calculate the closing trial balance and prepare the final accounts. However the opening balances were verified in excel sheet, while preparation of annual accounts using the excel sheets. This manual intervention in the books of accounts raises concerns regarding the accuracy of the financial information presented in the company's records. As auditors, we recommend that the company reassesses its accounting procedures and consider implementation a more automated and integrated system. This would help ensure the accuracy and reliability of the financial information and minimize the reliance on manual interventions and calculations. The audit report highlights an important issue regarding the trial balance. It appears that the subhead balances are being consolidated into main heads, which, in turn, are reflected in the final accounts. However, some subhead balances show opposite values compared to the corresponding main head balance. As per the management this is due to non reconciliation as already mentioned in point no. 2. This needs to be thoroughly checked and verified by the company while implementing of automated and integrated system.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act ("SA's) except as stated above. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements' section of our report.

We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements for the financial year ended March 31, 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.



5. Ind-AS 36 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की क्षति के संबंध में प्रासंगिक रिकॉर्ड की उपलब्धता के अभाव में, जिसके परिणामस्वरूप अवधि के लिए अचल संपत्तियों और लाभ का अधिक विवरण हो सकता है। हम प्रबंधन को Ind-AS की रिपोर्टिंग के लिए निगरानी बढ़ाने और सलाहकार नियुक्त करने की सलाह देते हैं।
6. ऑडिट प्रक्रिया के दौरान, यह देखा गया है कि कंपनी अपने लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। हालांकि, कंपनी अपने सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल वर्ष के दौरान लेखांकन लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी प्रारंभिक ट्रायल बैलेंस के साथ एक एक्सेल शीट का उपयोग कर रही है और बाद में समापन ट्रायल बैलेंस की गणना करने और अंतिम खाते तैयार करने के लिए पूरे वर्ष (अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से) लेखांकन लेनदेन जोड़ रही है। हालांकि प्रारंभिक शेष को एक्सेल शीट में सत्यापित किया गया था, जबकि वार्षिक खातों की तैयारी एक्सेल शीट का उपयोग करके की गई थी। खातों की पुस्तकों में यह मैनुअल हस्तक्षेप कंपनी के रिकॉर्ड में प्रस्तुत वित्तीय जानकारी की सटीकता के बारे में विंता पैदा करता है। लेखा परीक्षकों के रूप में, हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी अपनी लेखांकन प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करे और कार्यान्वयन को अधिक स्वचालित और एकीकृत प्रणाली पर विचार करे। इससे वित्तीय जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और मैनुअल हस्तक्षेप और गणना पर निर्भरता कम होगी। ऑडिट रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपशीर्ष शेषों को मुख्य शीर्षों में समेकित किया जा रहा है, जो बदले में, अंतिम खातों में परिलक्षित होते हैं। हालांकि, कुछ उपशीर्ष शेष संबंधित मुख्य शीर्ष संतुलन की तुलना में विपरीत मान दिखाते हैं। प्रबंधन के अनुसार ऐसा मिलान न होने के कारण है जैसा कि बिंदु संख्या 2 में पहले ही बताया गया है। स्वचालित और एकीकृत प्रणाली को लागू करते समय कंपनी द्वारा इसकी पूरी तरह से जांच और सत्यापन किया जाना चाहिए।

हमने ऊपर वर्णित तथ्यों को छोड़कर अधिनियम की धारा 143(10) ("SA's") के तहत निर्धारित लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की। इन मानकों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को आगे हमने अपने रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों खंड में वर्णित किया है।

हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("ICAI") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट (लेखा-परीक्षा) के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकता हैं और इसके तहत बनाए गए नियम, का पालन किया है और हमने इन आवश्यकताओं और ICAI की आधार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य लेखा-परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले

हमारे पेशेवर निर्णय में मुख्य लेखा-परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में सनघ रूप में संबोधित किया गया था और उस पर अपनी राय बनाने में हमने इन मामलों पर अलग से राय नहीं दिया है।

लेखा मानक 701 के अनुसार, प्रमुख लेखा-परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग के दौरान, मुख्य लेखा-परीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते, क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।



Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual report, but does not include the statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the state of affairs (financial position), profit/loss and other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the and other accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities, selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent, and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could



वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में निहित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का निश्चित निष्कर्ष नहीं निकालते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा विचार करने की है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ गंभीर रूप से असंगत है या अन्यथा गंभीर रूप से गलत बताई गई है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का विवरण महत्वपूर्ण रूप से गलत है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी और वित्तीय विवरणों की निगरानी करने वालों का दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ/हानि, वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव के बारे में अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और घोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और इस्तेमाल; ऐसे उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यरत पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, ताकि एक सही और निष्पक्ष दृश्य पेश किया जा सके, जो घोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले गंभीर गलत विवरण से मुक्त हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल एक कार्यशील संस्था के रूप में परिचालन को जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, उन्नतिशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिए कार्यशील प्रतिष्ठान आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल या तो कंपनी को बंद करने या परिचालन रोकने का इरादा नहीं रखते हैं या उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प शेष नहीं रहता है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण गंभीर गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह घोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और अपनी राय सहित एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया ऑडिट (लेखा-परीक्षा) हमेशा गंभीर गलत विवरण का पता लगाएगा। व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से गलत विवरण घोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है।



reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work, and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding Independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in



और वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित करते हैं।

SAs के अनुसार ऑडिट (लेखा-परीक्षा) के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और पूरे ऑडिट (लेखा-परीक्षा) में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिमों के लिए लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं का निर्माण और निष्पादित करते हैं और ऑडिट (लेखा-परीक्षा) साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली गंभीर गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम वास्तव में त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से कहीं अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर धुक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा-परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और क्या ऐसे नियंत्रणों का परिचालन पर कोई प्रभाव पड़ता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उन्नतिशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य के आधार पर पता लगते हैं कि – क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई गंभीर अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक उन्नतिशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करते रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक गंभीर अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट (लेखा-परीक्षा) साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी उन्नतिशील व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं और पता लगते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

मौलिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय भी प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट (लेखा-परीक्षा) कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक मौलिकता और गुणात्मक कारकों और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट (लेखा-परीक्षा) के नियोजित दायरे और समय और एवं महत्वपूर्ण ऑडिट (लेखा-परीक्षा) निष्कर्ष सहित ऑडिट (लेखा-परीक्षा) के दौरान पहचाने गए आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी के बारे में शासन के लिए जिम्मेदार प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को स्वतंत्रता के संघ में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन में तैयार किया गया एक अधिकथन भी देते हैं उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और एवं अन्य मामलों को पर संवाद करते हैं जिसके लिए जो हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुझाव उपायों को प्रभावित करने वाला माना जाता है पर उचित रूप से विचार किए जा सकते हैं, और जहां संबंधित सुझाव उपाय लागू हो।

शासन के प्रभारी लोगों के ध्यान में लाए गए मामलों से, हम उन मामलों की पहचान करते हैं जो वर्तमान अवधि के लिए वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक थे और इसलिए, प्रमुख लेखा-परीक्षा महत्वपूर्ण हैं। हम अपने लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, सिवाय इसके कि जब कानून या विनियम मामले के



our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure I" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. As required by the direction issued by the Office of the Comptroller & Auditors General of India under Section 143(5) of the Act, we give in the Annexure-II, a statement on the matters specified in the directions.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) Except the matter described in Basis for Qualified Opinion, we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except as stated in Basis for Qualified Opinion;
 - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
 - (c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account except for effects of matters described in the Basis for Qualified Opinion;
 - (d) Except for effects of the matter described in Basis for Qualified Opinion, In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended;
 - (e) In terms of Notification No. G. S. R. 463(E) dated 05th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, the provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of directors are not applicable to the Company.
 - (f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure III" to this report;
 - (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has no pending litigation which would impact its financial position except as disclosed under contingent liabilities in its financial statements. Refer Note 33 to the financial statements;
 - ii. The Company has long-term contracts as at March 31, 2023 for which there were no material foreseeable losses. The Company does not have long term derivative contracts as at March 31, 2023.



सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबधित करते हैं, या जब, अत्यंत दुर्लभ मामलों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारे लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणाम इस तरह के संघार के जनहित लाभों से अधिक होंगे।

अन्य कानूनी और न्यायिक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम "परिशिष्ट I" में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, हम परिशिष्ट-II में निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - a) बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में वर्णित मामले को छोड़कर हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारे ऑडिट (लेखा-परीक्षा) के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे, सिवाय इसके कि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में कहा गया है;
 - b) हमारी राय में, कंपनी कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को बनाए रखा गया है, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - c) बैलेंस शीट (तुलन-पत्र) अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इस रिपोर्ट में उल्लेखित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण संबंधित खाते की पुस्तकों के साथ सहमति में है, केवल योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर;
 - d) क्वालिफाइड ओपिनियन के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों, व कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों, 2015, यथासंशोधित के नियम 7 के साथ पठित नियम का अनुपालन करते हैं।
 - e) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
 - f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस रिपोर्ट के "परिशिष्ट III" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें;
 - g) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, संशोधित, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - i. कंपनी के पास कोई लघित मुकदमेबाजी नहीं है जो इसके वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों के तहत प्रकट किए जाने के अलावा इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे। वित्तीय विवरणों के लिए नोट 33 देखें;
 - ii. 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के पास दीर्घकालिक अनुबंध हैं, जिसके लिए कोई भौतिक अनुमानित नुकसान नहीं था। 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के पास दीर्घकालिक डेरिवेटिव अनुबंध नहीं हैं।



- iii. There were no amounts, which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the company during the year ended March 31, 2023.
- iv. a. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall:
- directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Company or
 - provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- b. The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any other persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall:
- directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever ("Ultimate Beneficiaries") by or on behalf of the Funding Party or
 - provide any guarantee, security or the like from or on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and
- c. Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations, under sub clause (iv)(a) and (iv)(b) contain any material mis- statement.
- v. The dividend declared or paid during the year by the Company is in compliance with Section 123 of the Act.

For Sanjay Dhingra & Associates
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.: 0511011C

CA Vijay Kumar Gupta
Partner
Membership No.: 414736
UDIN: 23414736BGXZYQ5080

Place: Dehradun, Uttarakhand
Date: 15.07.2023



- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- iv. a. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) कोई धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है। या संस्थाएँ, जिनमें विदेशी संस्थाएँ ('मध्यास्थ') शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ:
 - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके ('अंतिम लाभार्थी') में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार या निवेश करें या
 - अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई भी गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें।
- b) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियों') सहित किसी भी अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी:
 - सीधे या परोक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके ('अंतिम लाभार्थी') में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार या निवेश करें या
 - अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना; और
- c) इस तरह की ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, जैसा कि परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें वि. वास हो कि उप खंड (iv)(a) और (iv)(b) के तहत अभ्यावेदन में कोई सामग्री गलत है - कथन।
- v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभार्श अभिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

कृते संजय दीपरा एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 0511011C

सी.ए. विजय कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या 414736
UDIN: 23414736BGXZYQ5080

स्थान : देहरादून, उत्तराखण्ड
तिथि : 15.07.2023

**ANNEXURE -I TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the members of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited of even date)

- (i) (a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment.

(B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.

(b) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has a regular programme of physical verification of its Property, Plant and Equipment by which all property, plant and equipment are verified in a phased manner over a period of three years. In accordance with this programme, certain property, plant and equipment were verified during the year. In our opinion, this periodicity of physical verification is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. No material discrepancies were noticed on such verification.

(c) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the title deeds of immovable properties (other than immovable properties where the Company is the lessee and the lease agreement are duly executed in favor of the lessee) disclosed in the financial statements are held in the name of the Company as on the balance sheet date except the following where the title deeds are not in the name of the Company:

Relevant Line Item in the Balance Sheet	Description of item of Property	Area in Hectare	Gross Carrying Value (Rs.)	Title Deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter/director or relative of Promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date/year	Remarks
Property, Plant and Equipment - Land Freehold	220KV Sub-station Pantnagar	9.940	Not known	Not available	No	2005	Substation land is handed over by SIIOCUL to PTCUL in year 2005 in compliance of Uttarakhand Government orders. However, GO or land handing over papers could not be traced in SIIOCUL or PTCUL so far. As per Regional Manager, SIIOCUL, Pantnagar no Land Lease Deed has been executed till date.



परिशिष्ट-1 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

(पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैरा 1 में संदर्भित)

(i) (a) (A) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(B) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सत्यापित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ संपत्तियाँ, संयंत्रों और उपकरणों का सत्यापन किया गया। हमारी राय में, भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए उचित है। इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई।

(c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख (अचल संपत्तियों के अलावा जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को विधिवत निष्पादित किया गया है) पट्टेदार के पक्ष में) वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण तुलन पत्र की तारीख को कंपनी के नाम पर धारित है, निम्नलिखित को छोड़कर जहाँ शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं:

बैलेंस शीट में रीलेबेंट लाइन आइटम	संपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	संकलन वजन मूल्य (रु.)	शीर्षक विलेख के नाम पर आयोजित	यदि स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक निदेशक है या प्रवर्तक/निदेशक का रिश्तेदार है या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख/वर्ष से धारित है	टिप्पणियाँ
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण - भूमि (ग्रोहोल्ड)	220 कोवी सब स्टेशन पतनगर	9.940	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	2005	सबरदेशन की भूमि उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों के अनुपालन में वर्ष 2005 में सिडकुल द्वारा पिटकुल को सौंप दी गई है। हालाँकि, अब तक सिडकुल या पिटकुल में GO या भूमि सौंपने के कामकाज का पता नहीं लगाया जा सका है। क्षेत्रीय प्रमुख सिडकुल, पतनगर के अनुसार आज तक कोई भूमि पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है।



132KV Sub-station Rudrapur	1.688	Not known	Not available	No	2005	Land has been handed over to PTCUL by Irrigation Department in the year 2005. Irrigation Department, Rudrapur was approached for land record but they have informed (verbally) that status of land is Najool and land is not in the name of Irrigation Department, Rudrapur either. In revenue department records, 6.431 Hectare land is entered with the name 'PowerHouse' in non ZA category.
132KV Sub-station Kichha	2.676	Not known	Not available	No	Not known (More than 30 Years)	Land record were obtained from Tehsil Kichha and it is found that land is in the name of PWD. No records of handing over / transfer of land from PWD to UPSEB/UPCL/PTCUL have been found at Tehsil PWD or UPCL/PTCUL offices.
132KV Sub-station Ekdeco, Sitarganj	4.117	Free of Cost	Not available	No	13.12.2007	Substation land is handed over by SIIDCUL to PTCUL free of cost in year 2007 in compliance of Uttarakhand Government orders. However, the GO or land over papers could not be traced in SIIDCUL or PTCUL so far.
132KV Sub-station Kathgodam	-	Not known	Not available	No	Not known	Title Deed is not available. Currently the land is being used by UPCL & PTCUL.
132KV Sub-station Almora	12.166 (approx)	Not known	Executive Engineer - UP State Electricity Board (UPSEB)	No	21.09.1972	From the time of separation of the state from Uttar Pradesh, the property continued to be held in the name of erstwhile UPSEB and the same got transferred to PTCUL during the transfer scheme. Therefore, till the finalization of Transfer Scheme, the title deeds of the property shall be continued to be held in the name of the respective person.
220KV Sub-station Almora	2.066	Not known	Executive Engineer - Transmission Division Haldwani	No	14.03.1997	
Sub-station Land (132 KV S/S Pithoragarh)	1.866	144.007	Executive Engineer Transmission & Construction Division Haldwani	No	26.09.1972	
Substation Land (132 KV S/S Ranikhet)	2.440	620,000	Executive Engineer Transmission - UP State Electricity Board (UPSEB)	No	19.04.1991	



पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

132 कंटी सब-स्टेशन रुद्रपुर	1.688	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	2005	वर्ष 2005 में सिंचाई विभाग द्वारा पिटकुल की भूमि लीपी गई है। सिंचाई विभाग, रुद्रपुर से मू-अमिलेख के लिए संबंध किया गया था, लेकिन उन्होंने (मौखिक रूप से) बताया कि भूमि की स्थिति नजूल है और भूमि सिंचाई विभाग, रुद्रपुर के नाम पर नहीं है। राज्य विभाग डॉ. अमिलेखों में गैर जेडए स्कोपी में 6.431 हेक्टेयर भूमि विद्युत गृह के नाम से दर्ज है।
132 कंटी सब-स्टेशन किच्छा	2.878	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं (30 वर्ष से अधिक)	राष्ट्रीय विच्छा से मू-अमिलेख प्राप्त किया गया और पाया गया कि भूमि जल निर्माण विभाग के नाम से है। लोक निर्माण विभाग से यूटीएसईबी/यूटीसीएल/पिटकुल को जाने से रोकने/संरक्षित करने का कोई रिकॉर्ड राष्ट्रीय, पीडब्ल्यूडी या यूटीसीएल/पिटकुल कार्यालयों में नहीं मिला है।
132 कंटी सब-स्टेशन एन्डोरे सिद्धार्थगंज	4.117	बिना किसी भूमि के	उपलब्ध नहीं है	नहीं	13.12.2007	उत्तराखण्ड सरकार के आदेशों के अनुसार में वर्ष 2007 में सबस्टेशन की भूमि पिटकुल द्वारा पिटकुल को निष्पक्ष लीपी गई है। हालांकि, अभी तक पिटकुल या सिंचाई में GO या लैंड और पैपर्स का पता नहीं लगाया जा सका है।
132 कंटी सब-स्टेशन काठगोदाम	-	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	टाइटल कीम उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में भूमि का उपयोग यूटीसीएल और पिटकुल द्वारा किया जा रहा है।
132 कंटी सब-स्टेशन अलमोड़ा	12.166 (लगभग)	ज्ञात नहीं है	अविश्वसनीय अभियंता - उ0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड	नहीं	21.09.1972	
220 कंटी सब-स्टेशन अलमोड़ा	2.086	ज्ञात नहीं है	अविश्वसनीय अभियंता - परेषण खप्प हल्द्वानी	नहीं	14.03.1997	उत्तर प्रदेश से राज्य के अलग होने के समय से, संघीय तत्कालीन यूटीएसईबी के नाम पर बनी रही और स्वतंत्रता योजना के दौरान इसे पिटकुल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए, स्थानांतरण योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक, संघीय के शीर्षक विलेख संबंधित व्यक्ति के नाम पर बने रहेंगे।
सब-स्टेशन भूमि (132 कंटी एस/एस पिछोरागढ़)	1.866	144.007	अविश्वसनीय अभियंता - परेषण एवं निर्माण खप्प हल्द्वानी	नहीं	26.09.1972	
सब-स्टेशन भूमि (132 कंटी एस/एस रानीखेड़ा)	2.440	620.000	अविश्वसनीय अभियंता - परेषण - उ0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड	No	19.04.1991	



	Substation Land (220 KV S/S Jafarpur)	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land records of 220 substation Jafarpur are available with Civil Project wing, Kashipur. They are being submitted by Civil Project wing, Kashipur as informed by Executive Engineer (Civil Project), PTCUL, Kashipur.
Property Plant and Equipment - Land Freehold	O&M Circle Office, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	Title Deed/Registry of the Asset is not available with O&M Division, Roorkee, Circle Office O&M Roorkee and O&M Garhwal Zone, Roorkee. Currently, the land is being used by PTCUL.
	220 KV O&M Division Roorkee, 33 KV Sub-station No. 6, Right river Bank, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	No records available in the Divisional Office, Executive Engineer Civil Division, Roorkee also informed that Registry/Records are not available in their office.
	220/132KV Sub-station, Ramnagar, Roorkee and 132 KV Sub-station Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	No records available in the Divisional Office, Executive Engineer Civil Division, Roorkee also informed that Registry/Records are not available in their office.
	132 KV Sub-station, Laksar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	No records available in the Divisional Office, Executive Engineer Civil Division, Roorkee also informed that Registry/Records are not available in their office.
	132 KV Sub-station, SIDCUL, Haridwar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	Executive Engineer (O&M) Division, Roorkee, Civil Division Roorkee & Project Civil Dehradun informed that the desired information is not available in their office.
	132 KV Sub-station, Jwalapur	Not known	Not known	Not available	No	Not known	Executive Engineer (O&M) Division, Roorkee, Civil Division Roorkee & Project Civil Dehradun informed that desired information is not available in their office.
	132 KV Sub-station, Bhupatwala	Not known	Not known	Not available	No	Not known	Executive Engineer (O&M) Division, Roorkee, Civil Division Roorkee & Project Civil Dehradun informed that desired information is not available in their office.
	132 KV Sub-station, Koldwar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	Executive Engineer (O&M) Division, Roorkee, Civil Division Roorkee & Project Civil Dehradun informed that desired information is not available in their office.
	132 KV Sub-station, Bhagwanpur	Not known	Not known	Not available	No	Not known	Only transfer letter of this property is available. Executive Engineer, Civil Division, Roorkee informed that Registry/Records of details related to the sub-station is not available in their office.



पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

	सब-स्टेशन भूमि (220 केवी एस/एस जाजरपुर)	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	220 सबस्टेशन जाजरपुर का भूमि रिजर्व सिविल प्रोजेक्ट दिग्, काशीपुर के पास उपलब्ध है। अधिशासी अभियंता (सिविल परियोजना), पिटकुल, काशीपुर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्हें सिविल प्रोजेक्ट दिग्, काशीपुर द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
संपत्ति संबंध और उपकरण - भूमि धोहील	ओ एच एम अंचल कार्यालय, रुड़की	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	ओ एच एम डिप्टीजन, रुड़की, सर्विल ऑफिस ओ एच एम रुड़की और ओ एच एम गढ़वाल जोन, रुड़की के पास हाइटल सीड/एसेट की रजिस्ट्री उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में भूमि का उपयोग पिटकुल द्वारा किया जा रहा है।
	220 केवी ओ एच एम डिप्टीजन रुड़की 33 केवी सब-स्टेशन मल ह. खट रिम बैग, रुड़की	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	जनमंडल कार्यालय में कोई अनिलेख उपलब्ध नहीं है। बताया गया है कि अधिशासी अभियंता सिविल मंडल, रुड़की की भी रजिस्ट्री/रिजर्व उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
	220/132 केवी सब-स्टेशन, रामनगर रुड़की और 132 केवी उपकरण, रुड़की	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	जनमंडल कार्यालय में कोई अनिलेख उपलब्ध नहीं है। बताया गया है कि अधिशासी अभियंता सिविल मंडल, रुड़की की भी रजिस्ट्री/रिजर्व उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
	132 केवी सब-स्टे न लक्ष्मर	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	जनमंडल कार्यालय में कोई अनिलेख उपलब्ध नहीं है। बताया गया है कि अधिशासी अभियंता सिविल मंडल, रुड़की की भी रजिस्ट्री/रिजर्व उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
	132 केवी सब-स्टे न सिद्धकुल, हरिद्वार	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	अधिशासी अभियंता (ओ एच एम) सभाग, रुड़की, सिविल सभाग रुड़की एवं प्रोजेक्ट सिविल देहरादून ने बताया कि उनके कार्यालय में खरित सूचना उपलब्ध नहीं है।
	132 केवी सब-स्टे न जालापुर	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	अधिशासी अभियंता (ओ एच एम) सभाग, रुड़की, सिविल सभाग रुड़की एवं प्रोजेक्ट सिविल देहरादून ने बताया कि उनके कार्यालय में खरित सूचना उपलब्ध नहीं है।
	132 केवी सब-स्टे न भुवावाला	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	अधिशासी अभियंता (ओ एच एम) सभाग, रुड़की, सिविल सभाग रुड़की एवं प्रोजेक्ट सिविल देहरादून ने बताया कि उनके कार्यालय में खरित सूचना उपलब्ध नहीं है।
	132 केवी सब-स्टे न कोटहार	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	अधिशासी अभियंता (ओ एच एम) सभाग, रुड़की, सिविल सभाग रुड़की एवं प्रोजेक्ट सिविल देहरादून ने बताया कि उनके कार्यालय में खरित सूचना उपलब्ध नहीं है।
	132 केवी सब-स्टे न भगवानपुर	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	इस संपत्ति का कोई स्थानांतरण पत्र उपलब्ध है। अधिशासी अभियंता, सिविल डिप्टीजन, रुड़की ने बताया कि उनके कार्यालय में सब स्टेशन से संबंधित विवरण की रजिस्ट्री/रिजर्व उपलब्ध नहीं है।



	400 KV Sub-station Rishikesh	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. In accordance with the documents available with the office, following the directives of letter no. 22-Field-15(2)/1971 (64)TPTM-2 dated 09.05.1972 of Animal Husbandry Section - 2, Uttar Pradesh Secretariat, Lucknow, the government transferred 26 Acres of land of Pashulok Farm to State Electricity Board for construction of 400 KV Substation. 2. The offices of 400 KV O&M Division, Rishikesh and 400/200 KV O&M Circle, Rishikesh and the offices under them do not have any details of the lease deed of the land of this property. 3. The offices of Superintendent Engineer (Civil), Dehradun / Executive Engineer (Civil) O&M Division, Roorkee do not have any lease deed related to the land of this property.
Property Plant and Equipment - Land Freehold	220 KV Sub-station, & 132 KV IDPL Rishikesh	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. In accordance with the documents available with the office and as per the annexed format of Director (Finance), IDPL, Head Quarter, Gurgaon, Haryana and Co. Secy. Cum. Chief Law Officer, Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (A Govt. of India Undertaking IDPL Complex, Dandamra, Gurgaon), the land is registered in the Registrar Office, Dehradun with number 2155/08 dated 30.04.1994. Vide which according to page no. 5 to 6, it is clear that that 65.28 Acre Land has been transferred to UPSEB in November 1972 for construction of Sub-station. 2. 400KV O&M Circle Rishikesh and 400/200 KV O&M Division, Rishikesh & offices under them do not have lease deed related to the Land of this property. 3. The offices of Superintendent Engineer Projects (Civil), Dehradun / Executive Engineer (Civil) / O&M Division, Roorkee do not have any lease deed related to the land of this property.
	132 KV Sub-station, Srinagar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. O&M Circle Srinagar (Garhwal), 400KV O&M Division Srinagar (Garhwal) & the offices under them do not have the lease deed / documents related to the land. 2. The offices of Superintendent Engineer (Civil), Dehradun / Executive Engineer (Civil) / O&M Division Roorkee do not have any lease deed / documents related to the land of this property.



	400 केवी सब-स्टेशन आशिके ।	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	1. कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, एक संख्या के निर्देशों का पालन करते हुए । 22-डी3-15(2) / 1971(54)/प0पा0-2 दिनांक 09.05.1972 वायुपलन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश अधिनियम, लखनऊ में शासन द्वारा एकलौकिक पत्रों की 26 एकड़ भूमि राज्य विद्युत बोर्ड को 400 केवी सबस्टेशन निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी है । 2. 400 केवी ओ एंड एम डिवीजन, अधिनियम और 400/200 केवी ओ एंड एम सर्कल, अधिनियम के कार्यालयों और उनके अधीन कार्यालयों के पास इस संपत्ति की भूमि के लीज बीड का कोई विवरण नहीं है । 3. अधीक्षण अभियंता (सिविल), देहरादून के कार्यालय/कार्यालयक अभियंता (सिविल) /ओ एंड एम डिवीजन, रुड़की के पास इस संपत्ति की भूमि से संबंधित कोई लीज बीड नहीं है ।
संचालन, संचालन और उपयोग - भूमि अधिनियम	225 केवी सब-स्टेशन और 132 केवी आई की पी एल आशिके ।	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	1. कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार और निदेशक (विता), आईडीपीएल, मुख्यालय, मुद्रागव, हरियाणा और कंपनी सचिव राह मुख्या विधि अधिकारी, के संसन् प्राप्त के अनुसार इतिहास द्वारा एक फार्मलिटिकल डिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम आईडीपीएल सोमेश्वर, दंडगंगा, मुद्रागव), भूमि रजिस्ट्रार कार्यालय, देहरादून में संख्या 2158/08 दिनांक 30.04.1994 के साथ फंजीकृत है । जिसमें पत्र नं. 5 से 6, यह स्पष्ट है कि उप-स्टेशन की निर्माण के लिए 65.28 एकड़ भूमि नवंबर 1972 में पूर्वीराईवी को हस्तांतरित की गई है । 2. 400केवी ओ एंड एम सर्कल अधिनियम और 400/200 केवी ओ एंड एम डिवीजन, अधिनियम और उनके अधीन कार्यालयों के पास इस संपत्ति की भूमि से संबंधित लीज बीड नहीं है । 3. अधीक्षण अभियंता (सिविल), देहरादून /कार्यालयक अभियंता (सिविल) /ओ एंड एम डिवीजन, रुड़की के कार्यालय में इस संपत्ति की भूमि से संबंधित कोई लीज बीड नहीं है ।
	132 केवी सब-स्टेशन श्रीनगर	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	1. ओ एंड एम सर्कल श्रीनगर (मद्रास), 400 केवी ओ एंड एम डिवीजन श्रीनगर (मद्रास) और उनके अधीन कार्यालयों के पास अभी भी संबंधित लीज बीड / दस्तावेज नहीं है । 2. अधीक्षण अभियंता (सिविल), देहरादून के कार्यालय/कार्यालयक अभियंता (सिविल) /ओ एंड एम डिवीजन, रुड़की के पास इस संपत्ति की भूमि से संबंधित कोई लीज बीड / दस्तावेज नहीं है ।



132 KV Sub-station, Sirdi	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. O&M Circle Srinagar (Garhwal), 400KV O&M Division Srinagar (Garhwal) & the offices under them do not have any documents related to the property. 2. The offices of Superintendent Engineer(Civil), Dehradun / Executive Engineer (Civil) / O&M Division Roorkee do not have any lease deed / documents related to the land of this property
220 KV Sub-station, Chambe	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. O&M Circle Srinagar & 400KV O&M Division Srinagar & Offices under them do not have the registry related to the land. However, the documents / Records related to the land are available.
220 KV Sub-station, Chambe	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. O&M Circle Srinagar & 400KV O&M Division Srinagar & offices under them do not have any documents related to the land of this property. 2. The offices of Superintendent Engineer (Civil), Dehradun / Executive Engineer (Civil) / O&M Division Roorkee do not have any documents related to the land of this property.
220 KV Sub-station, IIP, Harrawala, Dehradun	Not known	Free of Cost	Not available	No	Not known	Institute of Bharatiya Petroleum for the sub-institute in their Dehradun campus transferred the land for free of cost to PTCUL. MOU is available in office of Civil Wing (Project)
132 KV Sub-station, Majra, Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. Notification u/s 4:1702-VIII-(61-62), dated 15-11-62 & Published in U.P. Gazette dated 24-11-1962. 2. Notification u/s 6:606- H(XX)II-PA-151-H/62, dated 24-03-66 & Published in U.P. Gazette dated 02-04-1966 page 1899.
132 KV Sub-station, Bindal, Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	-
132 KV Sub-station, Pankul, Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	-

- (d) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not revalued its Property Plant and Equipment or intangible assets or both during the year.
- (e) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, there are no proceedings initiated or pending against the Company for holding any benami property under the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.



132 कवी सब-स्टेशन लिमटी	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	1. जो एंड एम सर्वेले बीनवर (गढ़वाल) 400 कवी जो एंड एम डिवाजन बीनवर (गढ़वाल) और लम्बो अवीन कम्पाउन्डों को पास संपत्ति से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। 2. अवैधान्त अभियंता (सिपित) देहलदून के कार्यालय/कार्यपालक अभियंता (सिपित)/ जो एंड एम डिवाजन कम्पाउन्डों के पास इस संपत्ति की भूमि से संबंधित कोई लीन बीन/दस्तावेज नहीं है।
220 कवी सब-स्टेशन समा	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	1. जो एंड एम सर्वेले बीनवर और 400 कवी जो एंड एम डिवाजन बीनवर और लम्बो अवीन कम्पाउन्डों में भूमि से संबंधित रजिस्ट्री नहीं है। हालांकि जमीन से जुड़े दस्तावेज/रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।
220 कवी सब-स्टेशन समा	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	1. जो एंड एम सर्वेले बीनवर और 400 कवी जो एंड एम डिवाजन बीनवर और लम्बो अवीन कम्पाउन्डों के पास इस संपत्ति की भूमि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। 2. अवैधान्त अभियंता (सिपित) के कार्यालय/देहलदून/कार्यपालक अभियंता (सिपित)/ओएएल संगठन कम्पाउन्डों के पास इस संपत्ति की जमीन संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है।
220 कवी सब-स्टेशन आई आई पी हरीवाला देहलदून	ज्ञात नहीं है	बिना किसी भूमि के	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	राज्यीय विद्युत् विभाग संस्थान ने अपने देहलदून परिसर में उप-संस्थान के लिए जमीन मुक्त में विद्युत् लाई को हस्तांतरित कर दी। सिविल विन (परीक्षण) के कार्यालय में एमआईए उपलब्ध है।
132 कवी सब-स्टेशन माजरा देहलदून	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	1. अधिनियम धारा 4-1702-VIII-(61-62), दिनांक 16-11-62 एवं 1980 राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 24-11-1962। 2. धारा 6-608-MXXXIII-PA-151-1462 के तहत अधिसूचना, दिनांक 24-03-66 और युनि राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 02-04-1966, पृष्ठ 1020।
132 कवी सब-स्टेशन बिन्दात, देहलदून	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	-
132 कवी सब-स्टेशन पुरकुल, देहलदून	ज्ञात नहीं है	ज्ञात नहीं है	उपलब्ध नहीं है	नहीं	ज्ञात नहीं है	-

(d) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने संपत्ति संयंत्र और उपकरण या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(e) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम 1988 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है, (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियम।



- (ii) (a) As informed, the inventory except for inventory in transit and stocks lying with third parties has been physically verified by the management/ outside agencies at reasonable intervals during the year. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the frequency of such verification is reasonable and procedures and coverage as followed by Management were appropriate. No discrepancies were noticed on verification between the physical stocks and the book records that were more than 10% in the aggregate of each class of inventory. Minor discrepancies noticed during physical verification were properly dealt within the books of account.
- (b) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been sanctioned working capital limits in excess of Rs. five crores in aggregate from banks on the basis of security of current assets.
- (iii) According to the information and explanation given to us, the Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnerships or any other parties. Accordingly, the requirement to report under clause 3(iii)(a), (iii)(b), (iii)(c), (iii)(d), (iii)(e) and (iii)(f) of the Order are not applicable to the Company.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has in respect of loans, investments, guarantees, and security complied with the provisions of section 185 and 186 of the Act, to the extent applicable.
- (v) The Company has not accepted any deposits or amounts which are deemed to be deposits from the public within the meaning of section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act. In respect of overdue earnest money deposits and security deposits, Management is of the view that overdue earnest money deposits and security deposits of suppliers/ contractors appearing in the books are in the nature of retention money for performance of contracts for supply of goods and services and accordingly, not to be treated as deemed deposits by virtue of amendment in rule 2, sub rule (1), clause (C) of the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules 2016. According to information and explanations given to us, no order has been passed by the Company Law Board or National Company Law Tribunal or the Reserve Bank of India or any Court or other Tribunal.
- (vi) We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the rules prescribed by the Central Government for maintenance of cost records under Section 148(1) of the Act in respect of the Company's products to which said rules are made applicable and are of the opinion that prima facie, the prescribed records have been made and maintained. We have not, however, made a detailed examination of the cost records with a view to determine whether they are accurate or complete.



- (ii) (a) जैसा कि सूचित किया गया है, वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन/बाहरी एजेंसियों द्वारा ट्रांजिट और तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक को छोड़कर इन्वेंट्री को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित है और प्रबंधन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और कवरेज सम्युक्त थे। भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन पर कोई विसंगति नहीं देखी गई जो कि प्रत्येक वर्ग की इन्वेंट्री के कुल योग में 10% से अधिक थी। भौतिक सत्यापन के दौरान पायी गयी छोटी-मोटी विसंगतियों को लेखा बहियों में समुचित ढंग से निपटाया गया।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्तमान संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है।
- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता मागीदारी या कोई अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान करने में या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करने में निवेश नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(iii)(a), (iii)(b), (iii)(c), (iii)(d), (iii)(e) और (iii)(f) के तहत रिपोर्ट करने की आवश्यकता आदेश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का पालन किया है, जहां तक लागू हो।
- (v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अर्थ में जनता से कोई जमा या राशि स्वीकार नहीं की है। अतिदेय बयाना जमा और सुरक्षा जमा के संबंध में, प्रबंधन का मानना है कि पुस्तकों में प्रदर्शित आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों की अतिदेय बयाना जमा और सुरक्षा जमा माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनुबंधों के प्रदर्शन के लिए प्रतिधारण धन की प्रकृति के हैं और तदनुसार, कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम 2016 के नियम 2, उप नियम (1), खंड (vii) में संशोधन के आधार पर डीमड जमा के रूप में नहीं माना जाएगा। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई आदेश कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी कोर्ट या अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा नहीं पारित किया गया है।
- (vi) हमने अधिनियम की धारा 148(1) के तहत कंपनी के उत्पादों के संबंध में लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक रूप से समीक्षा की है, जिन पर उक्त नियम लागू होते हैं। और उनकी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे गए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही हैं या पूर्ण हैं।



(vii) According to the information and explanations given to us and according to the books and records as produced and examined by us, in our opinion:

- (a) The Company has generally been regular during the year, in depositing undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues as applicable to it to the appropriate authorities.

There were no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service Tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2023 for a period of more than six months from the date they became payable.

- (b) According to the information and explanations given to us, the details of disputed dues of Goods and Service Tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues as at March 31, 2023, are as follows:

Name of Statute	Nature of Dues	Period	Forum where the dispute is pending	Gross Disputed Amount (Rs. in Lakh)	Amount Deposited under Protest (Rs. in Lakh)
Income Tax Act	TDS Demand	Different Assessment Years	Assessing Officer	13.21	-
Service Tax Act	Service Tax	FY 2016-17 and 01.04.2017 to 30.06.2017	Custom Excise Service Tax Appellate Tribunal	798.78	-



(vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा उत्पादित और जांच की गई पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, हमारी राय में:

(ए) कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर सहित अविवादित राशिगत देय राशि जमा करने में वर्ष के दौरान सामान्य रूप से नियमित रही है। उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया, जैसा कि उपर्युक्त अधिकारियों के लिए उस पर लागू होता है।

माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संकल्प में 31 मार्च, 2023 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई भी अविवादित राशि देय नहीं थी।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर के विवादित बकाया का विवरण 31 मार्च, 2023 तक उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया इस प्रकार है:

विधान का नाम	देय राशि की प्रकृति	अवधि	मंच जहां विवाद लंबित है	कुल विवादित राशि (लाख रुपये में)	विरोध के तहत जमा राशि (लाख रुपये में)
आयकर अधिनियम	टीडीएस मॉग	भिन्न आकलन वर्ष	आकलन अधिकारी	13.21	-
सेवा कर अधिनियम	सेवा कर	वित्त वर्ष 2016-17 और 01.04.2017 से 30.06.2017	करटम एटसाइज सर्विस टैक्स अपीलिय न्यायाधिकरण	798.78	-



- (viii) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not surrendered or disclosed any transactions, previously unrecorded as income in the books of account, in the tax assessments under the Income Tax Act 1961.
- (ix) (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender during the year.
- (b) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not been declared a willful defaulter by any bank or financial institution or government or any other government authority.
- (c) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained.
- (d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company, funds raised on short term basis have, prima facie, not been used during the year for long term purpose by company.
- (e) According to the information and explanations given to us and an overall examination of the financial statements of the Company, we report that the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries or joint ventures. Accordingly, clause 3(ix) (e) of the Order is not applicable.
- (f) According to the information and explanations given to us and procedures performed by us, we report that the Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries or joint ventures. Accordingly, clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.
- (x) (a) According to the information and explanation given us, the Company has not raised any money during the year by way of initial public offer / further public offer (including debt instruments). Accordingly clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.
- (b) According to the information and explanation given us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.
- (xi) (a) Based on examination of the books and records of the Company and according to the information and explanations given to us, considering the principles of materiality outlined in Standards on Auditing, we report that no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the course of our audit.



- (viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेन-देन को सरेंडर या खुलासा नहीं किया है, जो पहले कर निर्धारण में खाते की किलानों में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। आयकर अधिनियम 1961 के तहत।
- (ix) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋणों या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलम्बित डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- (c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किया गया था जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।
- (d) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए वर्ष के दौरान उपयोग नहीं की गई है।
- (e) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति या संयुक्त उद्यम से कोई धन नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(e) लागू नहीं होता है।
- (f) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निम्नांकित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(f) लागू नहीं होता है।
- (x) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव/अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से वर्ष के दौरान कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार आदेश का खंड 3(x)(a) लागू नहीं होता है।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमूल्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार आदेश का खंड 3(x)(b) लागू नहीं होता है।
- (xi) (a) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऑडिटिंग पर नानकों में उल्लिखित भीतिता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा या कंपनी के उपर कोई घोखाघड़ी दर्ज नहीं की गई है या हमारे ऑडिट के दौरान कंपनी को नोटिस या रिपोर्ट किया गया है।



- (b) According to the information and explanations given to us, no report under Sub-Section (12) of Section 143 of the Act has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of the Companies (Audit and Auditors) Rules 2014 with the Central Government.
- (c) According to the information and explanations given to us, no whistle blower complaints have been received by the company during the year.
- (xii) According to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi company and the Nidhi Rules, 2014 are not applicable to it. Accordingly, clause 3(xii) of the Order is not applicable.
- (xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the transactions with related parties are in compliance with Section 177 and 188 of the Act, where applicable and the details of the related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.
- (xiv) (a) In our opinion and as per the information and explanations given to us, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
(b) We have considered the internal audit reports of the Company issued till date for period under audit.
- (xv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected to its directors. Accordingly clause 3(xv) of the Order is not applicable.
- (xvi) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company:
 - (a) The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934.
 - (b) The Company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities during the year.
 - (c) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations prescribed by Reserve Bank of India.
 - (d) The Company is not a part of any group (as per the provisions of the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016 as amended).

Accordingly, clause 3(xvi)(a), (b), (c) and (d) of the Order is not applicable.



- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट लेखापरीक्षकों द्वारा फॉर्म एडीटी-4 में दायर नहीं की गई है, जैसा कि कंपनियों के नियम 13 (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) के तहत और नियम 2014 केंद्र सरकार के साथ निर्धारित है।
- (c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई विसित ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xii) लागू नहीं होता है।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो और संबंधित पक्ष के लेन-देन का विवरण वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार आवश्यक रूप से प्रकट किया गया है।
- (xiv) (a) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- (b) हमने लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।
- (xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार आदेश का खंड 3(xv) लागू नहीं होता है।
- (xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर:
- (a) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।
- (b) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास पित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।
- (c) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों में परिभाषित कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
- (d) कंपनी किसी भी समूह का हिस्सा नहीं है (मूल निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार)।

तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(a), (b), (c) और (d) लागू नहीं होता है।



- (xvii) The company has not incurred cash losses in the current and in the immediately preceding financial year.
- (xviii) There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.
- (xix) According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that the Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of the balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all the liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- (xx) (a) According to the information and explanations given to us, in respect of other than ongoing projects as at the balance sheet date, the company has Rs.322.19 Lakhs amount remaining unspent on Corporate Social Responsibility (CSR) within the provisions of Sub-Section (5) of Section 135 of the Act.
- (b) Based on the information and explanations given to us, there is no unspent amount under sub-section (5) of Section 135 of the Act pursuant to ongoing projects as at the balance sheet date. Accordingly, reporting under clause 3(xx)(b) of the Order is not applicable to the Company.

For Sanjay Dhingra & Associates
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.: 0511011C

CA Vijay Kumar Gupta
Partner
Membership No.: 414736
UDIN: 23414736BGXZYQ5080

Place: Dehradun, Uttarakhand
Date: 15.07.2023



- (xvii) कंपनी ने बालू और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं उठाया है।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।
- (xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उस बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वशूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के मुग्तान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल का हमारा ज्ञान और प्रबंधन योजना और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिसके कारण हमें विश्वास हो गया है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब भी वे देय होते हैं, तब विद्यमान होते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आवासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आवासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी के रूप में और जब वे देय होते हैं समाप्त कर दिया जाएगा।
- (xx) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बैलेंस शीट तिथि के अनुसार चल रही परियोजनाओं के अलावा, कंपनी के पास प्रावधानों के भीतर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर रु. 322.19 लाख रुपये की राशि अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत शेष है।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, बैलेंस शीट तिथि के अनुसार चल रही परियोजनाओं के अनुसार अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत कोई अज्यायित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(b) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कृते संजय दींगरा एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीआई फर्म पंजीकरण संख्या 0511011C

सी.ए. विजय कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या 414736
UDIN: 23414736BGXZYQ5080

स्थान : देहरादून, उत्तराखण्ड
तिथि : 15.07.2023

**ANNEXURE-II TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

(As referred to in paragraph 2 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" of our report even date)

Re: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited

S. No.	Directions	Report
1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	According to the information and explanations given to us and based on our audit, the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system except inventory management system and for this purpose FAS-ERP has been implemented by the Company. Period end Financial Statements are compiled offline based on balances and transactions generated from such FAS- ERP system. We have neither been informed nor come across during the course of our audit any accounting transactions which have been processed outside the IT system having impact on the integrity of the accounts.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	According to information and explanations given to us and based on our audit, there is no case of restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/loans/ interest etc. made by the lender to the Company.
3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	According to information and explanations given to us and based on our audit, the Company has not received any funds from central state agencies for specific schemes.



परिशिष्ट-11 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

(जैसा कि हमारी रिपोर्ट सम तिथि के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित है)

संदर्भ: पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

क्रमांक	दिशा-निर्देश	रिपोर्ट
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खतों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है। क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खतों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, कंपनी के पास इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली को छोड़कर आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा एफएएस-ईआरपी लागू किया गया है। अवधि के अंत वित्तीय विवरण ऐसे FAS-ERP सिस्टम से उत्पन्न शेष राशि और लेनदेन के आधार पर ऑफलाइन संकलित किए जाते हैं। लेखा परीक्षा के दौरान हमें न तो सूचित किया गया है और न ही कोई लेखा लेनदेन जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किया गया है, जो खतों की अखंडता पर प्रभाव डालता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्वचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बड़े खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बड़े खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, कंपनी को विशिष्ट योजनाओं के लिए केंद्र/राज्य एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

**Sub-directions under Section 143(5) of the Companies Act, 2013****Power Sector**

S.No.	Directions	Report
1.	Adequacy of steps to prevent encroachment of idle land owned by the Company may examine. In case land of the Company is encroached, under litigation, not put to use or declared surplus, details may be provided.	According to information and explanations given to us, the idle land owned by the Company is free from encroachment and litigation.
2.	Where land acquisition is involved in setting up new projects, report whether settlement of dues done expeditiously and in a transparent manner in all cases. The cases of deviation may please be detailed.	According to information and explanations given to us, land is acquired or procured through Government agencies and the dues are settled expeditiously in a transparent manner.
3.	Whether the Company has an effective system for recovery of revenue as per contractual terms and the revenue is properly accounted for in the books of accounts in compliance with the applicable Accounting Standard?	According to information and explanations given to us and based on our audit, the Company has an effective system for recovery of revenue as per contractual terms and the revenue is properly accounted for in the books of accounts in compliance with the applicable Accounting Standard.
4.	How much cost has been incurred on abandoned projects and out of this how much cost has been written off?	According to information and explanations given to us by the Company, no project has been abandoned during the financial year under audit.

Transmission

S.No.	Directions	Report
1.	Is the system of evacuation of power commensurate with power available for transmission with the generating company? If not, loss, if any, claimed by the generating company may be commented.	According to information and explanations given to us by the Company, transmission system is commensurate with power received from generator for transmission to distributor. No claim for loss of power was reported/observed during the year.
2.	How much transmission loss in excess of prescribed norms has been incurred during the year and whether the same been properly accounted for in the books of accounts?	According to information and explanations given to us by the Company, transmission losses are within the prescribed norms during the year.



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत उप-दिशानिर्देश

विद्युत क्षेत्र

क्रमांक	दिशा-निर्देश	रिपोर्ट
1.	कंपनी के स्वामित्व वाली बेकार भूमि के अतिक्रमण को रोकने के लिए कदमों की पर्याप्तता की जांच की जा सकती है। यदि कंपनी की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, मुकदमेबाजी के तहत, उपयोग में नहीं लाया गया है, या अधिशेष घोषित किया गया है, तो विवरण प्रदान किया जा सकता है।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली बेकार पट्टी भूमि अतिक्रमण एवं मुकदमेबाजी से मुक्त है।
2.	जहां भूमि अधिग्रहण नई परियोजनाओं को स्थापित करने में शामिल है, रिपोर्ट करें कि क्या सभी मामलों में तेजी से और पारदर्शी तरीके से बकाया का निपटारा किया गया है। कुपया विचलन के मामलों का विवरण दिया जाए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण या अधिग्रहण किया जाता है और बकाया राशि का पारदर्शी तरीके से तेजी से निपटारा किया जाता है।
3.	क्या कंपनी के पास अनुबंध की शर्तों के अनुसार राजस्व की वसूली के लिए एक प्रभावी प्रणाली है और राजस्व को लागू लेखा मानक के अनुपालन में खातों की पुस्तकों में उचित रूप से शामिल किया गया है?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कंपनी के पास अनुबंध की शर्तों के अनुसार राजस्व की वसूली के लिए एक प्रभावी प्रणाली है और राजस्व का लेखा पुस्तकों में उचित लेखांकन मानकों के अनुपालन में उचित रूप से किया जाता है।
4.	परित्यक्त परियोजनाओं पर कितनी लागत खर्च की गई है और इसमें से कितनी लागत को बड़े खाते में डाल दिया गया है?	कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी परियोजना को नहीं छोड़ा गया है।

पारेषण (ट्रांसमिशन)

क्रमांक	दिशा-निर्देश	रिपोर्ट
1.	क्या उत्पादन कंपनी के पास पारेषण के लिए उपलब्ध बिजली के अनुरूप विद्युत निकासी की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो हानि, कोई है, जिसका उत्पादन कंपनी द्वारा दावा किया गया है, पर टिप्पणी की जा सकती है।	कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ट्रांसमिशन सिस्टम वितरक को ट्रांसमिशन के लिए जगरेटर से प्राप्त बिजली के अनुरूप है। मौसम के दौरान बिजली के नुकसान का कोई दावा नहीं किया गया/देखा गया।
2.	वर्ष के दौरान निर्धारित मानकों से अधिक पारेषण हानि कितनी हुई है और क्या इसे लेखा पुस्तकों में उचित रूप से शामिल किया गया है?	कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान पारेषण हानियां निर्धारित मानदंडों के भीतर हैं।



3.	Whether the assets constructed and completed on behalf of other agencies and handed over to them has been properly accounted for in the financial statements.	According to information explanations given to us by the Company, no construction has been made on behalf of other agencies.
----	---	--

Others

S.No.	Directions	Report
1.	Examine the system of effective utilisation of Loans/Grant-in-Aid/Subsidy. List the cases of diversion of funds.	According to information and explanations given to us and based on our audit, the Company has adequate system of effective utilisation of Loans/Grant-in-Aid/Subsidy.
2.	Examine the cost benefit analysis of major capital expenditure/expansion including IRR and payback period.	According to information and explanations given to us and based on our audit, the company has established mechanism to examine the cost benefit analysis of major capital expenditure / expansion including IRR and payback period.
3.	If the audited entity has computerised its operations or part of it, assess and report, how much of the data in the company is in electronic format, which of the area such as accounting, sales, personnel information, pay roll, inventory, etc. have been computerised and the company has evolved proper security policy for data/software/hardware?	According to information and explanations given to us and based on our audit, the Company has computerised its operations except inventory management system and opening/closing balances in accounting software. The users of the above module have been allotted user id to ensure proper security of the data.

For Sanjay Dhingra & Associates
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.: 0511011C

CA Vijay Kumar Gupta
Partner
Membership No.: 414736
UDIN: 23414736BGXZYQ5080

Place: Dehradun, Uttarakhand
Date: 15.07.2023



3.	क्या अन्य एजेंसियों की ओर से निर्मित और पूर्ण की गई और उन्हें सौंपी गई संपत्ति का वित्तीय विवरणों में ठीक से हिसाब किया गया है।	कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अन्य एजेंसियों की ओर से कोई निर्माण नहीं किया गया है।
----	---	---

अन्य

क्रमांक	दिशा-निर्देश	रिपोर्ट
1.	ऋणों/सहायता अनुदान/सब्सिडी के प्रभावी उपयोग की प्रणाली की जांच करें निधियों के व्यवर्तन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी के पास ऋण/सहायता अनुदान/सब्सिडी के प्रभावी उपयोग की पर्याप्त प्रणाली है।
2.	IRR और पैबैक अवधि सहित प्रमुख पूंजीगत व्यय/विस्तार के लागत-लाभ विश्लेषण की जांच करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, कंपनी ने आईआरआर और पैबैक अवधि सहित प्रमुख पूंजीगत व्यय/विस्तार के लागत-लाभ विश्लेषण की जांच करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है।
3.	यदि लेखापरीक्षित इकाई ने अपने संचालन या उसके हिस्से का कम्प्यूटरीकरण किया है, तो आकलन करें और रिपोर्ट करें कि कंपनी में कितना डेटा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में है, किस क्षेत्र में जैसे लेखांकन, बिक्री, कर्मियों की जानकारी, पेट्रोल, सूची, आदि। कम्प्यूटरीकृत किया गया है और कंपनी ने डेटा/सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के लिए उचित सुरक्षा नीति विकसित की है?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, कंपनी ने इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली और लेखांकन सॉफ्टवेयर में प्रारम्भिक/समापन बोरा को छोड़कर अपने संचालन को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है। डेटा की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त मॉड्यूल के उपयोगकर्ताओं को उपयोगकर्ता आईडी आवंटित की गई है।

कृते संजय ढींगरा एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 0511011C

सी.ए. विजय कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या 414736
UDIN: 23414736BGXZYQ5080

स्थान : देहरादून, उत्तराखण्ड
तिथि : 15.07.2023



Annexure-III To The Independent Auditor's Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited ("the Company") as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Board of Directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting of the Company based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Standards on Auditing prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.



परिशिष्ट – III स्वातंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2023 तक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट भी की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्डेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक त्रुटियों, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्डेड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') के अनुसार और कंपनियों की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सही भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।



Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;
- (2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and
- (3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our knowledge and according to the explanations given to us the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Sanjay Dhingra & Associates
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.: 0511011C

CA Vijay Kumar Gupta
Partner
Membership No.: 414736
UDIN: 23414736BGXZYQ5080

Place: Dehradun, Uttarakhand
Date: 15.07.2023



वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

- (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;
- (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा
- (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें गैलीभगत की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरसाइड शामिल हैं, त्रुटि या चोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की छिप्री बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी मौलिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। 31 मार्च, 2023 को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।

कृते संजय ढींगरा एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 0511011C

सी.ए. विजय कुमार गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या 414736
UDIN: 23414736BGXZYQ5080

स्थान : देहरादून, उत्तराखण्ड
तिथि : 15.07.2023



DIRECTORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS

**To
The Shareholders,
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited**

The Directors of your company feel pleasure in presenting before you the 19th Annual Report on the working of the Company together with the Audited Statements of Accounts, Report of Statutory Auditor, Secretarial Auditor, Cost Auditor along with report of Comptroller & Auditor General of India on the financial statements (subject to approval of the Board) and these reports and all Appendix attached thereto coupled with the comments of the management on the observations of all the Auditors for the financial year 2022-23. The year under report had been a mix of achievements and turbulences caused due to corporate compliances.

During the year under report, the management of your Company was changed with the appointment of Sh. P.C. Dhyanl as Managing Director, by order of Government of Uttarakhand. With the new thought process and his tendency to lead from the front along with his senior members, your company has tried to scale new heights and had made efforts on war footing to complete certain critical projects that were lying pending for so many years and were not contributing in the financials and profitability of the Company.

1. Significant corporate developments and achievements.

Some of the critical projects completed during the year under report were as under:

1. 220 kV Dehradun – Vyasi Line was energized on 13.04.2022. This project costing Rs. 136.35 Crores has been dedicated to the people of Uttarakhand by Hon'ble Chief Minister of Uttarakhand on 12.06.2022.
2. Line in Line out (LILO) work of 132 kV Chila – Nazibabad lines was energized on 16.08.2022 at the cost of Rs. 33.48 crores.
3. 132 kV Substation Padartha was energized on 29.08.2022. This project costing Rs. 50.48 crores have been inaugurated by Her Excellency the President of India.

The Padartha substation and its associated LILO line of Chila – Nazibabad were put to commercial use on 13.09.2022.

Some of the critical achievement in operation and maintenance during the year under report was as under:

1. Transmission system loss is one of the most important indicators of any Transmission system and PTCUL has efficiently and consistently been able to contain the losses within 1.5% for a vast transmission system of around 3458.46 Ckt Km and 49 No primary substations. It is worth mentioning in this regard that for FY 2022-23 PTCUL has been able to achieve 0.97% in comparison to 1.01% for FY 2021-22.
2. Transmission system availability is an indicator of the availability of transmission system and is also a key indicator for any Utility. PTCUL has consistently been able to record an availability of more than 99.00 % over the years and has achieved an availability of 99.67% in the FY 2022-23 in comparison to 99.55% for FY 2021-22.



शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट

प्रति

शेयर धारक,

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

आपकी कंपनी के निदेशकों को कंपनी के कामकाज पर 19वीं वार्षिक रिपोर्ट, खातों के लेखापरीक्षित विवरण, वैधानिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ-साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी महसूस हो रही है। वित्तीय विवरण (बोर्ड की मंजूरी के अधीन) और ये रिपोर्ट और उससे जुड़े सभी परिशिष्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन की टिप्पणियों के साथ जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के तहत वर्ष कॉर्पोरेट अनुपालन के कारण उपलब्धियाँ और उथल-पुथल का निश्चय रखा।

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, श्री पी.सी. श्यामी की निमृक्ति के साथ आपकी कंपनी का प्रबंधन बदल दिया गया था। उत्तराखण्ड सरकार के आदेश से प्रबंध निदेशक को नियुक्त किया गया है। नई विचार प्रक्रिया और अपने वरिष्ठ सदस्यों के साथ आगे बढ़कर नेतृत्व करने की उनकी प्रवृत्ति के साथ, आपकी कंपनी ने नई ऊँचाइयों को छूने की कोशिश की है और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं जो कई वर्षों से लंबित पड़ी थीं और कंपनी की वित्तीय स्थिति और लाभप्रदता में योगदान नहीं देती थीं।

1. महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट विकास और उपलब्धियाँ।

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान पूरी की गई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएँ इस प्रकार थीं:

1. 220 केवी देहरादून-व्यासी लाइन को 13.04.2022 को ऊर्जीकृत किया गया। इस परियोजना की लागत रु. 130.35 करोड़ रुपये की धनराशि दिनांक 12.08.2022 को उत्तराखण्ड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड की जनता को समर्पित की गई है।
2. 132 केवी चीला-नाजीबाबाद लाइनों का लाइन इन लाइन आउट (LILO) कार्य 16.08.2022 को 33.48 करोड़ रुपये की लागत से ऊर्जीकृत किया गया।
3. 132 केवी सबस्टेशन पदार्थ को दिनांक 29.08.2022 को ऊर्जीकृत किया गया। इस परियोजना की लागत रु. 50.48 करोड़ का उद्घाटन भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया गया है।

पदार्थ सबस्टेशन और उससे जुड़ी चीला-नाजीबाबाद की LILO लाइन को 13.09.2022 को व्यावसायिक उपयोग के लिए रखा गया था।

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान संचालन और रखरखाव में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस प्रकार थीं:

1. ट्रांसमिशन सिस्टम का नुकसान किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है और पिटकूल लगभग 3458.46 सीकंटी किमी और 49 प्राथमिक सबस्टेशनों की विशाल ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए घाटे को 1.5% के भीतर कुशलतापूर्वक और लगातार नियंत्रित करने में सक्षम रहा है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पिटकूल वित्त वर्ष 2021-22 के 1.01% की तुलना में 0.97% हासिल करने में सक्षम रहा है।
2. ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता का एक संकेतक है और किसी भी उपयोगिता के लिए एक प्रमुख संकेतक भी है। पिटकूल पिछले कुछ वर्षों में लगातार 99.00% से अधिक की उपलब्धता दर्ज करने में सक्षम रहा है और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 99.55% की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 99.67% की उपलब्धता हासिल की है।



3. PTCUL has achieved 0.21 per element per month for System Average Interruption Frequency (SAIF) for FY 2022-23 which was 0.17 for FY 2021-22.
4. PTCUL has achieved 0.28 hours per element per month for System Average Unplanned Interruption Duration (SAUID) for FY 2022-23 which was 0.38 for FY 2021-22.
5. To avoid overloading capacity of 3 Nos. Primary Substation has been increased by installation of new Transformers at 132/33 kV S/s Purkul by 40 MVA, 400/220/132 kV S/s Kashipur, by 160 MVA, 132/33 kV S/s ELDECO Sitarganj, 40 MVA.
6. Almost all the factors given above entail direct influence on the overall financial health of the company.
 - (i) Reduction in transmission losses increases the efficiency of the transmission system.
 - (ii) Increase in transmission system availability increases the reliability of transmission system for uninterrupted power supply to the consumers of Uttarakhand.

The completion of the projects and improvements in achievements of KPI's under the leadership of New Managing Director and able guidance of Board of Directors has helped your company to improve its reputation.

Apart from this there had been certain important projects that have been commissioned after the date of the Balance Sheet till the date of reporting which are as under:

1. In order to provide electricity to traction substation Rudrapur of Indian Railways, a project was started in April 2022 with scheduled completion in July 2022 at an estimated cost of Rs. 9.89 crores. Consequently the 220 KV Jaffarpur-TSS Rudrapur Railway transmission line with a total length of 10.13 Circuit kilometers was constructed and energized on 25.05.2023.
2. 42 Circuit kilometers long 132 KV Pithoragarh-Lohaghat line which started on 15.04.2015 with scheduled commissioning date as 14.04.2017 was completed and energized on 02.06.2023 at a total cost of Rs. 82.07 Crores.

Your company has also started activities by inviting tenders for 04 number of GIS based substations at Ararghar, Lohaghat, Dhaulakhera and Khalima and 02 numbers of 220 KV GIS at Selaqui under the funding by ADB under the Uttarakhand Climate Resilient Power System Development Project.

Apart from this line in line out (LIL) of 132 kV Overhead Transmission lines and underground transmission lines total value of around Rs. 56 Crores are under progress with the ADB funding. Tenders have also been floated for construction of 400 kV GIS substation at Landhora at an estimated cost of Rs. 164 Crores.

The continuous strengthening & improvement of the Power Transmission System by addition of substation and transmission line to meet the future load demand of the consumer and evacuation of power generating stations is treated as hallmark for the expansion & operational performance of the PTCUL. During the year under report transformation capacity addition of 80 MVA and transmission line addition of 84.64 circuit kilometers have been added. The aforesaid efforts of your company shall definitely increase the availability of a more strong and effective transmission system.



3. पिटकुल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सिस्टम औसत रुकावट आड़ुति (SAIF) के लिए 0.21 प्रति तत्व प्रति माह हासिल किया है जो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 0.17 था।
4. पिटकुल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सिस्टम औसत अनियोजित व्यवधान अवधि (SAUID) के लिए प्रति माह 0.28 प्रति घंटे की दर से हासिल किया है जो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 0.38 था।
5. 3 प्राथमिक सबस्टेशनों की ओवरलोडिंग से बचने के लिए नए ट्रांसफार्मर स्थापित करके 132/33 केवी सबस्टेशन पुरकुल में 40 एमवीए, 400/220/132 केवी सबस्टेशन काशीपुर में 160 एमवीए, 132/33 केवी सबस्टेशन एल्लिको सितारगंज 40 एमवीए, क्षमता बढ़ाई गई है।
6. ऊपर दिए गए लगभग सभी कारक कंपनी के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

(i) ट्रांसमिशन हानियों में कमी से ट्रांसमिशन सिस्टम की दक्षता बढ़ जाती है।

(ii) ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता बढ़ने से उत्तराखण्ड के उपभोक्ताओं को निर्बाधित बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

नए प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में परियोजनाओं के पूरा होने और कंपीआई की उपलब्धियों में सुधार और निदेशक मंडल के सक्षम मार्गदर्शन से आपकी कंपनी को अपनी प्रतिष्ठा में सुधार करने में मदद मिली है।

इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएँ थीं जिन्हें बैलेंस शीट की तारीख के बाद रिपोर्टिंग की तारीख तक शुरू किया गया था जो इस प्रकार हैं:

1. भारतीय रेलवे के ट्रेक्शन सबस्टेशन रुद्रपुर को बिजली प्रदान करने के लिए, अप्रैल 2022 में एक परियोजना शुरू की गई थी, जिसकी अनुमानित लागत रुपये 9.89 करोड़ है, जो जुलाई 2022 में पूरी होगी। परिणामस्वरूप, 25.05.2023 को 10.13 सर्किट किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 220 केवी जाफरपुर-टीएसएस रुद्रपुर रेलवे ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण और ऊर्जाकरण किया गया।
2. 42 सर्किट किलोमीटर लंबी 132 केवी पिथौरागढ़-लोहाघाट लाइन, जो 15.04.2015 को निर्धारित कमीशनिंग तिथि 14.04.2017 के साथ शुरू हुई थी, 02.06.2023 को कुल रु. 82.07 करोड़ की लागत पर पूरी और ऊर्जावान हुई।

आपकी कंपनी ने उत्तराखण्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत एडीबी द्वारा वित्त पोषण के तहत आराधर, लोहाघाट, घौलाखेड़ा और खटीमा में 04 जीआईएस आधारित सबस्टेशन और संलाकुई में 220 केवी 02 जीआईएस के लिए निविदाएं आमंत्रित करके गतिविधियां शुरू कर दी हैं।

इसके अलावा 132 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों और भूमिगत ट्रांसमिशन लाइनों की लाइन इन लाइन आउट (एलआईएलओ) का कुल मूल्य लगभग रु 56 करोड़ का कार्य एडीबी की फंडिंग से प्रगति पर है। लंदौरा में 400 केवी जीआईएस सबस्टेशन के निर्माण के लिए अनुमानित लागत रुपये 164 करोड़ की निविदाएं भी जारी की गई हैं।

उपभोक्ता की भविष्य की लोड मांग को पूरा करने और बिजली उत्पादन स्टेशनों की निकासी को पूरा करने के लिए सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन को जोड़कर पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की निरंतर मजबूती और सुधार को पिटकुल के विस्तार और परिचालन प्रदर्शन के लिए पहचान माना जाता है। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान 80 एमवीए की परिवर्तन क्षमता और 84.64 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी गई है। आपकी कंपनी के उपरोक्त प्रयासों से निश्चित रूप से अधिक मजबूत एवं प्रभावी ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता में वृद्धि होगी।



1. Financial Results

Your Company's performance during the year under report has overall improved. The Company's gross turnover has increased by 7.55% to Rs. 37267.65 Lakh during the year as compared to Rs. 34649.76 Lakhs of Previous year. However, there had been a dip in the Profit before Tax as Rs. 2699.77 lakhs as compared to Rs. 5792.52 lakhs in the previous year. The main reasons for decline in the profit can be attributed to following reasons:

- a) Due to recruitment of 43 numbers of employees, revision of salaries due to Accelerated Career Progression (ACP) to the employees, increase in Dearness Allowances and other like heads, there had been a major increase in expenditure amounting to Rs. 43.18 Crores.
- b) The repair & maintenance expenditure increased to the extent of Rs. 24.10 crores as such activities were deferred in the Covid period and were carried out in the year under report.

The financials of the Company for the year under report at a Glance are summarized as under;

Sl. No.	Particulars	(Rupees in Lakhs)	
		Year ended 31-03-2023	Year ended 31-03-2022
1.	Gross revenue from Operations	37267.65	34649.76
2.	Other Income	5983.63	2605.67
3.	Transmission & Maintenance Expenses	4514.99	2104.63
4.	Personnel Expenses	13563.94	9245.60
5.	Administration Expenditure	3705.83	3272.78
6.	Interest and Other Financial Charges	5580.39	4939.74
7.	Depreciation	13186.36	11900.16
8.	Profit before Tax	2699.77	5792.52
9.	Profit / (Loss) after Tax	2187.31	4351.56
10.	Other Comprehensive Income	475.64	550.91
11.	Amount carried to Balance Sheet	1711.67	3800.65



1. वित्तीय परिणाम

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन में कुल मिलाकर सुधार हुआ है। कंपनी का सकल कारोबार वर्ष के दौरान 7.55% बढ़कर रु. 37267.65 लाख हो गया, पिछले वर्ष के रु. 34649.76 लाख की तुलना में। हालाँकि, कर पूर्व लाभ में रु. 2699.77 लाख की गिरावट आई थी, पिछले वर्ष रु. 5792.52 लाख की तुलना में। लाभ में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित कारणों को माना जा सकता है:

- 43 कर्मचारियों की भर्ती, कर्मचारियों को त्वरित कैरियर प्रगति (ACP) के कारण वेतन में संशोधन, महंगाई भत्ते और अन्य मदों में वृद्धि के कारण व्यय में रुपये 43.18 करोड़ की बड़ी वृद्धि हुई है।
- मरम्मत और रखरखाव व्यय रुपये 24.10 करोड़ की सीमा तक बढ़ गया। ऐसी गतिविधियाँ कोविड अवधि में स्थगित कर दी गई और रिपोर्ट के तहत वर्ष में की गई।

एक नज़र में रिपोर्ट के तहत वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

क्रमांक संख्या	विवरण	(रुपये लाख में)	
		वर्ष समाप्त 31.03.2023	वर्ष समाप्त 31.03.2022
1.	संचालन से सकल राजस्व	37267.65	34649.76
2.	अन्य आय	5983.63	2605.67
3.	पारेषण और रखरखाव व्यय	4514.99	2104.63
4.	कार्मिक व्यय	13563.94	9245.60
5.	प्रशासन व्यय	3705.83	3272.78
6.	व्याज और अन्य वित्तीय शुल्क	5580.39	4939.74
7.	मूल्यहास	13186.36	11900.16
8.	कर पूर्व लाभ	2699.77	5792.52
9.	कर के बाद लाभ/(हानि)	2187.31	4351.56
12.	कुल अन्य व्यापक आय	475.64	550.91
13.	बैलेंस शीट में ले जायी गयी राशि	1711.67	3800.65



3. Details of significant and material orders passed by the regulators, courts and tribunals impacting the going concern status and company's operation in future.

No significant and material order has been passed by regulators, courts, tribunals, impacting the going concern status and Company's operations in future.

4. Dividend

Considering the performance of your company during the financial year 2022-23, the Board of Directors recommends a dividend of Rs 6.91 per share to eligible shareholders for the year 2022-23.

5. Share capital of the company and the details of issue of securities made during the year.

The paid-up Equity share capital of the company as on 31st March, 2023 was 72,38,773 Equity shares of Rs. 1000/- . During the financial year 2022-23, the company issued 8,89,949 Equity shares of Rs. 1000/- each, therefore the paid-up Equity share capital of the company has been increased from Rs. 634,88,23,000/- to Rs. 723,87,72,000/-.

6. Details of deposits accepted, unpaid, unclaimed and defaulted in the repayment during the year.

The Company has neither invited nor accepted any deposits from public falling within the preview of Section 73 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Acceptance of Deposits) Rule 2014 during the year. There is no unclaimed or unpaid deposit lying with the Company.

7. Board of Directors and Key Managerial Personnel

The Board consists of executive and nonexecutive directors including independent director who have wide and varied experience in different disciplines of corporate functioning. Due to change of incumbent holding a specific post in Government of Uttarakhand, the change in composition of Board of Directors is a regular phenomenon. The following changes took place in the composition of the Board of Directors;

Name	Designation	Appointment /Cessation	Date of New Appointment	Date of Cessation
Smt. Radhika Jha, IAS	Secretary (Energy), GoU, Director	Cessation	-	19.04.2022
Shri Amit Singh Negi, IAS	Secretary (Finance), GoU, Director	Cessation	-	19.04.2022
Shri Sanjay Mittal	Director (Operations)	Cessation	-	06.04.2022
Shri Sudhakar Badoni	Director (Finance)	Appointment	02.06.2022	-
Smt. Radhika Jha, IAS	Secretary (Public Enterprises), GoU, Director	Cessation	-	19.04.2022



3. नियामकों, अदालतों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण, जो भविष्य में कंपनी की मौजूदा स्थिति और संचालन को प्रभावित करेंगे।

नियामकों, अदालतों, न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे कंपनी की वर्तमान स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन पर असर पड़े।

4. लाभांश

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल वर्ष 2022-23 के लिए पात्र शेयरधारकों को 8.91 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की सिफारिश करता है।

5. कंपनी की शेयर पूंजी और वर्ष के दौरान जारी प्रतिभूतियों का विवरण।

31 मार्च, 2023 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 72,38,773 इक्विटी शेयर प्रति 1000/- थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी ने 8,89,949 रुपये के 1000/- प्रत्येक, इक्विटी शेयर जारी किए। इसलिए कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी रुपये 634,88,23,000/- से रु. 723,87,72,000/- बढ़ा दी गई है।

6. वर्ष के दौरान स्वीकृत, अवैतनिक, अदावाकृत और पुनर्भुगतान में चूक का विवरण।

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के साभ पठित कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम 2014 के तहत आने वाली किसी भी जमा राशि को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है। कंपनी के पास कोई लावारिस या अवैतनिक जमा राशि नहीं है।

7. निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक सहित कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं जिनके पास कॉर्पोरेट कामकाज के विभिन्न विषयों में व्यापक और विविध अनुभव है। उत्तराखण्ड सरकार में किसी विशिष्ट पद पर आसीन पदाधिकारी के परिवर्तन के कारण निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन एक नियमित घटना है। निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए;

नाम	पद	नियुक्ति/समाप्ति	नई नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
श्रीमती राधिका झा, IAS	सचिव (ऊर्जा), GoU, निदेशक	समाप्ति	—	19.04.2022
श्री अमित सिंह नेगी, IAS	सचिव (वित्त), GoU, निदेशक	समाप्ति	—	19.04.2022
श्री संजय मिश्र	निदेशक (संचालन)	समाप्ति	—	06.04.2022
श्री सुधाकर बड़ोनी	निदेशक (वित्त)	नियुक्ति	02.08.2022	—
श्रीमती राधिका झा, IAS	सचिव (सार्वजनिक उद्यम) GoU, निदेशक	समाप्ति	—	19.04.2022



Name	Designation	Appointment /Cessation	Appointment Date	Cessation Date
Shri R.M. Sundaram, IAS	Secretary (Energy), GoU, Director	Appointment	19.04.2022	-
Dr. Pankaj Kumar Pandey, IAS	Secretary (MSMEs), GoU, Director	Appointment -	29.04.2022	-
Shri S.K. Tomar	CFO	Appointment	22.07.2022	-
Shri Anil Kumar	Managing Director	Cessation	-	10.09.2022
Shri P.C. Dhyan	Managing Director	Appointment	10.09.2022	-
Shri J.L. Bajaj, Retd. IAS	Independent Director	Cessation	-	07.10.2022
Shri Neeraj Kumar Tamta	Director (Project)	Appointment	22.11.2022	-
Shri B.P. Pandey, Retd. IAS	Independent Director	Appointment	11.03.2023	
Sh. Praveen Tandon	Company Secretary & KMP	Cessation	-	10.02.2023
Sh. Arun Sabharwal	Company Secretary & KMP	Appointment	10.02.2023	-

Independent Directors and Women Directors

The company has three independent directors on its Board as on the date of reporting, as named below:

- Sh. N Ravi Shanker, Retd. IAS - Independent Director
- Sh. R.P. Sasmal - Independent Director
- Sh. B.P. Pandey, Retd. IAS - Independent Director

Smt. Radha Raturi, IAS Chairperson and Smt. Manisha Panwar, IAS are the Woman Directors on the Board of the Company as on the date of reporting.

8. Statement of declaration given by Independent Director.

In Compliance of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, the Independent Director have given the necessary declaration of Independence as provided in sub-section 6 of the Section 149 of the Companies Act, 2013 and such declarations have been brought to knowledge of the Board from time to time.

9. Board Meeting and Committee Meetings

9A. Board Meetings:

Your Company by and large had been regular in conducting the Board Meetings at prescribed intervals in terms of provisions of Secretarial Standards and Companies Act, 2013. However, no Board Meeting was conducted in the first quarter of financial year 2022-23.



नाम	पद	नियुक्ति/समाप्ति	नई नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
श्री आर.एम. सुंदरम, IAS	सचिव (ऊर्जा), GoU, निदेशक	नियुक्ति	19.04.2022	—
डॉ. पंकज कुमार पांडे, IAS	सचिव (MSMEs), GoU, निदेशक	नियुक्ति	29.04.2022	—
श्री एस.के. तौमर	सीएफओ	नियुक्ति	22.07.2022	—
श्री अनिल कुमार	प्रबंध निदेशक	समाप्ति	—	10.09.2022
श्री पी.सी. ध्यानी	प्रबंध निदेशक	नियुक्ति	10.09.2022	—
श्री जे.एल.बजाज, सेवानिवृत्त IAS	स्वतंत्र निदेशक	समाप्ति	—	07.10.2022
श्री नीरज कुमार टन्टा	निदेशक (परियोजना)	नियुक्ति	22.11.2022	—
श्री बी.पी. पांडे, सेवानिवृत्त IAS	स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति	11.03.2023	—
श्री प्रवीण टंडन	कंपनी सचिव एवं के.एम.पी	समाप्ति	—	10.02.2023
श्री अरुण समरवाल	कंपनी सचिव और के.एम.पी	नियुक्ति	10.02.2023	—

स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक

रिपोर्टिंग की तिथि तक कंपनी के बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशक हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- श्री एन रविशंकर, सेवानिवृत्त IAS — स्वतंत्र निदेशक
- श्री आर.पी. सासमल — स्वतंत्र निदेशक
- श्री बी.पी. पांडे, सेवानिवृत्त IAS — स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती राधा रतूड़ी, IAS अध्यक्ष और श्रीमती मनीषा पवार, IAS रिपोर्टिंग की तिथि तक कंपनी के बोर्ड में महिला निदेशक हैं।

8. स्वतंत्र निदेशक द्वारा दिया गया घोषणा पत्र।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुपालन में, स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा 6 में दिए गए अनुसार समय-समय पर बोर्ड की ओर से स्वतंत्रता की आवश्यक घोषणा की है और ऐसी घोषणाओं को संज्ञान में लाया गया है।

9. बोर्ड बैठक एवं समिति बैठकें

9A. बोर्ड बैठक:

आपकी कंपनी कुल मिलाकर सचिवीय मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित अंतराल पर बोर्ड बैठकें आयोजित करने में नियमित रही है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में कोई बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की गई थी।



Five Board Meetings were held during the Financial Year from 1st April, 2022 to 31st March, 2023 as under:

1. 80th Board Meeting held on 22/07/2022.
2. 81st Board Meeting held on 13/10/2022.
3. 82nd Board Meeting held on 25/11/2022.
4. 83rd Board Meeting held on 26/12/2022.
5. 84th Board Meeting held on 10/03/2023.

9B. Audit Committee Meetings:

In Compliance of Section 177 of the Companies Act, 2013, the Board of Directors has an Audit committee duly constituted as per the provisions of the Companies Act, 2013. The constitution of the Audit Committee as on the date of reporting is as follows:

1. Shri N. Ravi Shanker, Retd. IAS, Independent Director- Chairman
2. Shri R.P. Sasmal, Independent Director
3. Shri P.C. Dhyani, Managing Director, PTCUL
4. Shri Sudhakar Badoni, Director (Finance) PTCUL-Special Invitee

Meetings of the Audit Committee have been held at regular intervals.

Following five of Audit Committee Meetings were held during the Financial Year from 1st April, 2022 to 31st March, 2023.

1. 52nd Audit Committee Meeting held on 21/07/2022.
2. 53rd Audit Committee Meeting held on 26/09/2022.
3. 54th Audit Committee Meeting held on 25/11/2022.
4. 55th Audit Committee Meeting held on 20/12/2022.
5. 56th Audit Committee Meeting held on 28/02/2023.

9C. Nomination and Remuneration Committee Meeting:

In Compliance of Section 178 of the Companies Act, 2013, the Board of Directors has a Nomination and Remuneration Committee duly constituted as per the provisions of the Companies Act, 2013. The constitution of the Nomination and Remuneration Committee as on the date of reporting is as follows:

1. Shri N. Ravi Shanker, Retd. IAS Independent Director- Chairman
2. Shri R.P. Sasmal, Independent Director.
3. Shri Ahmad Iqbal, IAS, Additional Secretary (Energy), GOU, Director.

Since your company is a Government of Uttarakhand undertaking and is exempted from majority of the provisions applicable on nomination and remuneration committee, therefore, the meetings of such committee are called on need basis. During the year under report, no meeting of this committee was called.

9D. Statement indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the board of its own performance and that of its committees and individual director.

Section 134 (3) provides for giving a statement in Board's Report indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its performance and that of its Committees and Individual Directors.



1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय वर्ष के दौरान पाँच बोर्ड बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं:

1. 80वीं बोर्ड बैठक 22/07/2022 को आयोजित हुई।
2. 81वीं बोर्ड बैठक 13/10/2022 को आयोजित हुई।
3. 82वीं बोर्ड बैठक 25/11/2022 को आयोजित हुई।
4. 83वीं बोर्ड बैठक 26/12/2022 को आयोजित हुई।
5. 84वीं बोर्ड बैठक 10/03/2023 को आयोजित हुई।

9B. लेखापरीक्षा समिति की बैठकें:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुपालन में, निदेशक मंडल के पास कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत एक लेखापरीक्षा समिति है। रिपोर्टिंग की तिथि के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का गठन इस प्रकार है:

1. श्री एन. रविशंकर, सेवानिवृत्त IAS, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री आर.पी. सरामल, स्वतंत्र निदेशक
3. श्री पी.सी. ध्यानी, प्रबंध निदेशक, पिटकुल
4. श्री सुधाकर इंडोनी, निदेशक (वित्त) पिटकुल-विशेष आमंत्रित सदस्य

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती रही हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक निम्नलिखित पाँच लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

1. 52वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक 21/07/2022 को आयोजित की गई।
2. 53वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक 26/09/2022 को आयोजित की गई।
3. 54वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक 25/11/2022 को आयोजित की गई।
4. 55वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक 20/12/2022 को आयोजित की गई।
5. 56वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक 28/02/2023 को आयोजित हुई।

9C. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 175 के अनुपालन में, निदेशक मंडल के पास कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन है। रिपोर्टिंग की तारीख के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन निम्नलिखित अनुसार है:

1. श्री एन. रविशंकर, सेवानिवृत्त IAS स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री आर.पी. सरामल, स्वतंत्र निदेशक।
3. श्री अहमद इकबाल, IAS, अतिरिक्त सचिव (ऊर्जा), जीओयू, निदेशक।

चूंकि आपकी कंपनी उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है और उसे नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति पर लागू अधिकांश प्रावधानों से छूट प्राप्त है, इसलिए ऐसी समिति की बैठकें आवश्यकता के आधार पर बुलाई जाती हैं। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई गई।

9D. बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन और उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन करने के तरीके को दर्शाने वाला विवरण।

धारा 134 (3) बोर्ड की रिपोर्ट में एक विवरण देने का प्रावधान करती है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि बोर्ड द्वारा उसके और उसकी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है।



However, MCA vide its notification dated 5th June, 2015 has exempted the government companies with the condition that clause (p) of sub section (3) shall not apply in case the directors are evaluated by the Ministry or Department of the Central Government which is administratively in charge of the company, or, as the case may be, the State Government, as per its own evaluation methodology. The Government of Uttarakhand has not issued any evaluation methodology till date and no such meeting was held for the year under report.

10. Risk Management Policy.

The Company has laid down the procedures to inform Board Members about risk assessment and mitigation procedures. The Board of Directors has framed Risk Management Policy in the reporting period which is available at Company's website at the link: <https://ptcul.org/document/risk-mgmt-policy84.04.pdf>.

This Policy forms part of the internal control and corporate governance process of the Company. Basically the aim of this policy is to eliminate risks, rather to mitigate the risks involved in the Company activities to maximize opportunities and minimize adversity by considering the following:

- Identification of risk, define ownership with clearly defined roles and responsibilities;
- Balance between the cost of managing risk and the anticipated benefits;
- Contributing to more efficient use/ allocation of capital and resources;
- To encourage and promote an pro-active approach towards risk management;
- Identifying any unmitigated risks and formulating action plans for its treatment through regular review.

Appropriate Risk Management Committees have been constituted/ nominated and action to identify and mitigate the risk is in progress.

11. Vigil Mechanism/ Whistle Blower Policy.

The Company is committed to the highest standards of ethical, moral and legal business conduct. Accordingly, Vigil Mechanism/ Whistle Blower Policy was formulated which provides a robust framework for dealing genuine concerns & grievances. The Policy provides for adequate safeguard against victimization of employees who avail the mechanism and also provide direct access to the Chairperson of the Audit Committee. Specially, employees can raise concerns regarding any discrimination, harassment, victimization, and any other unfair trade practice being adopted against them or any instances of fraud by or against your Company.

The Whistle Blower Policy has been implemented in PTCUL vide order no. 1840/HR&Admn./PTCUL/P-3 dated 22.12.2015. The Policy is available at the Corporation's Website at the link given below:

<https://www.ptcul.org/document/whistle-blower-policy-amended-1872022.pdf>.

During the year under report 02 cases under whistle Blower's policy have been disposed off and only 01 case is left that is at decision level.



हालांकि, MCA ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को इस शर्त के साथ छूट दी है कि यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता है तो उपधारा (3) का खंड (p) लागू नहीं होगा। प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभारी, या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार, अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार। उत्तराखण्ड सरकार ने आज तक कोई मूल्यांकन प्रक्रिया जारी नहीं की है और रिपोर्ट के तहत वर्ष के लिए ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है।

10. जोखिम प्रबंधन नीति

कंपनी ने बोर्ड सदस्यों को जोखिम मूल्यांकन और हानि प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। निदेशक मंडल ने रिपोर्टिंग अवधि में जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जो कंपनी की वेबसाइट पर इस लिंक पर उपलब्ध है: <https://ptcul.org/document/risk-mgmt-policy84.04.pdf>.

यह नीति कंपनी के आंतरिक निबंधन और कॉर्पोरेट प्रशासन प्रक्रिया का हिस्सा है। मूल रूप से इस नीति का उद्देश्य जोखिमों को खत्म करना है, बल्कि निम्नलिखित पर विचार करके अवसरों को अधिकतम करने और प्रतिकूल परिस्थितियों को कम करने के लिए कंपनी की गतिविधियों में शामिल जोखिमों को कम करना है:

- जोखिम की पहचान, स्पष्ट रूप से परिभाषित मुमकिनताओं और जिम्मेदारियों के साथ स्वामित्व को परिभाषित करना;
- जोखिम प्रबंधन की लागत और प्रत्याशित लाभों के बीच संतुलन;
- पूंजी और संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग/आवृत्ति में योगदान देना;
- जोखिम प्रबंधन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना;
- किसी भी असमंजस जोखिम की पहचान करना और नियमित समीक्षा के माध्यम से इसके उपचार के लिए कार्य योजना तैयार करना।

उपयुक्त जोखिम प्रबंधन समितियों का गठन/नामांकित किया गया है और जोखिम की पहचान करने और उसे कम करने की कार्यवाई जारी है।

11. सतर्कता तंत्र/विस्मय ब्लोअर नीति।

कंपनी नैतिक, नैतिक और कानूनी व्यावसायिक आचरण के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, विजिल मैकेनिज्म/विस्मय ब्लोअर नीति तैयार की गई जो वास्तविक धित्तों और शिकायतों से निपटने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती है। नीति तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है और ऑडिट समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच भी प्रदान करती है। विशेष रूप से, कर्मचारी किसी भी भेदभाव, उत्पीड़न, उत्पीड़न और उनके खिलाफ अपनाए जा रहे किसी अन्य अनुचित व्यापार व्यवहार या आपकी कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ घोषणापत्रों के किसी भी उदाहरण के बारे में धित्त व्यक्त कर सकते हैं।

विस्मय ब्लोअर नीति को आदेश संख्या के तहत पिटकुल में लागू किया गया है। 1840/HR&Admn./PTCUL/P-3 दिनांक 22.12.2015. यह नीति निगम की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है: <https://www.ptcul.org/document/whistle-blower-policy-amended-1872022.pdf>.

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान विस्मय ब्लोअर नीति के तहत 02 मामलों का निपटारा किया गया है और केवल 01 मामला शेष है जो निर्णय स्तर पर है।

**12. Details about the policy developed and implemented by the company on corporate social responsibility initiatives**

In Compliance of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Board of Directors has a Corporate Social Responsibility Committee duly constituted as per the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made there under. The Constitution of the Corporate Social Responsibility Committee as on the date of reporting is as follows:

1. Shri N. Ravi Shanker, Retd. IAS, Independent Director- Chairman
2. Shri R.P. Sasmal, Independent Director
3. Shri P.C. Dhyani, Managing Director, PTCUL
4. Shri Sudhakar Badoni, Director(Finance), PTCUL

The Company had only one meeting of CSR committee held on 29.03.2023. The CSR policy of your Company was revised in 80th Board meeting held on 22.07.2022 and same is available of the website of the Company at the address www.ptcul.org.

Your Company by a large had been spending on the CSR activities meticulously except for the Financial Year 2020-2021 wherein there were no spending in the CSR activities and your Company failed to deposit the sum in the specific bank account and also in the account of Central Government. This flouting of rule exposed your Company to the punitive active which may be upto 1 crore. However, your Company has taken the mitigation measure and has deposited a sum of Rs. 1.59 crore alongwith interest to the PM Care Fund. Your Company had a provision of 169.65 lakhs that has been spent primarily on providing computers and mobile computers labs for the schools of Champawat district after approval from the CSR Committee, Audit Committee etc. Your Company has taken a lesson from the previous failures and has strengthened the system to ensure that the flouting of the rules is not repeating again and is taking a departmental action against the erring officer.

13. Auditors and Auditors' Report**13A. Statutory auditors**

Pursuant to provisions of section 139 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended from time to time M/s Sanjay Dhingra & Associates, Chartered Accountants were appointed as Statutory Auditor in 82nd Board Meeting at agenda Item No.82.07 held on 25th November, 2022, on the recommendation of the C&AG for the Financial year 2022-23 from the conclusion of the 18th Annual General Meeting held on 20th December, 2022. The report of the Statutory Auditors and replies of the Management to the observations made by the Statutory Auditor are enclosed as Annexure A to this report and form essential part of this report.

13B. Cost auditors

Pursuant to Section 148 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules, 2014 as amended from time to time, your Directors had in the recommendation of the Audit Committee, has re-appointed M/s R.M. BANSAL & CO., Cost Accountants (Firm Registration No. 000022) as the Cost Auditor of the Company for the financial year 2022-23 in the 82nd Board Meeting held on 25.11.2022. The report of the Cost Auditors is enclosed as Annexure B to this report and form essential part of this report. Since there is no adverse comment in Cost Audit Report therefore, there was no need of the management reply.



12. कंपनी द्वारा विकसित और कार्यान्वित नीति के बारे में विवरण, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल पर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में, निदेशक मंडल के अनुसार एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का विधिवत गठन किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन, रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार इस प्रकार है।

1. श्री एन. रविशंकर, सेवानिवृत्त IAS, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री आर.पी. ससमल, स्वतंत्र निदेशक
3. श्री पी.सी. घ्यानी, प्रबंध निदेशक, पिटकुल
4. श्री सुधाकर बडोनी, निदेशक (वित्त), पिटकुल

कंपनी की सीएसआर समिति की केवल एक बैठक 29.03.2023 को हुई थी। आपकी कंपनी की सीएसआर नीति 22.07.2022 को आयोजित 80वीं बोर्ड बैठक में संशोधित की गई थी और यह कंपनी की वेबसाइट www.ptcul.org पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 को छोड़कर आपकी कंपनी बड़े पैमाने पर सीएसआर गतिविधियों पर सावधानीपूर्वक खर्च कर रही थी, जिसमें सीएसआर गतिविधियों में कोई खर्च नहीं हुआ था और आपकी कंपनी विशिष्ट बैंक खाते और केंद्रीय खाते में भी सरकार राशि जमा करने में विफल रही थी। नियम के इस उल्लंघन ने आपकी कंपनी को दंडात्मक कार्रवाई के दायरे में ला दिया, जो 1 करोड़ तक हो सकता है। हालांकि, आपकी कंपनी ने शमन उपाय किया है और पीएम केयर फंड में ब्याज सहित 1.59 करोड़ रुपये की राशि जमा की है। आपकी कंपनी के पास 169.65 लाख का प्रावधान था जिसे सीएसआर समिति, लेखा परीक्षा समिति आदि से अनुमोदन के बाद मुख्य रूप से चंपावत जिले के स्कूलों के लिए कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटर लेब प्रदान करने पर खर्च किया गया है। आपकी कंपनी ने पिछली विफलताओं से सबक लिया है और मजबूत हुई है यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमों का उल्लंघन दोबारा न हो, सिरटम दोषी अधिकारी के खिलाफ दिनांकीय कार्रवाई कर रहा है।

13. लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

13 A. वैधानिक लेखा परीक्षक

समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के साथ पठित कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, मेहता संजय कीगरा एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एजेंडे में 82वीं बोर्ड बैठक में 20 दिसंबर, 2022 को आयोजित 18वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सी एंड एजी की सिफारिश पर 25 नवंबर, 2022 को आयोजित मद संख्या 82.07 के तहत वैधानिक ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया था। वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और जवाब सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों का प्रबंधन इस रिपोर्ट के परिशिष्ट ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अनिवार्य हिस्सा है।

13 B. लागत लेखा परीक्षक

समय-समय पर संशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार, आपके निदेशकों ने ऑडिट समिति की सिफारिश में मेसर्स आर. एम. बराल एंड कंपनी, को लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 000022) 25.11.2022 को आयोजित 82वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। लागत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट बी के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अनिवार्य हिस्सा है। चूंकि कॉन्स्ट ऑडिट रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, इसलिए प्रबंधन के उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं थी।



13 C. Secretarial auditors

Pursuant to Section 204 of the Companies Act, 2013 the Board of Directors of the Company in its 84th meeting held on 10th March, 2023 authorized Managing Director and Company secretary to appoint Secretarial Auditor for the financial year 2022-23. M/s Pranav Kumar & Associates, Company Secretaries were appointed as the Secretarial Auditor of the Company for the financial year 2022-23 in the 85th Board Meeting held on 27th June, 2023. The report of the Secretarial Auditor is enclosed as Annexure C.

Since the Company Secretary department has accepted the observations of the Secretarial Auditor as true and correct, therefore, no comments are offered as Management reply to the report of Secretarial Auditor.

14. Details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the financial statements.

As per the provisions of Section 134(5) (e) of the Companies Act, 2013, the Directors declare that they have devised a system/framework which is operating effectively in the company. The directors have implemented a robust system/framework of the internal financial controls that provide them reasonable assurance regarding the adequacy and operative effectiveness of controls with regards to reporting, operational and compliance risks.

In line with best practice, the Board regularly reviews the internal control system to ensure that it remains effective and fit for purpose. Where weaknesses are identified as a result of the reviews, new procedures are put in place to strengthen controls and these are in turn reviewed at regular intervals.

15. Details of subsidiary, associate, joint venture.

The Company does not have any subsidiaries, joint ventures, or associate companies.

16. Particulars of contract or arrangements with related parties.

As per available information there are no contracts or arrangements with related parties during the year under report.

17. Particulars of loan, guarantees and investments made under section 186 of companies act, 2013.

Details of Loan, Guarantees and Investments are provided in Notes to Accounts as Annexure.

18. Conservation of energy, technology absorption.

The Company is putting its utmost efforts in conservation of energy. There is no foreign technology involved in the operations of the company.

19. Foreign exchange earnings and outgo.

There has been no Foreign Exchange Earning & Outgo during the period under review.



13C. सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसारण में कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 मार्च, 2023 को आयोजित अपनी 84वीं बैठक में प्रबंध निदेशक और कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया। 27 जून, 2023 को आयोजित 85वीं बोर्ड बैठक में मेसर्स प्रणव कुमार एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट परिशिष्ट सी के रूप में संलग्न है।

चूंकि कंपनी सचिव विभाग ने सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों को सत्य और सही माना है, इसलिए, सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर के रूप में कोई टिप्पणी पेश नहीं की जाती है।

14. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में विवरण।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5)(ई) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक घोषणा करते हैं कि उन्होंने एक प्रणाली/ढांचा तैयार किया है जो कंपनी में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक मजबूत प्रणाली/ढांचे को लागू किया है जो उन्हें रिपोर्टिंग, परिचालन और अनुपालन जोखिमों के संबंध में नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के बारे में उचित आवासन प्रदान करता है।

सर्वोत्तम अभ्यास के अनुरूप, बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करता है कि यह प्रभावी और उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनी रहे। जहां समीक्षाओं के परिणामस्वरूप कमजोरियों की पहचान की जाती है, नियंत्रण को मजबूत करने के लिए नई प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और नियमित अंतराल पर इनकी समीक्षा की जाती है।

15. सहायक, संयुक्त उद्यम का विवरण।

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

16. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था का विवरण।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं है।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के तहत दिए गए ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण खातों के नोट्स में अनुलग्नक के रूप में प्रदान किया गया है।

18. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण।

कंपनी ऊर्जा संरक्षण में अपना पूरा प्रयास कर रही है। कंपनी के संचालन में कोई विदेशी तकनीक शामिल नहीं है।

19. विदेशी मुद्रा आय और व्यय।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय नहीं हुआ है।



20. Directors responsibility statement

Pursuant to the requirement under section 134 of the Companies Act, 2013 with respect to Directors responsibility statement, it is hereby confirmed.

- (i) That in the preparation of the Annual Accounts for the Financial Year 2022-23, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.
- (ii) That the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the Financial Year and the Profit or Loss of the Company for that period.
- (iii) That the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- (iv) That the Directors had prepared the Annual Accounts for the financial year ended 31st March, 2023, on a going concern basis.
- (v) That the Directors had devised proper systems to ensure proper compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

21. Particulars of employees

None of the employees of the Company were in receipt of the remuneration in excess of the limits laid down in Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, consequentially a NIL disclosure is made.

22. Personnel relations

The Company continued to have cordial relations with its employees during the period under review. There were no incidents of strikes & non co-operation during the year under report. The unions have participated in the decision making process with an open & positive frame of mind. "विधि, विल्ट एवं एच.आर. आपके द्वार", a new initiative has been introduced in PTCUL. Regular meetings are being held at different field offices because of these employees are motivated as their problems are getting resolved at site. Besides this monthly meetings are held at Corporate Office to timely solve pension and other related issues.

23. Disclosures pertaining to the Sexual Harassment of women at the workplace (prevention, prohibition and Redressal) act, 2013

Your Company has zero tolerance policy towards sexual harassment at the workplace and towards this end, has adopted a policy in line with provisions of Sexual Harassment of Women at The Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. All employees (permanent, contractual, temporary, trainees) are covered under the said policy. An Internal Complaints Committee comprising of 03 female and 02 male members headed by Mrs. Amita Lohani former Vice Chairperson of Uttarakhand Women Commission has been set up to redress complaints received on sexual harassment.

During the Financial Year 2022-23, Total complaints 03 were received, out of which 02 complaints has been disposed off and 01 complaint is under disposal.



20. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यकता के अनुसार, इसकी पुष्टि की जाती है।

- (i) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
- (ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष विवरण और उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ या हानि दिया जा सके।
- (iii) निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी।
- (iv) निदेशकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चालू धिता के आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए थे।
- (v) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

21. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के ठिरी भी कर्मचारी को कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ था, परिणामस्वरूप शून्य प्रकटीकरण किया गया है।

22. कार्मिक संबंध

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के अपने कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध बने रहे। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान हड़ताल और असहयोग की कोई घटना नहीं हुई। यूनियनों ने खुले और सकारात्मक मन से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लिया है। “विधि, वित्त एवं एच.आर. आपके द्वार” में एक नई पहल शुरू की गई है। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं क्योंकि इससे कर्मचारी प्रेरित हो रहे हैं क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो रहा है। इसके अलावा पेंशन और अन्य संबंधित मुद्दों को समय पर हल करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

23. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 से संबंधित खुलासे

आपकी कंपनी की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति है और इस दिशा में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप एक नीति अपनाई है। सभी कर्मचारी (स्थायी, सविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) उक्त नीति के अंतर्गत कवर किए गए हैं। यौन उत्पीड़न पर प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए उत्तराखण्ड महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती अमिता लोहानी की अध्यक्षता में 03 महिला और 02 पुरुष सदस्यों की एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 03 शिकायतें प्राप्त हुई 02 शिकायतों का निस्तारण किया गया तथा 01 शिकायत निस्तारण हेतु है।



24. Acknowledgement

Your Directors wish to place on record, their appreciation for the valuable assistance and support received by your Company from Government of Uttarakhand, Banks, Financial Institutions, Central & State Government Bodies and their Departments.

The Board also place on record their sincere thanks and deep appreciation of the dedicated efforts put in by the officers and employees of the organization through their dedication, hard work, commitment, co-operation and diligence, which have enabled the Company to achieve its goals.

Your Directors gratefully acknowledge the continued support received by the Company from its stakeholders for all commercial and non-commercial matters. We are deeply grateful for the confidence and faith the various stakeholders and Government of Uttarakhand have reposed in us.

For & On behalf of Board of Directors

(Sudhakar Badoni)
Director (Finance)

(P.C. Dhyani)
Managing Director



24. अभिस्वीकृति

आपके निदेशक आपकी कंपनी को उत्तराखण्ड सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, केंद्र और राज्य सरकार के निकायों और उनके विभागों से प्राप्त बहुमूल्य सहायता और समर्थन के लिए अपनी सराहना दर्ज करना चाहते हैं।

बोर्ड संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उनके समर्पण, कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता, सहयोग और परिश्रम के माध्यम से किए गए समर्पित प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद और गहरी सराहना भी दर्ज करता है, जिसने कंपनी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

आपके निदेशक कंपनी को सभी वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक मामलों में अपने हितधारकों से प्राप्त निरंतर समर्थन के लिए कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं। हम विभिन्न हितधारकों और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा हम पर दिखाए गए विश्वास और आस्था के लिए बहुत आभारी हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

(सुधाकर बडोनी)

निदेशक (वित्त)

(पी.सी. घ्यानी)

प्रबंध निदेशक



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

(An Undertaking of Government of Uttarakhand)

CORPORATE ID No.: U40101UR2004SGC028675

VIDYUT BHAIYAN 132 KV MAJRA CAMPUS, DEHRADUN, UTTARAKHAND

BALANCE SHEET AS AT 31st March 2023

(Amount in Rs. Lakhs)

Particulars	Note	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
ASSETS			
I Non Current Assets			
(a) Property, Plant and Equipment	2	1,81,070.82	1,42,981.96
(b) Right to Use Assets	3	5,149.91	5,352.81
(c) Capital Work-in-Progress	4	51,822.77	68,829.70
(d) Financial Assets			
(e) Other Financial Assets	8	6,010.64	6,027.56
(f) Other Non Current Assets	6	6,487.00	6,750.75
Total Non-Current Assets		2,50,652.82	2,27,942.77
II Current Assets			
(a) Inventories	7	4,443.67	5,640.53
(b) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	8	8,835.18	20,431.27
(ii) Cash and Cash Equivalent	9	15,477.06	27,187.85
(iii) Other Bank Balances	10	37,016.00	12,440.04
(iv) Other Financial Assets	11	995.35	510.46
(c) Other Current Assets	12	2,370.44	1,498.71
Total Current Assets		60,137.89	67,709.86
Total Assets		2,90,789.91	2,95,652.63
EQUITY AND LIABILITIES			
I EQUITY			
(a) Equity Share Capital	13	72,367.73	63,488.24
(b) Other Equity	14	53,385.80	54,225.10
		1,25,743.53	1,17,713.34
II Liabilities			
A Non-Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	15	96,638.42	95,692.09
(ii) Other Financial Liabilities	16	17,197.91	23,355.05
(b) Long Term Provisions	17	525.75	1,382.89
(c) Deferred Tax Liabilities	18	1,505.50	1,332.56
(d) Other Non Current Liabilities	19	14,445.22	15,543.39
Total Non-Current Liabilities		1,22,315.80	1,37,306.27
B Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Short Term Borrowings	20	8,824.83	6,121.71
(ii) Other Financial Liabilities	21	35,580.66	23,758.51
(iii) Trade Payable	22	3,495.05	3,838.76
(b) Short Term Provisions	23	3,297.26	4,454.82
(c) Other Current Liabilities	24	531.58	461.12
Total Current Liabilities		41,729.58	40,635.02
Total Equity and Liabilities		2,90,789.91	2,95,652.63

Notes no. 1 to 28 form the part of these Financial Statements.
Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable
As per our report of even date attached

For Sanjay Dhillon & Associates
Chartered Accountants
FRNs.: 0511911C

For & On behalf of the Board of Directors of
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

(CA. Vijay Kumar Gupta)
Partner
M. No.: 414736
Place: Dehradun, Uttarakhand
Date: 15-07-2023

Anam Babbarwal
Company Secretary)

Sudhakar Badoni
Director (Finance)
DIN 06511675

P.C. Dhillon
Managing Director
DIN: 07530680



पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का एक उपक्रम)
सीबीएसई आईटी नंबर:- U60101UR20049GC026875
विद्युत सप्लाई 132KV माफरा परिसर देहरादून उत्तराखण्ड
31 मार्च 2023 को बेलेंस शीट

(रुपये लाखों में)

विवरण	नोट	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
वाणिज्य			
I. बैंक वित्तीय संसाधन			
(a) बैंक में जमा राशि	2	1,61,070.82	1,42,981.96
(b) बैंक का प्रदाता होने का अधिकार	3	5,149.01	5,352.81
(c) पूंजीगत राशि राशि	4	31,922.77	69,829.70
(d) विदेशी बैंक			
(i) अन्य विदेशी बैंक	5	6,010.64	6,027.55
(ii) अन्य बैंक वस्तु राशि	6	6,497.08	6,730.75
कुल बैंक - बैंक वस्तु राशि		2,36,652.03	2,27,942.77
II. सर्वसाधारण वित्त			
(a) इक्विटी	7	4,443.87	5,640.53
(b) विदेशी बैंक			
(i) अन्य बैंक	8	8,835.18	20,431.27
(ii) अन्य बैंक वस्तु राशि	9	15,477.05	27,187.85
(iii) अन्य बैंक वस्तु राशि	10	37,016.00	12,440.04
(iv) अन्य बैंक वस्तु राशि	11	995.35	510.46
(d) अन्य बैंक वस्तु राशि	12	2,370.44	1,409.71
कुल सर्वसाधारण वित्त		69,137.89	67,709.66
कुल वित्त		2,95,789.91	2,95,652.43
इक्विटी और वस्तु			
I. इक्विटी			
(a) इक्विटी वस्तु राशि	13	72,387.73	63,458.24
(b) अन्य इक्विटी	14	53,365.80	54,223.10
		1,25,753.53	1,17,711.34
II. वस्तु			
A. बैंक वित्त वस्तु			
(a) बैंक वित्त वस्तु			
(i) बैंक वस्तु	15	96,838.42	95,692.39
(ii) अन्य बैंक वस्तु	16	17,197.01	23,355.05
(b) बैंक वित्त वस्तु	17	529.75	1,302.89
(c) बैंक वित्त वस्तु	18	1,605.50	1,332.55
(d) बैंक वस्तु वस्तु	19	14,445.23	15,543.39
कुल इक्विटी और बैंक वित्त वस्तु		1,32,316.00	1,37,006.27
II. वस्तु वस्तु			
(a) बैंक वस्तु वस्तु			
(i) बैंक वस्तु वस्तु	20	6,624.83	6,121.71
(ii) अन्य बैंक वस्तु	21	25,540.65	23,758.61
(iii) बैंक वस्तु	22	3,495.05	3,838.79
(b) बैंक वस्तु वस्तु	23	3,297.26	6,454.82
(c) बैंक वस्तु वस्तु	24	531.58	461.12
कुल बैंक वस्तु वस्तु		41,729.58	40,635.02
कुल बैंक वस्तु वस्तु		2,99,780.01	2,95,652.43

नोट संख्या 1 से 88 इन विवरणों का हिस्सा हैं।

जहां लागू हो, विवरण जो बैंक वस्तुओं को पुनर्निर्माण/पूरा करीकत किया गया है।

वित्तों की इनमें विवरणों को प्रस्तुत किया है।

इसे संयोजन और एक ही दिशा में किया

आईटी नंबर

आईटी नंबर 000101010

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
के निदेशक वस्तु के लिए या प्रत्येक और से

(सी.ए. विजय कुमार शुभा)
उपनिदेशक
संयोजक संख्या 414738

उपनिदेशक
(कंपनी सचिव)

उपनिदेशक वस्तु
निदेशक (विन)
आईटी नंबर 000101010

सी.ए. वस्तु
उपनिदेशक
आईटी नंबर 000101010

संयोजक संख्या 414738
संयोजक संख्या 414738



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

(An Undertaking of Government of Uttarakhand)

CORPORATE ID No.: U40101UR20045GC028675

VIDYUT BHAVAN 132 KV MAJRA CAMPUS, DEHRADUN, UTTARAKHAND

STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED ON 31st March 2023

(Amount in Rs. Lakhs)

Particulars	Note	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
A. Income:			
(i) Revenue From Operations	25	37,267.68	34,649.76
(k) Other Income	26	5,983.63	2,606.67
Total Income (A)		43,251.28	37,256.43
B. Expenses:			
(i) Employee Benefit Expenses	27	13,583.94	9,246.60
(ii) Repairs & Maintenance Expenses	28	4,514.99	2,104.63
(l) Administrative & General Expenses	29	3,705.83	3,272.78
(iv) Finance Costs	30	5,580.39	4,939.74
(v) Depreciation and Amortization Expenses	31	13,166.36	11,900.16
Total Expenses (B)		40,551.51	31,462.91
C. Profit Before Tax (A-B)		2,699.77	5,792.52
D. Tax Expense	32		
(i) Current Tax		398.60	934.53
(ii) Deferred Tax		(49.09)	346.04
(iii) MAT Credit		172.95	160.39
Total Tax Expenses (I+II+III)		512.46	1,440.96
E. Net Profit after Tax (C-D)		2,187.31	4,351.56
F. Other Comprehensive Income			
a. (i) Items that will not be reclassified to Profit or Loss			
Re-measurement of Gains/(Losses) on Defined Benefit Plans		475.64	550.91
Total (F)		475.64	550.91
G. Total Comprehensive Income (E+F)		1,711.67	3,802.65
H. Earning Per Equity Share:	42		
(1) Basic (Rs.)		26.01	62.90
(2) Diluted (Rs.)		26.01	60.89

Notes no. 1 to 58 form the part of these Financial Statements.
Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.
As per our report of even date attached.

For Sanjay Dhillon & Associates
Chartered Accountants
FRN: 0511011C

For & On behalf of the Board of Directors of
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

(CA. Vijay Kumar Gupta)
Partner
M. No.: 414738
Place: Dehradun, Uttarakhand
Date: 15-07-2023

Arun Subharnal
Company Secretary

Sudhakar Badoni
Director (Finance)
DIN: 00511575

P.C. Dhyani
Managing Director
DIN: 07533495



पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का एक उपक्रम)

कॉर्पोरेट आईडी नंबर:- U60101UR20045GC028675

विद्युत शक्ति 132KV तापता परिसर देहरादून उत्तराखण्ड

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपि लाख रुपये में)

विवरण	नोट	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
A. आय			
(i) वातावरण से वापस	25	37,267.65	34,849.76
(ii) अन्य आय	26	5,983.63	2,605.67
कुल आय (A)		43,251.28	37,455.43
B. खर्च			
(i) कर्मचारी लाभ व्यय	27	13,563.94	9,245.60
(ii) वायपर और रखरखाव व्यय	28	4,514.99	2,104.63
(iii) प्रशासनिक और व्यापार व्यय	29	3,705.83	3,272.78
(iv) भूत व्यय	30	6,580.39	4,939.74
(v) दुरुवस्था और परिसंचन व्यय	31	12,196.36	11,900.16
कुल व्यय (B)		40,561.51	31,462.91
C. सब बूट लाभ (A-B)		2,689.77	5,992.52
D. कर व्यय	32		
(i) आयकर व्यय		386.60	934.53
(ii) व्यावसायिक कर		(49.00)	346.04
(iii) गैर जीवित		172.95	160.39
कुल कर व्यय (D)		512.46	1,440.96
E. कर से बाद कुल लाभ (C-D)		2,177.31	4,551.56
F. अन्य व्यापक आय			
a (i) अनुपूर विपरीत लाभ या हानि से मुनसुफिकृत नहीं किया जाएगा			
परिमितित लाभ बीजकर्मों पर लाभ/(हानि) का शुद्ध लाभ		475.64	550.91
कुल (F)		475.64	550.91
G. कुल व्यापक लाभ (E-F)		1,711.67	3,000.65
H. प्रति इक्विटी शेयर आय	42		
(i) शुद्ध (H)		26.01	62.90
(ii) अडिस्टिबल (H)		26.01	60.89

नोट संख्या 1 से 50 इन विवरणों का विवरण है।

जहां लागू हो, पिछले वर्ष के आयकों से पुनर्भुक्ति/पुनः परीक्षा किया गया है।

विशेष की हानि विवरणों के अनुसार प्रस्तुत है।

इस लेखक कीमत एक एंकोमिस्ट्स के लिए
सर्वोच्च अकाउंटेंट
आईसीआईएआई आई एंकोमिस्ट्स संख्या 8331611C

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
के निर्देशक बॉर्डर के लिए या उसकी ओर से

(सी.ए. विजय कुमार गुप्ता)
सहस्रदाता
संख्या 414730

अरुण शर्मा
(कंपनी अधिकारी)

सुजाकर इंदोनी
निदेशक (वित्त)
सीआईएन: 00511575

डी.सी. धानी
प्रबंध निदेशक
सीआईएन: 07536685

स्थान: देहरादून, उत्तराखण्ड
दिनांक: 15.07.2023



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

(An Undertaking of Government of Uttarakhand)

VIDYUT BHAWAN 132 KV MAJRA CAMPUS, DEHRADUN, UTTARAKHAND

CORPORATE ID No.: U40101UR2004SGC028676

CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED ON 31.03.2023

(Amount in Rs. Lakhs)

	Particulars	Year ended on 31.03.2023	Year ended on 31.03.2022
A	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
	Total Comprehensive Income before Tax	3,175.41	6,343.43
	Adjustments for:		
	Depreciation	13,186.36	11,930.96
	Interest Income from Fixed Deposits with Banks	(2,205.95)	(1,057.18)
	Interest and Other finance charges	6,580.26	4,939.74
	Operating Profit before adjustments in Liabilities & Assets	18,735.01	22,116.14
	Decrease/(Increase) in Other Financial assets (Current Assets)	(13,158.83)	(11,908.25)
	Increase/(Decrease) in Current Liabilities	254.50	(3,538.60)
	Increase/(Decrease) in Other Financial Liabilities	1,094.00	(916.16)
	Increase/(Decrease) in Current Tax Liability	(7,925.86)	10,515.56
		-	505.43
		11.74	16,734.12
	Direct Taxes/TDS paid /MAT Credit		
		(512.48)	(1,588.21)
	Net Cash Flow from Operating Activities (A)	(500.73)	15,135.81
B	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:		
	Capital Work in Progress		
	Interest Income from Fixed Deposits with Banks	(16,150.11)	(18,835.81)
	Fixed Deposits encashed and invested	2,205.15	666.90
	Net Cash Flow from Investing Activities (B)	(13,944.96)	(18,268.91)
C	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
	Increase in Share Capital	6,869.24	2,030.00
	Borrowings (Net of Repayments)	2,946.03	7,819.20
	Interest and Other finance charges paid	(5,500.39)	(4,840.50)
	Dividend Paid	(503.00)	(498.52)
	Net Cash Flow from Financing Activities (C)	2,734.88	4,578.88
D	Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	(11,710.89)	445.78
E	Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	27,187.89	26,742.07
F	Cash and Cash Equivalents at the end of the year	15,477.00	27,187.85
	Reconciliation of Cash and Cash Equivalents with the Balance Sheet:		
	Cash and Cash Equivalents as per Balance Sheet	15,477.00	27,187.85
	Components of Cash and Cash Equivalents:		
	Balances with Banks		
	(i) Current Accounts	8,365.06	6,719.56
	(ii) Fixed Deposits with Banks	7,112.00	21,068.00
	Total Cash and Cash Equivalents	15,477.00	27,187.85

Notes no. 1 to 58 form the part of these Financial Statements.

1. Statement of cash flows has been prepared under the indirect method as set out in the Ind AS 7 "Statement of Cash Flows" as specified in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.

2. Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

As per our report of even date attached

For Sarjay Dhirgma & Associates

Chartered Accountants

Notes no. 1 form the part of these Financial Statements

For & On behalf of the Board of Directors of
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

(CA. Vijay Kumar Gupta)

Partner

M. No.: 414736

Place: Dehradun, Uttarakhand

Date: 15-07-2023

UDIN: 234147368GXZYQ5080

Anur Sabharwal
Company Secretary)Sudhakar Basini
Director (Finance)
DIN: 00511675P.C. Dhyani
Managing Director
DIN: 07538685

**POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED**

Statement of change in Equity for the Year Ended on 31.03.2023

A. Equity Share Capital

Particulars	2022-23		2021-22	
	Number of Shares (Nos)	Amount (Rs. in Lakhs)	Number of Shares (Nos)	Amount (Rs. in Lakhs)
Issued, Subscribed and Fully Paid up Equity Shares Outstanding At the Beginning of the Year (Each Share of Rs. 1000)	63,48,824.00	63,488.23	57,06,824.00	57,068.23
Add: Shares issued / subscribed during the year	8,89,949.00	8,899.49	6,40,000.00	6,400.00
Issued, Subscribed and Fully Paid up Equity Shares at the end of the Year (Each Share of Rs. 1000)	72,38,773.00	72,387.72	63,48,824.00	63,488.23

B. Other Equity

(Amount in Rs Lakhs)

Particulars	Share Application money pending allotment	Reserves & Surplus		Total Other Equity
		Capital Reserves	Retained Earnings	
Balance as at 01.04.2021	6,400.00	19,188.80	29,222.05	54,810.85
Total comprehensive income for the year 2021-22			3,800.65	3,800.65
Income Tax adjustments of earlier years 2021-22			11.60	11.60
Adjustment on account of opening reserve during the year 2021-22		-		-
Application Money received during the year 2021-22	2,000.00		-	2,000.00
Dividend & Tax thereon			-	-
Shares allotted during the year 2021-22	(6,400.00)		-	(6,400.00)
Balance as at 31.03.2022	2,000.00	19,188.80	33,034.20	54,223.00
Balance at the beginning of the current reporting period 01.04.2022	2,000.00	19,188.80	33,034.20	54,223.00
Change in accounting policy or prior period errors			(78.96)	(78.96)
Restated balance at the beginning of the current reporting period	2,000.00	19,188.80	32,955.33	54,144.13
Total comprehensive income for the year 22-23			1,711.67	1,711.67
Income Tax adjustments of earlier years			-	-
Adjustments on account of opening reserve during the year 2022-23		-		-
Dividend & Tax thereon			(500.00)	(500.00)
Application Money received during the year 2022-23	8,899.49		-	8,899.49
Shares allotted during the year 2022-23	(8,899.49)		-	(8,899.49)
Balance as at 31.03.2023	-	19,188.80	34,167.00	53,355.80

Notes no. 1 to 58 form the part of these Financial Statements.

Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever applicable.

Prior Period item include expenses of year 2021-22 under the head Repair & Maintenance of Rs. 78.96 Lacs.

As per our report of even date attached.

For Bangay Dhingra & Associates
Chartered Accountants
FIR No.: 9511011CFor & On behalf of the Board of Directors of
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.(CA. Vijay Kumar Gupta)
Partner
M. No.: 414736
Place: Dehradun, Uttarakhand
Date: 15-07-2023
UDIN: 23414736BGZYQ9080Anur Sobhanwal
Company Secretary)Sudhakar Badoni
Director (Finance)
DIN 08911575P.C. Dhyani
Managing Director
DIN: 07638635



पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

A. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	2022-23		2021-22	
	शेयरों की संख्या (संख्या)	राशि (लाख रुपये में)	शेयरों की संख्या (संख्या)	राशि (लाख रुपये में)
वर्ष की शुरुआत में जारी, संयोजक और पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर (1000 रुपये का प्रत्येक शेयर)	63,48,824.00	63,488.23	57,08,824.00	57,088.23
प्रो. वर्ष के दौरान जारी / राखवाइव किए गए शेयर	8,89,949.00	8,899.49	6,40,000.00	6,400.00
वर्ष के अंत में जारी किए गए, राखवाइव किए गए और पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर (1000 रुपये का प्रत्येक शेयर)	72,38,773.00	72,387.72	63,48,824.00	63,488.23

B. अन्य इक्विटी

(Amount in Rs Lakhs)

विवरण	राज्य कर आवेदन का पैसा संबंधित आवेदन	भंडार और अधिशेष		कुल अन्य इक्विटी
		संपत्ति कोष	प्रतिधारित कमाई	
31.03.2021 को शेष राशि	8,400.00	19,188.80	29,222.84	54,810.85
वर्ष 2021-22 के लिए कुल व्यापक आय	-	-	3,800.65	3,800.65
विशेष जोड़ के अंतर्गत समायोजन 2021-22	-	-	11.60	11.60
वर्ष 2021-22 के दौरान अपेक्षित रिजर्व के मद् में समायोजन	-	-	-	-
वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	2,000.00	-	-	2,000.00
लागत और इस पर कर	-	-	-	-
वर्ष 2021-22 के दौरान अवशेष शेयर	(8,400.00)	-	-	(8,400.00)
31.03.2022 तक शेष राशि	2,000.00	19,188.80	33,034.29	54,223.09
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 1.04.2022 की शुरुआत में शेष राशि	2,000.00	19,188.80	33,034.29	54,223.09
लेखांकन नीति में परिवर्तन का पूर्व अवधि की त्रुटि	-	-	(78.96)	(78.96)
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि पुन: निर्धारित की गई	2,000.00	19,188.80	32,955.33	54,144.13
वर्ष 22-23 के लिए कुल व्यापक आय	-	-	1,711.67	1,711.67
विशेष जोड़ के अंतर्गत समायोजन	-	-	-	-
वर्ष 2022-23 के दौरान अपेक्षित रिजर्व के मद् में समायोजन	-	-	-	-
लागत और इस पर कर	-	-	(500.00)	(500.00)
वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	8,899.49	-	-	8,899.49
वर्ष 2022-23 के दौरान अवशेष शेयर	(8,899.49)	-	-	(8,899.49)
31.03.2023 तक शेष राशि	-	19,188.80	34,167.00	53,355.80

नोट्स नं 1 से 58 इन वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हैं।

विशेष वर्ष के अंतर्गत जो जड़ी कही जाए, वो पुनर्निर्मित/पुनर्वर्धित किया गया है।

पूर्व अवधि में वर्ष 2021-22 के अंतर्गत है 10 लाख एवं राखवाइव पर की अवधि है 18.89 लाख जिसे की इसी रिपोर्ट के अनुसार तालम

कुल संयोजक वीएस एच इन्फोस्टेक की लि. :
कार्टर अकाउंटेंट
आईटीआईआई आई आईआईआई आई आईआईआई

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
के निदेशक संयोजक के लि. या उसकी ओर से

(जी.ए. विजय कुमार गुप्ता)
साक्षर
संयोजक संयोजक 894735

संयोजक संयोजक
(संयोजक अधिकारी)

संयोजक संयोजक
निदेशक (वित्त)
सीआईएन 03511576

सी.सी. वी.सी.
संयोजक निदेशक
सीआईएन 07538086

स्थान : देहरादून, उत्तराखण्ड
दिनांक : 15.07.2023
UDIN: 234147388GXZYQ5080



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

2 : Property, Plant and Equipment

A. Tangible & Intangible Assets (Including Deprecit and Grant Assets) as on 31.03.2023

Sl. No.	Particulars	Gross Carrying Value			Depreciation			Net Carrying Value	
		Balance as on 01.04.2022	Additions during the Current Year	Disposal/ Adjustments during the Current Year	Balance as on 31.03.2023	Opening Balance of Accumulated Depreciation as on 01.04.2022	Depreciation during the Current Year	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
1	Land	420.44	200.63	-	621.07	-	-	621.07	420.44
2	Buildings	8,344.06	163.82	-	8,507.88	1,736.66	389.35	7,422.59	7,918.22
3	Hydraulic Works	405.71	53.76	-	459.47	123.22	26.97	389.28	382.69
4	Other Civil Works	2,174.88	0.07	-	2,174.95	343.81	70.87	1,795.47	1,831.07
5	Pant & Machinery	56,410.74	14,572.43	-	70,983.18	30,583.50	6,428.34	73,973.32	66,827.34
6	Lines & Cable Network	93,149.11	15,966.38	-	1,09,115.49	26,872.86	6,001.02	76,441.66	60,475.23
7	Vehicles	54.70	-	-	54.70	49.23	-	5.47	5.47
8	Furniture and Fixtures	407.16	25.16	-	432.32	143.06	28.91	285.55	284.70
9	Office Equipment	181.61	10.83	2.80	194.24	70.12	14.72	107.21	111.48
10	Computers & IT Equipment	224.67	44.77	2.87	272.31	150.06	34.80	94.17	74.51
	Total	2,62,854.86	31,062.41	5.37	2,93,911.54	59,472.54	12,972.76	1,87,076.82	1,42,981.08

2.1 The rates of depreciation above are as per the Tariff regulations applicable for the intra-state Transmission charges notified by Horizontal Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC). The Rate of Depreciation for the Lines & Plant and Machinery developed for the intra-state transmission is the same as notified by UERC.

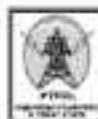
2.2 Disclosure regarding Title deeds of immovable Properties not held in name of the Company has been provided as Annexure-1 to this note.

2.3 Refer Annexure-2 for Information of Property, Plant and Equipment pledged as security by the Company

3 : Right to Use Assets

Assets - Right to Use Assets (Lease Rights Including Grants and Deposit) as on 31.03.2023

Sl. No.	Particulars	Gross Carrying Value			Depreciation			Net Carrying Value	
		Balance as on 01.04.2022	Additions during the Current Year	Disposal/ Adjustments during the Current Year	Balance as on 31.03.2023	Opening Balance of Accumulated Depreciation as on 01.04.2022	Depreciation during the Current Year	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
1	Land (Lease Right)	6,457.90	10.93	-	6,468.83	1,105.05	213.58	5,149.51	5,352.91
	Total	6,467.90	10.93	-	6,468.83	1,105.05	213.58	5,149.51	5,352.91



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
 वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स
 2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

A. ग्राँट और अपूर्ण संपत्ति: (जमा और अनुदान संपत्ति सहित) 31.03.2023 तक

क्र	विवरण	सकल मूल्य					मूल्यह्रास					शेष मूल्य	
		मूल्यह्रास की दर (प्र. प्रति वर्ष)	01.04.2022 तक की संपत्ति	सकल मूल्य	मूल्यह्रास की दर (प्र. प्रति वर्ष)	31.03.2023 तक की संपत्ति	मूल्यह्रास की दर (प्र. प्रति वर्ष)	01.04.2022 तक की संपत्ति	सकल मूल्य	मूल्यह्रास की दर (प्र. प्रति वर्ष)	31.03.2023 तक की संपत्ति	शेष मूल्य	31.03.2023 तक
1	भूमि	3	420.44	210.63	5	621.17	10	11	12	13	14	15	16
2	संयंत्र	3.34	6,344.86	193.82	-	5,528.71	1,736.66	-	2,116.01	7,422.69	7,418.22	430.44	430.44
3	इन्फ्रास्ट्रक्चर	5.28	485.71	93.76	-	539.47	123.22	28.97	193.19	389.28	382.49	7.79	7.79
4	जमा संपत्ति	3.34	2,174.86	117	-	2,174.86	343.81	70.97	456.46	1,793.67	1,831.17	42.50	42.50
5	अन्य संपत्ति	5.28	86,410.74	14,572.42	-	1,10,983.16	30,583.50	8,428.34	37,009.94	72,973.32	65,837.24	7,136.08	7,136.08
6	संपत्ति और उपकरण	0.28	63,145.11	15,965.38	-	1,10,115.49	25,872.89	6,011.02	32,873.91	76,441.59	60,476.23	15,965.36	15,965.36
7	संयंत्र	8.5	54.70	-	-	54.70	49.73	-	49.73	5.97	5.97	0.00	0.00
8	संयंत्र और उपकरण	8.33	437.76	29.76	-	437.82	343.06	28.91	171.97	265.85	264.70	1.15	1.15
9	संयंत्र और उपकरण	6.33	181.61	10.80	-	189.81	70.12	14.72	82.71	117.21	111.49	5.72	5.72
10	संयंत्र और उपकरण	13.00	324.87	44.77	-	369.64	155.06	34.85	182.40	54.17	54.17	0.00	0.00
	कुल		2,03,834.90	31,063.41	6.37	2,33,811.54	59,872.94	12,972.73	4.80	72,840.73	1,61,010.81	1,71,970.73	1,71,970.73

2.1 उपरोक्त मूल्यह्रास की दर वार्षिक अंतराल पर (प्रतिवर्ष) द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती है। इतर-पेटेड वित्तिय वर्ष के अंत में।
 2.2 संयंत्र और उपकरण की मूल्यह्रास की दर वार्षिक अंतराल पर (प्रतिवर्ष) द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती है।
 2.3 उपरोक्त नोट्स के साथ में निर्धारित की गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की जानकारी के लिए अनुसूची-2 देखें।

3. संपत्ति को उपयोग का अधिकार

B. संपत्तियाँ - संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार (अनुदान और जमा सहित यथा अधिकार) 31.03.2023 तक

क्र	विवरण	सकल मूल्य					मूल्यह्रास					शेष मूल्य	
		मूल्यह्रास की दर (प्र. प्रति वर्ष)	01.04.2022 तक की संपत्ति	सकल मूल्य	मूल्यह्रास की दर (प्र. प्रति वर्ष)	31.03.2023 तक की संपत्ति	मूल्यह्रास की दर (प्र. प्रति वर्ष)	01.04.2022 तक की संपत्ति	सकल मूल्य	मूल्यह्रास की दर (प्र. प्रति वर्ष)	31.03.2023 तक की संपत्ति	शेष मूल्य	31.03.2023 तक
1	भूमि	3	420.44	210.63	5	621.17	10	11	12	13	14	15	16
2	संयंत्र	3.34	6,344.86	193.82	-	5,528.71	1,736.66	-	2,116.01	7,422.69	7,418.22	430.44	430.44
3	इन्फ्रास्ट्रक्चर	5.28	485.71	93.76	-	539.47	123.22	28.97	193.19	389.28	382.49	7.79	7.79
4	जमा संपत्ति	3.34	2,174.86	117	-	2,174.86	343.81	70.97	456.46	1,793.67	1,831.17	42.50	42.50
5	अन्य संपत्ति	5.28	86,410.74	14,572.42	-	1,10,983.16	30,583.50	8,428.34	37,009.94	72,973.32	65,837.24	7,136.08	7,136.08
6	संपत्ति और उपकरण	0.28	63,145.11	15,965.38	-	1,10,115.49	25,872.89	6,011.02	32,873.91	76,441.59	60,476.23	15,965.36	15,965.36
7	संयंत्र	8.5	54.70	-	-	54.70	49.73	-	49.73	5.97	5.97	0.00	0.00
8	संयंत्र और उपकरण	8.33	437.76	29.76	-	437.82	343.06	28.91	171.97	265.85	264.70	1.15	1.15
9	संयंत्र और उपकरण	6.33	181.61	10.80	-	189.81	70.12	14.72	82.71	117.21	111.49	5.72	5.72
10	संयंत्र और उपकरण	13.00	324.87	44.77	-	369.64	155.06	34.85	182.40	54.17	54.17	0.00	0.00
	कुल		2,03,834.90	31,063.41	6.37	2,33,811.54	59,872.94	12,972.73	4.80	72,840.73	1,61,010.81	1,71,970.73	1,71,970.73

A1. Tangible & In-Tangible Assets: - Deposit Works 31.03.2023

Sl. NO.	Particulars	Gross Carrying Value			Depreciation				Net Carrying Value	
		Rate of Dep. (%)	Balance as on 01.04.2022	Additions during the Current Year	Depreciation Adjustments during the Current Year	Depreciation during the Current Year	Opening Balance of Accumulated Depreciation as on 01.04.2022	Balance as on 31.03.2023	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Land (Owned)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Land (Lease Rights)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Buildings	3.34	70.67	-	-	3.41	10.77	13.18	27.09	80.10
4	Hydraulic Works	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other Civil Works	3.34	54.74	-	-	1.68	10.79	12.47	42.27	43.88
6	Plant & Machinery	5.28	2,193.56	-	-	190.00	1,652.93	1,285.58	864.93	1,074.50
7	Lines & Cable Network	5.28	8,190.08	3.82	-	407.87	2,254.95	2,722.83	8,473.12	6,965.10
8	Vegetation	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Furniture and Fixtures	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Office Equipment	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Computers & IT Equipment	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		11,440.20	3.82	-	691.30	3,365.25	3,807.18	7,458.02	8,144.06

1. The company executes the work out of the funds (Deposits) received from the departments/agencies on whose behalf such works are executed by the company. After the completion of said works, the amount received from the aforesaid departments/agencies is reduced proportionately to the extent of yearly depreciation applicable on the said assets and is credited to the Statement of Profit & Loss of the year.

2. The capitalized value of deposit assets as shown above is the part of the Assets shown in 'Table A' above for the Financial Year 2022-23.

A2. Tangible & In-Tangible - Grant under PSDF Scheme 31.03.2023

Sl. NO.	Particulars	Gross Carrying Value			Depreciation				Net Carrying Value	
		Rate of Dep. (%)	Balance as on 01.04.2022	Additions during the Current Year	Depreciation Adjustments during the Current Year	Depreciation during the Current Year	Opening Balance of Accumulated Depreciation as on 01.04.2022	Balance as on 31.03.2023	As on 31.03.2023	As on 31.03.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Land (Owned)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Land (Lease Rights)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Buildings	3.34	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Hydraulic Works	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Other Civil Works	3.34	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Plant & Machinery	5.28	8,072.72	-	-	412.13	1,273.35	1,685.52	8,167.29	7,089.33
7	Lines & Cable Network	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Vegetation	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Furniture and Fixtures	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Office Equipment	6.33	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Computers & IT Equipment	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total		8,072.72	-	-	412.13	1,273.35	1,685.52	8,167.29	7,089.33

The Company is availing the Grant through Central Govt. under the scheme of Power System Development Fund (PSDF) for the purpose of Construction of Transmission Assets and Augmentation/Replacement/Modernization of the existing Transmission Assets. The amount of the grant so received by the company is required every year to the extent of the amount of depreciation charged on the assets created out of the amount of the said grants and is credited to Statement of Profit and Loss. These assets are part of the assets shown in Table A above for the Financial Year 2022-23.



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

2. Property, Plant and Equipment

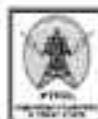
A. (Tangible & Intangible Assets: including Deposit and PSDF Assets) 31.03.2022

Sl. No.	Particulars	Rate of Dep. (in %)	Gross Carrying Value				Depreciation				Net Carrying Value	
			Balance as on 01.04.2021	Additions during the Current Year	Disposals/ Adjustments during the Current Year	Balance as on 31.03.2022	Opening Balance of Accumulated Depreciation as on 01.04.2021	Depreciation during the Current Year	Disposals/ Adjustments during the Current Year	Accumulated Depreciation as on 31.03.2022	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Land		415.02	0.82	-	420.44	-	-	-	-	420.44	419.62
2	Buildings	3.34	9,343.86	114.10	13.08	9,468.88	9,372.06	368.44	9.94	9,798.66	7,639.72	7,321.83
3	Hydraulic Works	6.28	461.07	34.94	-	495.71	99.30	24.50	-	123.22	362.49	362.77
4	Other Civil Works	3.34	2,116.04	56.54	-	2,174.58	273.94	99.87	-	343.81	1,831.07	1,842.00
5	Plant & Machinery	6.28	91,603.83	4,602.07	1.76	96,410.74	24,995.73	5,597.52	1.09	20,583.50	65,927.24	66,523.10
6	Lines & Cable Network	5.28	88,975.03	4,257.01	30.57	93,148.11	21,303.05	5,109.74	19.05	26,672.08	66,476.23	67,512.44
7	Vehicles	8.5	94.70	-	-	94.70	49.22	-	-	49.23	5.47	5.47
8	Furniture and Fixtures	6.33	402.23	6.79	0.23	409.76	115.66	27.42	3.02	143.06	264.70	288.57
9	Office Equipment	6.33	163.36	2.01	0.76	166.13	95.31	14.56	0.75	70.12	111.49	124.05
10	Computers & IT Equipment	19.00	217.13	7.54	-	224.67	115.03	34.73	-	180.06	74.61	111.80
	Total		1,03,880.47	3,323.75	48.75	2,02,384.20	48,430.78	11,464.50	23.71	59,372.54	1,42,081.66	1,45,269.72

3. Right to Use Assets

Assets - Right to Use Assets (Lease Rights including Grants and Deposit) as on 31.03.2022

Sl. No.	Particulars	Rate of Dep. (in %)	Gross Carrying Value				Depreciation				Net Carrying Value	
			Balance as on 01.04.2021	Additions during the Current Year	Disposals/ Adjustments during the Current Year	Balance as on 31.03.2022	Opening Balance of Accumulated Depreciation as on 01.04.2021	Depreciation during the Current Year	Disposals/ Adjustments during the Current Year	Accumulated Depreciation as on 31.03.2022	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Land (Lease Rights)		5,657.90	-	-	5,657.90	871.00	134.09	-	1,105.09	5,352.81	5,485.90
	Total		5,657.90	-	-	5,657.90	871.00	134.09	-	1,105.09	5,352.81	5,485.90



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

A. नुर्त और अपूर्त संपत्ति: (जमा और पीएसबीएफ संगति सहित) 31.03.2022

क्र.	विवरण	प्रत्यक्ष की वश (% में)	संचालन खर्च मूल्य					मूल्यवर्द्धन				शेषित मूल्य (अवशिष्ट मूल्य)	
			01.04.2021 तक संचालित	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	31.03.2022 तक	31.03.2022 तक
1	पूरा	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पूरा		419.62	0.82	-	420.44	-	-	-	-	420.44	419.62	
2	पूरा	3.34	9,241.85	118.10	13.00	9,372.95	1,272.16	366.44	1.84	1,735.66	7,637.29	7,671.80	
3	पूरा	5.28	661.07	26.64	-	687.71	68.30	34.92	-	123.22	564.49	562.77	
4	पूरा	3.34	2,118.04	88.84	-	2,206.88	273.84	69.87	-	343.71	1,863.17	1,842.17	
5	पूरा	5.28	97,819.53	4,802.07	1.18	102,622.78	34,586.73	5,507.82	1.18	30,583.50	66,532.26	66,532.10	
6	पूरा	0.79	86,914.53	4,207.00	33.58	91,155.11	21,363.19	8,328.74	19.16	36,872.68	54,282.43	54,282.43	
7	पूरा	8.5	54.70	-	-	54.70	49.23	-	-	49.23	5.47	5.47	
8	पूरा	6.33	407.23	9.76	0.21	417.20	115.09	27.43	0.02	143.68	273.52	273.52	
9	पूरा	6.33	182.38	2.03	0.76	185.17	56.31	14.56	0.76	70.12	115.05	115.05	
10	पूरा	19.00	217.13	7.54	-	224.67	115.31	34.73	-	150.06	74.61	74.61	
	कुल		1,02,889.47	9,422.79	44.75	1,12,356.91	48,430.75	11,404.38	23.71	89,972.54	1,02,889.47	1,02,889.47	

B. संपत्ति के उपयोग का अधिकार

B. संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार (अनुदान और जमा सहित पत्राधिकार) 31.03.2022 तक

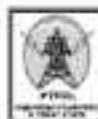
क्र.	विवरण	प्रत्यक्ष की वश (% में)	संचालन खर्च मूल्य					मूल्यवर्द्धन				शेषित मूल्य	
			01.04.2021 तक संचालित	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	वर्ष के दौरान अधिमान	31.03.2022 तक	31.03.2022 तक
1	पूरा	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पूरा		6,457.50	-	-	6,457.50	971.00	134.09	-	1,105.09	5,352.41	5,352.41	
	कुल		6,457.50	-	-	6,457.50	971.00	134.09	-	1,105.09	5,352.41	5,352.41	

A1. Assets - Deposit Works as on 31.03.2022

Sl. No.	Particulars	Rate of Dep. (in %)	Gross Carrying Value			Depreciation				Net Carrying Value	
			Balance as on 01.04.2021	Additions during the Current Year	Disposal/ Adjustments during the Current Year	Balance as on 31.03.2022	Opening Balance of Accumulated Depreciation as on 01.04.2021	Depreciation during the Current Year	Disposal/ Adjustments during the Current Year	Accumulated Depreciation as on 31.03.2022	As on 31.03.2022
1	Buildings	3	4	8	8	7	8	8	10	11	13
2	Hydraulic Works	3.34	47.06	32.89	-	71.87	8.42	2.26	-	10.77	39.49
3	Other Civil Works	5.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Plant & Machinery	3.34	50.43	4.31	-	54.74	8.94	1.81	-	10.75	47.45
5	Lines & Cable Network	5.25	1,943.31	150.27	-	2,133.58	671.16	187.02	-	1,058.68	1,074.90
			8,401.87	788.19	-	9,190.06	1,827.28	397.08	-	2,224.36	6,965.70
	Total		10,441.49	1,026.37	-	11,467.86	2,715.91	589.26	-	3,305.20	8,164.06
											7,727.68

A2. Assets- Grant under PSDF Scheme as on 31.03.2022

Sl. No.	Particulars	Rate of Dep. (in %)	Gross Carrying Value			Depreciation				Net Carrying Value	
			Balance as on 01.04.2021	Additions during the Current Year	Disposal/ Adjustments during the Current Year	Balance as on 31.03.2022	Opening Balance of Accumulated Depreciation as on 01.04.2021	Depreciation during the Current Year	Disposal/ Adjustments during the Current Year	Accumulated Depreciation as on 31.03.2022	As on 31.03.2022
1	Buildings	3	4	8	8	7	8	8	10	11	13
2	Hydraulic Works	3.34	47.06	32.89	-	71.87	8.42	2.26	-	10.77	39.49
3	Other Civil Works	5.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Plant & Machinery	3.34	50.43	4.31	-	54.74	8.94	1.81	-	10.75	47.45
5	Lines & Cable Network	5.25	1,943.31	150.27	-	2,133.58	671.16	187.02	-	1,058.68	1,074.90
			8,401.87	788.19	-	9,190.06	1,827.28	397.08	-	2,224.36	6,965.70
	Total		10,441.49	1,026.37	-	11,467.86	2,715.91	589.26	-	3,305.20	8,164.06
											7,727.68



A1. संपत्ति - जमा कार्ड 31.03.2022 तक

क्र	विवरण	मूल्योपलब्ध की दर (% में)	शेषकल-उद्धृत मूल्य				मूल्यवर्द्धन				प्रारंभिक लागत (रुपये में)	
			01.04.2021 तक शेष राशि	बालू वर्ष के दौरान परिवर्तन	बालू वर्ष के दौरान निपटान / समाप्ति	31.03.2022 को शेष राशि	बालू वर्ष के दौरान निपटान / समाप्ति	01.04.2021 तक शेष प्रारंभिक राशि	बालू वर्ष के दौरान निपटान / समाप्ति	31.03.2022 को शेष प्रारंभिक राशि	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	नया	3.34	47.88	27.85	-	70.67	7.86	-	-	10.77	80.13	39.84
2	अप्रदर्शित नवी	5.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	नए निर्मित कार्य	3.34	80.45	4.31	-	84.74	8.88	1.81	-	10.79	43.94	41.45
4	नए न मर	5.28	1,643.31	150.27	-	2,133.58	871.16	137.62	-	1,058.65	1,074.93	1,072.15
5	नए नवीन निर्माण	5.28	8,461.87	768.16	-	9,190.06	1,827.28	387.68	-	2,224.86	8,865.15	8,574.59
	कुल		10,443.39	1,005.87	-	15,445.25	2,715.91	539.29	-	3,303.30	8,144.05	7,727.58

A2. संपत्ति: वीएचटीएस योजना के तहत अनुदान 31.03.2022 तक

क्र	विवरण	मूल्योपलब्ध की दर (% में)	शेषकल-उद्धृत मूल्य				मूल्यवर्द्धन				प्रारंभिक लागत (रुपये में)	
			01.04.2021 तक शेष राशि	बालू वर्ष के दौरान परिवर्तन	बालू वर्ष के दौरान निपटान / समाप्ति	31.03.2022 को शेष राशि	बालू वर्ष के दौरान निपटान / समाप्ति	01.04.2021 तक शेष प्रारंभिक राशि	बालू वर्ष के दौरान निपटान / समाप्ति	31.03.2022 को शेष प्रारंभिक राशि	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	नया न मर	5.28	8,132.01	480.71	-	8,672.72	848.68	424.51	-	4,273.38	7,399.33	7,343.13
	कुल		8,132.01	480.71	-	8,672.72	848.68	424.51	-	4,273.38	7,399.33	7,343.13

Annexure-1 to Note 2.2: The title deeds of immovable properties included in Projects, Plant and Equipment are held in the name of the Company, except for as shown in table below:

Referent Line Item in the Balance Sheet	Description of Item of Property	Area in Hectare	Gross Carrying Value (Rs.)	Title Deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of Promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date/year	Remarks
Property, Plant and Equipment- Land Parcel	220KV Sub station Pantnagar	3.940	Not known	Not available	No	2005	Substation land is handed over by SIDCUL to PTCUL in year 2005 in compliance of Uttarakhand Government orders. However, GO or land handing over orders could not be traced in SIDCUL or PTCUL. In fact, as per Regional Manager, SIDCUL, Pantnagar no Land Lease Deed has been executed till date.
	132KV Sub station Rudrapur	1.568	Not known	Not available	No	2005	Land has been handed over to PTCUL by Irrigation Department in year 2005. Irrigation Department, Rudrapur was approached for land record but they have informed (verbally) that status of land is not clear and land is not in the name of Irrigation Department, Rudrapur either. In revenue department records, 6.431 Hectare land is entered with the name Power House in non-A category.
	132KV Sub station Korba	2.878	Not known	Not available	No	Not known (More than 30 years)	Land records were obtained from Tehsil Korba and it is found that land is in the name of PWD. Records of handing over/transfer of land from PWD to UPSEB/UPCL/PTCL have been found at Tehsil, PWD or UPCL/PTCL offices.
	132KV Sub station Ramo Sagar	4.117	Free of Cost	Not available	No	13.12.2007	Substation land is handed over by SIDCUL to PTCUL free of cost in year 2007 in compliance of Uttarakhand Government orders. However, the GO or land handing over papers could not be traced in SIDCUL or PTCUL office.
	132KV Sub station Kathgodam	-	Not known	Not available	No	Not known	Title Deed is not available. Currently the land is being used by UPCL & PTCUL.
	132KV Sub station Almora	12.156 (approx)	Not known	Executive Engineer Up State Electricity Board (UPSEB)	No	21.05.1972	
	220 KV Sub station Almora	2.080	Not known	Executive Engineer Transmission Uttarakhand Electricity Board	No	14.03.1997	
	Substation Land (132 KV BIS Pithuraghat)	1.066	1.44,007	Executive Engineer Transmission & Construction Division Uttarakhand Electricity Board	No	20.05.1972	From the time of execution of the sale from Uttar Pradesh, the property continued to be held in the name of erstwhile UPSEB and the same got transferred to PTCUL during the transfer scheme. Therefore, at the finalization of Transfer scheme, the title deeds of the property shall be continued to be held in the name of the respective person.
Property, Plant and Equipment- Land Parcel	Substation Land (132 KV S/S Ramnagar)	2.440	9,20,000	Executive Engineer Transmission - UP State Electricity Board (UPSEB)	No	19.04.1991	
	Substation Land (220 KV S/S Jaffarpur)	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The land records of 220 KV substation Jaffarpur are available with Civil Project wing, Kathnagar. They are being submitted by Civil Project wing, Kathnagar as informed by Executive Engineer (Civil Project) PTCUL, Kathnagar.

Relay/Line Item in the Balance Sheet	Description of Item in Property	Area in Hectares	Unrealized Value (Rs.)	Title Details held in the name of	Whether this does holder is a promoter, director or relative of Promoter/director or employee of promoter/director	Property held since which date/year	Remarks
Property, Plant and Equipment - Land Freehold	CRM Circle Office, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	The Deed/Registry of the Asset is not available with CRM Division, Roorkee, Circle Office CRM Roorkee and CRM Garhwal Zone, Roorkee. Currently, the land is being used by PTCUL.
	220 KV CRM Division, Roorkee, 23 KV Sub-station, 33 KV Sub-station, 110 KV Sub-station, 132 KV Sub-station, Roorkee and 132 KV Sub-station, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	No records available in the Division Office, Executive Engineer Civil Division, Roorkee also informed that Registry/Records are not available in their office.
	220/132 KV Sub-station, Roorkee, Roorkee and 132 KV Sub-station, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	No records available in the Division Office, Executive Engineer Civil Division, Roorkee also informed that Registry/Records are not available in their office.
	132 KV Sub-station, Lakshmi	Not known	Not known	Not available	No	Not known	No records available in the Division Office, Executive Engineer Civil Division, Roorkee also informed that Registry/Records are not available in their office.
	132 KV Sub-station, Haridwar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	Executive Engineer (CRM) Division, Roorkee, Civil Division Roorkee & Project Civil Division informed that the desired information is not available in their office.
	132 KV Sub-station, Jaidpur	Not known	Not known	Not available	No	Not known	Executive Engineer (CRM) Division, Roorkee, Civil Division Roorkee & Project Civil Division informed that the desired information is not available in their office.
	132 KV Sub-station, Bhupatnagar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	Executive Engineer (CRM) Division, Roorkee, Civil Division Roorkee & Project Civil Division informed that the desired information is not available in their office.
	132 KV Sub-station, Haridwar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	Executive Engineer (CRM) Division, Roorkee, Civil Division Roorkee & Project Civil Division informed that the desired information is not available in their office.
	132 KV Sub-station, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	Only transfer letter of this property is available. Executive Engineer, Civil Division, Roorkee informed that Registry/Records of assets related to the sub-station is not available in their office.
	400 KV Sub-station, Roorkee	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. In accordance with the documents available with the office, following the directions of letter No. 22/Field-1522/1971 (dated 03.05.1972) of Animal Husbandry Section, 2. Uttar Pradesh, Government, Lucknow, the government transferred 36 Acres of land of Pashuwan Farm to State Electricity Board for construction of 400 KV Substation. 3. The office of 400 KV CRM Division, Roorkee and 400/220 KV CRM Circle, Roorkee and the office under them do not have any details of the lease deed of the land of this property.
							3. The office of Superintendent Engineer (Civil) Dehradun/Executive Engineer (Civil/CRM Division, Roorkee) do not have any lease deed related to the land of this property.

[illegible]



Relevant Line Item in the Balance Sheet	Description of Items in Property	Area in Hectare	Gross Carrying Value (Rs.)	Title Deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or employee of promoter/director	Property held since when (date/year)	Remarks
Property, Plant and Equipment and Land Held	220 KV Sub-station & 132 KV ICPL Rishikesh	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. In accordance with the documents available with the office and as per the amended format of Director (Finance), DPC, Head Quarter, Gurgaon, Haryana and Co. Secy. Gen. Chief Law Officer, Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (A Govt. of India Undertaking), Gurgaon, Haryana, the land is registered in the Registrar Office, Dehradun with number 2455/20 dated 30.04.1994. Vide which according to page no. 5 to 6, it is clear that the 28.28 Acre land has been transferred to UPSEB in November 1972 for construction of Sub-station. 2. 400KV O&M Circle Rishikesh and 400/220 KV O&M Division, Rishikesh & offices under them do not have lease deed registered to the land of this property. 3. The offices of Superintendent Engineer Projects (Civil), Dehradun / Executive Engineer (Civil) / O&M Division Rishikesh do not have any lease deed / documents related to the land of this property.
	132 KV Sub-station Srinagar	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. O&M Circle Srinagar (Garhwal), 400KV O&M Division Srinagar (Garhwal) & the offices under them do not have the lease deed / documents related to the land. 2. The offices of Superintendent Engineer (Civil), Dehradun / Executive Engineer (Civil) / O&M Division Rishikesh do not have any lease deed / documents related to the land of this property.
	132 KV Sub-station, Simla	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. O&M Circle Srinagar (Garhwal), 400KV O&M Division Srinagar (Garhwal) & the offices under them do not have any documents related to the property. 2. The offices of Superintendent Engineer (Civil), Dehradun / Executive Engineer (Civil) / O&M Division Rishikesh do not have any lease deed / documents related to the land of this property.
	220 KV Sub-station Chamba	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. O&M Circle Srinagar & 400KV O&M Division Srinagar & the offices under them do not have the registry related to the land. However, the documents / Records related to the land are available.
	220 KV Sub-station Chamba	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. O&M Circle Srinagar & 400KV O&M Division Srinagar & the offices under them do not have any documents related to the land of this property. 2. The offices of Superintendent Engineer (Civil), Dehradun / Executive Engineer (Civil) / O&M Division Rishikesh do not have any documents related to the land of this property.
	220 KV Sub-station UP, Haridwar, Dehradun	Not known	Price of Coal	Not available	No	Not known	Institute of Geophysical Petroleum for the sub-structure in their Dehradun campus transferred the land for use of coal to PTCU. MOU is available in office of Civil Wing (Project)
	132 KV Sub-station Moga, Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	1. Notification No. A-1709 VII-47-62, dated 15-11-62 & Published in U.P. Gazette dated 24-11-1962. 2. Notification No. 608 XXXI-PH-151-1162, dated 24-03-66 & Published in U.P. Gazette dated 03-04-1966 page 1822
	132 KV Sub-station Binsar, Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	
	132 KV Sub-station Pankaj, Dehradun	Not known	Not known	Not available	No	Not known	

[illegible]

**POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED****Annexure-2 to Note 2.3:- Assets Pledged as Security**

The carrying amount of assets pledged as security for current & non current borrowings are :
(Amount in Rs. Lakhs)

Particulars	FY 2022-23	FY 2021-22
Non Current:		
Non-Financial Assets	1,32,303.47	1,20,721.95
Total Non Current assets pledge as security	1,32,303.47	1,20,721.95

* The loans are pledged on the created assets (PPE) as stated in note no. 2 and the assets which are in progress (C-WIP) as stated in note no. 4.



पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

नोट 2.3 के लिए परिशिष्ट-2:- प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्तियां

वर्तमान और गैर-वर्तमान उधारों के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्तियों की अग्रणीत राशि इस प्रकार है:

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
गैर वर्तमान:		
गैर-वित्तीय संपत्तियां	1,32,303.47	1,20,721.95
सुरक्षा के रूप में कुल गैर-वर्तमान गिरवी संपत्ति	1,32,303.47	1,20,721.95

* निर्मित संपत्ति (PPE) पर ऋण गिरवी रखा जाता है जैसा कि नोट संख्या 2 में कहा गया है और परिसंपत्तियां जिनका कार्य प्रगति पर हैं (C-WIP) जैसा कि नोट संख्या 4 में कहा गया है।

**POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED**

Notes to Financial Statements

4 : Capital Work-in-Progress (CWIP)

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Opening Balance	66,829.70	51,889.56
2	Additions during the Year	16,150.11	24,162.92
3	Capitalization during the Year	31,057.04	9,222.78
4	Closing Balance (1+2+3)	51,922.77	66,829.70

4.1. The amount of CWIP include the borrowing cost and overheads incurred during the year for the execution of the Capital works measured and accounted for as per the Accounting Policy Note no 1 (iii) b.

4.2. The amount of materials, equipments, etc. procured during the year for the construction of the capital assets under the Turnkey Contracts awarded by the Company have been accounted for as CWIP during the year whether these have been erected / installed or not during the year.

4.3 Refer Annexure No. 1 and 2 for information related to C-WIP ageing schedule.



पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

4: पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी)

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	प्रारंभिक जमा	66,829.70	51,889.56
2	वर्ष के दौरान परिवर्धन	16,150.11	24,162.92
3	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	31,057.04	9,222.78
4	अंतिम शेष (1+2-3)	51,922.77	66,829.70

4.1. CWIP की राशि में लेखा नीति नोट संख्या 1 (iii) b के अनुसार मापे गए और हिसाब में रखे गए पूंजीगत कार्यों के निष्पादन के लिए वर्ष के दौरान उधार लेने की लागत और उपरिव्यय शामिल हैं।

4.2. कंपनी द्वारा प्रदान किए गए टर्नकी अनुबंधों के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वर्ष के दौरान खरीदी गई सामग्रियों, उपकरणों आदि की राशि को वर्ष के दौरान CWIP के रूप में हिसाब में लिया गया है, चाहे ये वर्ष के दौरान बनाए गए हों या स्थापित किए गए हों या नहीं।

4.3. C-WIP एजिंग शेड्यूल से संबंधित जानकारी के लिए परिशिष्ट संख्या 1 और 2 देखें।

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

(a) For Capital-work-in-progress
Annexure 1 to Note 4.3- CWIP ageing schedule:

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
FY 2022-23					
Projects in progress	16,150.11	14,940.14	6,901.28	13,805.61	51,797.14
Projects Temporarily suspended	-	-	-	125.63	125.63
Total	16,150.11	14,940.14	6,901.28	13,931.24	51,922.77
FY 2021-22					
Projects in progress	17,306.00	6,544.39	13,061.60	29,807.03	66,719.02
Projects Temporarily suspended	-	-	-	110.68	110.68
Total	17,306.00	6,544.39	13,061.60	29,917.71	66,829.70

(b) For Capital-work-in-progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, following CWIP completion schedule shall be given:

Annexure 2 to Note 4.3 - Ageing of C-WIP for overdue projects

CWIP	To be completed in		
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years
FY 2022-23			
	42,186.83	-	-
FY 2021-22			
	97,532.67	-	-



पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

(a) पूंजी-कार्य-प्रगति के लिए

अनुलग्नक 1 से नोट 4.3- CWIP एजिंग शेड्यूल

सीडब्ल्यूआईपी	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
वित्तीय वर्ष 2022-23					
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	16,150.11	14,940.14	6,901.28	13,805.61	51,797.14
परियोजनाएं अस्थायी रूप से रिलिजित	-	-	-	125.63	125.63
कुल	16,150.11	14,940.14	6,901.28	13,931.24	51,922.77
वित्तीय वर्ष 2021-22					
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	17,306.00	6,544.39	13,061.60	29,807.03	66,719.02
परियोजनाएं अस्थायी रूप से रिलिजित	-	-	-	110.68	110.68
कुल	17,306.00	6,544.39	13,061.60	29,917.71	66,829.70

(b) पूंजी-कार्य-प्रगति के लिए, जिसकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी लागत इसकी मूल योजना की तुलना में अधिक है, निम्नलिखित CWIP पूर्णता अनुसूची दी जाएगी:-

अनुलग्नक 2 से नोट 4.3- अतिदेय परियोजनाओं के लिए C-WIP की एजिंग

सीडब्ल्यूआईपी	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
वित्तीय वर्ष 2022-23	42,166.83	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2021-22	97,532.67	-	-	-



Details of overdue projects & the costs to be incurred - Current Year:

Name of the Project	(Amount in Lakhs)			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Implementation of Intra State ABT Metering Scheme For On Lining of ABT Meters to be installed at Interface Points for Energy Accounting & Transmission Level Energy Auditing at PTCUL	152.15			
Const. of 132 KV S/C line on D/C tower from Pithoragarh Champawat (Lohaghat).	766.24			
Construction of 132 KV Bindal-Purkul transmission line				
Construction of 400KV DC Tapovan Pipalkoti & LILO of 400KV DC - Vishnuprayag -Muzzafarnagar Line at Pipalkoti	147.55			
Const. of 400 KV DC line on Quad moose conductor from Pipalkoti to Srinagar under Package II (Const. Of 400 KV DC line on quad moose conductor from Nakot to Dhanpur forest near Rudraprayag				
Const. of 400 KV DC line on Quad moose conductor from Pipalkoti to Srinagar under Package III (Const. Of 400 KV DC line on quad moose conductor from Rudraprayag (Dhanpur) to 400 KV S/S Khandukhal (Srinagar)	13,841.31			
Const. of 400 KV DC line on Quad moose conductor from Pipalkoti to Srinagar under Package I (Const. Of 400 KV DC line on quad moose conductor from Pipalkoti S/S to Nakot near Rudraprayag	15,152.08			
LILO of 132KV Silarganj - Kiocha Line (suspended)	125.63			
TOTAL	42,186.83			



अतिदेय परियोजनाओं और व्यय की जाने वाली लागत का विवरण – चालू वर्ष

परियोजना का नाम	में पूरा किया जाना है				(राशि लाख में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
PTCUL में ऊर्जा लेवेलिंग और ट्रांसमिशन स्तर ऊर्जा ऑप्टिमाइजिंग के लिए इंटरफेस बिंदुओं पर स्थापित किए जाने वाले ABB मोडरनों की ऑन-लाइनिंग के लिए इंटर स्टेट ABB मोडरनिंग योजना का कार्यान्वयन।	152.15				
विद्युतग्राम संयोजक (लोहावाट) से D/C टावर पर 132 KV S/C लाइन का निर्माण।	766.24				
132 KV बिंदाल-पुरकुल ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण।					
पीपलकोटी में 400 KV DC तपोवन पीपलकोटी और 400 KV DC - विष्णुप्रयाग-मुजफ्फरनगर लाइन का LLO का निर्माण।	147.55				
पैकेज II के तहत पीपलकोटी से श्रीनगर तक क्वाड मूल कंडक्टर पर 400 KV DC लाइन का निर्माण (शुद्धप्रयाग को पोत नाकोट से डेनपुर जंगल तक क्वाड मूल कंडक्टर पर 400 KV DC लाइन का निर्माण)					
पैकेज III के तहत पीपलकोटी से श्रीनगर तक क्वाड मूल कंडक्टर पर 400 KV DC लाइन का निर्माण (विष्णुप्रयाग (धनपुर) से 400 KV S/S खीदखील (श्रीनगर) तक क्वाड मूल कंडक्टर पर 400 KV DC लाइन का निर्माण)	13,641.31				
पैकेज I के तहत पीपलकोटी से श्रीनगर तक क्वाड मूल कंडक्टर पर 400 KV DC लाइन का निर्माण (शुद्धप्रयाग से पात पीपलकोटी S/S से नाकोट तक क्वाड मूल कंडक्टर पर 400 KV DC लाइन का निर्माण)	15,152.00				
132KV सितारगंज-किष्का लाइन का LLO (निलंबित)	125.83	-	-	-	-
कुल	42,186.83				



Details of overdue projects & the costs to be incurred - Previous Year.

Name of the Project	To be completed in				(Amount in Lakhs)
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Implementation of Intra State ABT Metering Scheme For On-Lining of ABT Meters to be installed at Interface Points for Energy Accounting & Transmission Level Energy Auditing at PTCUL	63.57	-	-	-	-
SUPPLY ERECTION AND TESTING & COMMISSIONING OF 160MVA 220/132KV TRANSFORMER AND ITS ASSOCIATED 220KV AND 132KV BAYS AT 400KV S/S KASHIPUR	158.35	-	-	-	-
Augmentation from (1X40 MVA + 1X 20MVA) to (2X40 MVA + 1 X20 MVA) at 132 KV S/S PURKUL	571.07	-	-	-	-
400 KV D/C Tapovan Pipalkoti & its LILO of 400 KV Vishnuprayag Mujafamagar line (Package-7P2)	8,073.06	-	-	-	-
LILO of 132 KV Chilla - Nazibabad Line at 132 KV S/S Padarth (Patanjali), Haridwar					
Const. of well foundation at various locations of LILO of 132KV Chilla-Nazibabad line at Ganga river near village Sajjanpur Pili, Haridwar	4,345.97				
Const. of 132/33 KV S/S Padarth (Patanjali), Haridwar					
Const. of 400 KV DC Pipalkoti-Srinagar Line (Package 1- Pipalkoti to Nakot)	24,741.97	-	-	-	-
Const. of 400 KV DC Pipalkoti-Srinagar Line (Package 2- Nakot to Dhanpur)	19,358.43	-	-	-	-
Const. of 400 KV DC Pipalkoti-Srinagar Line (Package 3- Dhanpur to Srinagar)	23,207.23	-	-	-	-
Const. of 220 KV D/C Rudrapur(Brambari)-Srinagar Line (package II Chakradhar- Rudrapur)(Singoli-Bhulwari line)	1,293.27	-	-	-	-
132 KV Purkul-Bindal Link line	1,110.94	-	-	-	-
132 KV S/S Lohaghat & 132 KV S/C line on D/C tower from Pithoragarh (PGCIL)-Champawest (Lohaghat)	4,569.60	-	-	-	-
220 KV S/S Baram	4,472.83	-	-	-	-
LILO of 220 KV Dhauliganga - Pithoragarh Line at 220 KV S/S Baram	2,057.31	-	-	-	-
220 KV LILO Lakhwar Vyasi line	3,383.43	-	-	-	-
LILO of 132KV Sitampari - Kiccha Line (suspended)	125.83	-	-	-	-
Total	97,532.67	-	-	-	-



अतिदेय परियोजनाओं और व्यय की जाने वाली लागत का विवरण - पिछला वर्ष

परियोजना का नाम	में पूरा किया जाना है				(राशि लाख में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
PTCUL ने एनजी अकाउंटिंग और ट्रांसमिशन सेक्टर एनजी अकाउंटिंग के लिए इंटरफेस मॉड्यूल पर स्थापित किए जाने वाले ABR मॉड्यूलों की लॉन लाइनिंग के लिए डेटा स्टैट एकीकृत सीटिंग स्कीम का कार्यान्वयन।	63.57	-	-	-	-
400KV S/S कार्गुल में 160MVA 220/132KV ट्रांसफार्मर और इसके जुड़े 220KV और 132KV बैल की अगुति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग।	158.35	-	-	-	-
132 KV S/S पुरखुल में (1X40 MVA + 1X 20MVA) से (2X40 MVA + 1 X20 MVA) तक वृद्धि।	571.07	-	-	-	-
400 KV D/c लपौरन पीपलकोटी और इसकी 400 KV विद्युत्प्रवाह मजबूतकरण लाइन का LIL O (पैकज-7पी2)	8,073.06	-	-	-	-
132 KV पिल्ला-नजीबाबाद लाइन का तिस्रो 132 KV S/S परतबी (पैकज-2), हरिद्वार में	4,345.97	-	-	-	-
132KV पिल्ला-नजीबाबाद लाइन के LIL O के विभिन्न स्थानों पर रंगा नदी पर राजपुर पिली, हरिद्वार के पास कुरे की नौव का निर्माण।	24,741.97	-	-	-	-
132/33 KV S/S मयारपी (पैकज-1), हरिद्वार का निर्माण	19,358.43	-	-	-	-
400 KV DC पीपलकोटी-श्रीनगर लाइन का निर्माण (पैकज 1- पीपलकोटी से नुकोट)	23,207.23	-	-	-	-
400 KV DC पीपलकोटी-श्रीनगर लाइन का निर्माण (पैकज 2- नुकोट से धनपुर)	1,293.27	-	-	-	-
400 KV DC पीपलकोटी-श्रीनगर लाइन का निर्माण (पैकज 3- धनपुर से बीनगर)	1,110.94	-	-	-	-
220 KV D/C रुद्रपुर (अपरी)-श्रीनगर लाइन (पैकज II राजवा-रुद्रपुर) (सिंगोली-मटवारी लाइन) का निर्माण	4,669.60	-	-	-	-
132 KV डुरकुल-विन्हाल लिंक लाइन	4,472.83	-	-	-	-
विन्हालगढ़ (PGCIL) से D/C टावर पर 132 KV S/S लोहाघाट और 132 KV S/C लाइन - फयाकल (लोहाघाट)	2,057.31	-	-	-	-
220 KV S/S बरम	3,383.43	-	-	-	-
220 KV लोहाघाट - विन्हालगढ़ लाइन का 220 KV S/S बरम पर LIL O	125.63	-	-	-	-
220 KV LIL O लोहाघाट गाली लाइन	97,532.67	-	-	-	-
132KV सिंगारगढ़-विन्हाल लाइन का LIL O (निर्माणाधीन)					
कुल					



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

5 : Other Financial Assets - Non Current			
(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Receivables from UPCL (On Account of Transfer of Operating Assets from UPCL):		
a	Receivables from UPCL (Against unutilized portion of REC & NABARD Loan)	4,229.10	4,229.10
b	Receivable from UPCL (Against stores)	19.45	19.45
c	Receivable from UPCL (Against fund remittances to UPCL)	-	-
d	Receivable from UPCL (OPF Trust)	1,685.69	1,685.69
	Total	5,934.24	5,934.24
2	Trade Receivable		
a	Receivable from BHPL	76.40	93.31
	Total	6,010.64	6,027.55

Note:-

5.1 The amount of "Receivables from Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL)" represents the value of Operating Assets and adjustments made therein pertaining to the business of Transmission of Electricity and State Load Despatch Centre taken over by the Company from UPCL in terms of statutory transfer scheme notified by GoI on 31.05.2004. The amounts are under the process of reconciliation.

5.2 Refer Annexure No. 1 for information of ageing of Trade Receivable from BHPL.

6 : Other Non Current Assets			
(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	MAT Credit	3,973.37	3,924.36
2	Mobilization Advance to contractors / suppliers	2,526.51	2,826.47
	Total	6,499.88	6,750.83

Amount of MAT (Minimum Alternate Tax) Credit represents the income tax paid on book profit of the company of the preceding financial years under the special provisions of the Income Tax Act, 1961 (Section 116 JB), which is eligible for availment to the Company as Income Tax Credit during the following prescribed number of years when the Company will have taxable income under the normal provisions of Income Tax Act 1961.

7 : Inventories			
(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Materials, Stores & Spares	4,443.87	5,540.53
	Total	4,443.87	5,540.53

1. Materials, Stores & Spares as shown above have been procured and held with the Company at different sites / locations but not installed / erected on the date of closing of accounts.

2. The amount of materials, equipments, etc. procured during the year for the construction of the capital assets under the Turnkey Contracts awarded by the Company have been accounted for as CWIP during the year whether these have been erected/ installed or not during the year.



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

5: अन्य वित्तीय आस्तियां – गैर मानु

		(राशि लाख रुपये में)	
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	UPCL से ऋणित (UPCL से गुरुवाली गिरावटियों के हस्तांतरण के कारण)		
a	UPCL से ऋणित (आपूर्ति और गैर-व्यय के अनुकूल हितों के कारण)	4,229.10	4,229.10
b	UPCL से ऋण (अर्थात् के कारण)	19.45	19.45
c	UPCL से ऋण (UPCL को धन देकर के कारण)	-	-
d	UPCL (GPF धन) के कारण	1,685.59	1,685.59
	कुल	5,934.24	5,934.24
2	बायबर धन		
	भारत सरकार	76.40	53.31
	कुल	6,010.64	6,027.55

नोट:-

5.1 'उत्तराखण्ड पावर कोर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) से ऋण' की राशि वैधानिक हस्तांतरण योजना के तहत में कंपनी द्वारा UPCL से ली गई बिजली के ट्रांसमिशन और डेटे लाइन बिजली सेक्टर के विकास में संबंधित वित्तीय प्रवृत्ति और उपलब्ध किए गए समर्थन के पूरा हो प्रतिनिधित्व करती है। GoU द्वारा 31.03.2024 को अधिसूचित किया गया। राशि का निष्पन्न करने की प्रक्रिया चल रही है।

5.2 बैचरपैजेंट से ऋण बायबर की उप करने को जानकारी के लिए अनुलग्नक संलग्न। नोट

6: अन्य गैर मानु आस्तियां

		(राशि लाख रुपये में)	
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	गैर डेबिट	3,973.37	3,924.26
2	उत्प्रेषण/अनुविधायन के अंतर्गत वित्तिय प्रवृत्ति	2,324.51	2,926.47
	कुल	6,497.88	6,750.75

MAT की राशि (मुद्रांतरण वैधानिक कर) कंसेंट बायबर अधिनियम, 1988 (अनुच्छेद 115 JIS) के तहत प्रत्येक वर्ष की तहत निम्नलिखित वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुछ डेबिट पर मुद्रांतरण किए गए बायबर का प्रतिनिधित्व करता है, जो कंपनी को न्याय के लिए प्राप्त है। निम्नलिखित निम्नलिखित वर्षों के दौरान बायबर डेबिट के रूप में प्रत्येक वर्ष की बायबर अधिनियम 1988 के तहत प्रत्येक वर्ष के तहत प्रत्येक वर्ष प्राप्त होती है।

7: इन्वेन्टरी

		(राशि लाख रुपये में)	
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	सामग्री, स्टोर और टूट	4,443.87	5,540.53
	कुल	4,443.87	5,540.53

1. जहां दिखाया गए अनुसार सामग्री, स्टोर और स्टोर की कंपनी के पास विभिन्न साइटों/स्थलों पर धारित और रखा गया है जहां पर धारित धारों को कर करने की प्रवृत्ति या व्यवस्था/व्यवस्था नहीं किया गया है।

2. कंपनी द्वारा प्रदान किया गए टर्नकी अनुकूल के तहत पूर्णतः प्रतिनिधित्व के निर्माण के लिए वर्षों के दौरान कर्तव्यी गई उपस्थिति, प्रत्येक वर्ष की राशि को वर्षों के दौरान की अनुकूलता के रूप में प्रदर्शित में प्रदर्शित किया गया है, यह है वर्षों के दौरान बनाए गए हो या आर्थिक नियंत्रण हो या नहीं।

**POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED**

Notes to Financial Statements

8 : Trade Receivables			
			(Amount in Rs. Lakhs)
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
	Unsecured Considered Good		
1	Uttarakhand Power Corporation Limited. (Recoverable against tariff of Transmission, BLDC and Incentive)	7,835.13	5,062.34
2	Bhilingna Hydro Power Ltd. (BHPL)	32.40	13.54
3	PGCIL for O&M Charges of 400 KV Kashipur Bays	15.78	15.24
4	Central Trans. Utility of India against ISTS Trans. Charges (400 KV Drinagar S/s & lines)	951.54	15,338.02
5	Sundry Debtors for open Access Charges	0.18	0.13
	Total	8,835.03	20,431.27

8.1 The amounts shown as recoverable from UPCL do not include Late Payment Surcharge (LPS) as per the Tariff regulations as the same will be recognized when realised by the company following the accounting policy of the Company in this regard.

8.2 Refer Annexure No. 1 for information of ageing of Trade Receivables of the Company.

8.3 Trade Receivables due to directors or other officers of the company is NIL (Previous Year 2021-22 NIL).



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

B : व्यापार प्राप्ति			
			(राशि लाख रुपये में)
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
	अधुनिक अथवा प्राप्त लागत है		
1	प्राथमिक पावर कॉन्सिशन लिमिटेड; ट्रांसमिशन एक्सपेंडीचर और संरक्षण के तंत्रिक के विकास व्ययों योग	7,835.13	5,062.34
2	विद्युत हाइड्रो पावर लिमिटेड (वीएचपीएल)	32.45	15.54
3	400 KV लाईन पर के ओ एच उपकरण के लिए PGCIL	15.78	15.24
4	पावर को सेंट्रल ट्रांसमिशन प्रोटेक्स्ट (CTU) ड्राइव IATS के लिए ट्रांसमिशन उपकरण (400 कभी सीक्युरिटी एल/एल और लोडिंग)	951.64	15,338.02
5	अवधि एलमिन शुल्क के लिए विविध देयक	0.18	0.13
	कुल	8,835.14	20,431.27

B.1 यूटिलिटीज से प्राप्त योग दर्शाते हैं राशि में तंत्रिक विविधता के अनुसार विविध मुद्रांतर अधिभार (LPS) शामिल नहीं है क्योंकि ड्राइव राशि में अपनी ही लेखांकन नीति का पालन करते हुए अपनी ड्राइव व्ययों को अपने पर भुने राशि से करती है।

B.2 अपनी के व्यापार प्राप्ति की सत बढ़ने की जानकारी के लिए अनुमानित राशि 1 दी है।

B.3 अपनी के निदेशों पर अन्य अधिकारियों के करार व्यापार प्राप्ति शुल्क है (विशेष वर्ष 2021-22 शुल्क)।



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

9: Cash and Cash Equivalent

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
A.	Cash in Hand / Remittances:		
1	Cash-in-Hand (Including Interest)	0.54	0.83
	Total (i)	0.54	0.83
B.	Bank Balances:		
	In Current Accounts:		
1	Punjab National Bank	7,503.31	9,408.68
2	Central Bank of India	16.31	14.87
3	Indian Bank (Earlier/Alahabad Bank)	805.00	574.21
4	Remittances in Transit	39.89	33.26
	Total (ii)	8,364.51	10,036.02
C.	In Fixed Deposits with Banks (FDR):		
1	FDRS having maturity within 3 Months	7,112.00	21,088.00
	Total (iii)	7,112.00	21,088.00
	Total (i+ii+iii)	15,477.05	21,124.85

The Remittances in Transit represent the funds transferred from the Bank accounts maintained at head quarter of the Company to the Bank accounts maintained at the Units / Divisional level, but not received in the accounts of units / divisions on the closing date of the financial statements but it subsequently received by the units/divisions.

10: Other Bank Balances

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	FDRS having maturity of over 3 months to 12 months	37,016.00	12,440.04
	Total	37,016.00	12,440.04

11: Other Financial Assets - Current

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Interest accrued but not due on FDRS	985.18	550.29
2	Loans & Advances to Third Parties	10.17	10.17
	Total	995.35	560.46

12: Other Current Assets

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Mobilization Advance (D&M Works)	53.15	53.37
2	Recoverable from Contractors	320.67	367.15
3	Receivable from UPCL (Against material remittances)	18.09	18.09
4	Advances to Staff	24.04	35.74
5	Security Deposit against Service Tax demand	59.91	59.91
6	Advances to Others	285.94	283.06
7	Income tax Refund Receivable (Net)	1,810.66	653.70
	Total	2,370.44	1,499.71

1. The amount of Security Deposit against Service Tax demand includes the service Tax of Rs. 59.91 lakhs deposited as security in CGSTAT. The Company has filed an appeal with the Custom Excise Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) against the Appellate Order passed by the Commissioner, CGST, Dehradun as per which, demand Service Tax amounting to Rs. 798.78 Lakhs for the financial year 2016-17 to 30.06.2017, has been raised against the Company. As per the laid down norms before filing the appeal before CESTAT, Company has paid Security Deposit @ 10% amounting Rs. 59.91 lakhs on 23.02.2021 (FY 2020-21) of the impugned demand which is subject to the release or adjustment with the tax as may be decided by the CESTAT. The amount of Security paid as such is shown separately in the above Note. The appeal is pending with CESTAT for adjudication.

2. Debt due to directors or other officers of the company is NIL (Previous Year 2021-22 NIL)



पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

9: नकद और नकद समतुल्य

		(राशि लाख रुपये में)	
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
A	बैंक-डन, डेब/क्रेडिट		
1	बैंक-डन बैंक (अवशेष बैंक)	0.54	0.83
	कुल (A)	0.54	0.83
B	बैंक नोट		
	भा.सं. बैंक		
1	पञ्जाब नेशनल बैंक	7,523.31	5,495.98
2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	58.31	14.87
3	इण्डियन बैंक (पूर्ववर्ती इल्लुमिनेट बैंक)	805.00	674.21
4	इण्डियन बैंक	39.89	31.26
	कुल (B)	8,366.51	6,119.02
C	बैंकों के साथ सावधि जमा में (FDRs)		
1	3 नवंबर से 12 नवंबर तक बैंक FDRs	7,112.00	21,068.00
	कुल (C)	7,112.00	21,068.00
	कुल (A+B+C)	15,477.05	27,187.85

बैंक-डन, इण्डियन बैंक के मुख्यालय में रखे गए बैंक खातों से चुनिचुने दिवसों पर बैंक खातों में जमा राशि का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन किसी भी कीमत पर इकाई/पत्रों के खतों में राशि नहीं होता है। विवरण लेकिन बाद में इकाई/पत्रों द्वारा जमा किया जाता है।

10: अन्य बैंक अवरोध

		(राशि लाख रुपये में)	
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	3 नवंबर से 12 नवंबर तक बैंक की खरीददार वाली FDRs	37,016.00	12,440.04
	कुल	37,016.00	12,440.04

11: अन्य वित्तीय आरिक्तियाँ - बालू

		(राशि लाख रुपये में)	
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	बैंक खातों में बैंक FDRs पर बैंक नोट	805.18	500.28
2	लूट प्रॉ. को बच और अंतर	10.17	10.17
	कुल	895.35	510.45

12: अन्य वर्तमान संपत्ति

		(राशि लाख रुपये में)	
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	महिला विकास योजना (एन डी एन एन)	53.15	53.87
2	विकास योजना (एन डी एन एन)	320.67	387.16
3	UPCL व अन्य (अवशेष बैंक के बिल)	16.09	16.09
4	वित्तियन को अंतर	24.04	39.74
5	बैंक खातों की राशि पर अंतर बैंक	09.91	09.91
6	अंतर बैंक अंतर	285.94	283.06
7	अवशेष बैंक खातों (नोट)	1,610.68	653.76
	कुल	2,370.44	1,489.71

1. बैंक खातों के बिलों द्वारा जमा राशि में अंतर का बैंक का तथ्य है: CESTAT ने विवरणों के तहत पर 50.51 लाख रुपये जमा किए गए। कंपनी ने जांच के दौरान, बैंक खातों द्वारा जमा अंतरों के बिलों के अनुसार बिलों द्वारा जमा बैंक खातों के अनुसार (CESTAT) ने जांच के दौरान बैंक खातों की राशि की जांच की है, जिसके अनुसार बैंक खातों की राशि की जांच की है 2018-19 से 2020-21 तक के लिए 158.75 लाख रुपये कंपनी के बिलों के अनुसार जमा किए गए हैं। CESTAT ने बैंक खातों के अनुसार बैंक खातों की राशि की जांच की है, जिसके अनुसार बैंक खातों की राशि की जांच की है 2018-19 से 2020-21 तक के लिए 158.75 लाख रुपये कंपनी के बिलों के अनुसार जमा किए गए हैं। CESTAT द्वारा जांच किए गए बैंक खातों की राशि का सारांश निम्न है: बैंक खातों द्वारा जमा की गई राशि की जांच की जा रही है और बैंक खातों के अनुसार बैंक खातों की राशि की जांच की जा रही है। बैंक खातों की जांच के लिए CESTAT के पास अधिकार हैं।

2. कंपनी के विवरणों का अन्य अधिकारियों के साथ जांच करने में पिछले वर्ष 2021-22 तक।



Annexure 1 to Note 5.2 - Ageing of Trade Receivables (Non Current) as on 31.03.2023

(Amount in Rs. Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
1	Undisputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
2	Undisputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
3	Disputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	76.40	76.40
4	Disputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	76.40	76.40

Annexure 1 to Note 5.2 - Ageing of Trade Receivables (Non Current) as on 31.03.2022

(Amount in Rs. Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	more than 3 years	
1	Undisputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
2	Undisputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
3	Disputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	93.31	93.31
4	Disputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	93.31	93.31



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

नोट 5.2 के लिए अनुलग्नक 1 – 31.03.2023 तक व्यापार प्राप्त (वैर-वर्तमान) की अवधि

(रुपि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से विभाजित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने – 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
1	निविदाएं व्यापार प्राप्त – अग्रिम मान्य जाता है	-	-	-	-	-	-
2	अविदायित व्यापार प्राप्त – संचित करने गए	-	-	-	-	-	-
3	विवादित व्यापार प्राप्त – अग्रिम मान्य जाता है	-	-	-	-	76.40	76.40
4	विवादित व्यापार प्राप्त – संचित करने जाता है	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	76.40	76.40

नोट 5.2 के लिए अनुलग्नक 1 – 31.03.2022 तक व्यापार प्राप्त (वैर-वर्तमान) की अवधि

(रुपि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से विभाजित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने – 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
1	निविदाएं व्यापार प्राप्त – अग्रिम मान्य जाता है	-	-	-	-	-	-
2	अविदायित व्यापार प्राप्त – संचित करने गए	-	-	-	-	-	-
3	विवादित व्यापार प्राप्त – अग्रिम मान्य जाता है	-	-	-	-	93.31	93.31
4	विवादित व्यापार प्राप्त – संचित करने जाता है	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	93.31	93.31



Annexure 1 to Note 8.2 - Ageing of Trade Receivables (Current) as on 31.03.2023

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
1	Undisputed Trade receivables-considered good	8,835.18	-	-	-	-	8,835.18
2	Undisputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
3	Disputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
4	Disputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	Total	8,835.18	-	-	-	-	8,835.18

Annexure 1 to Note 8.2 - Ageing of Trade Receivables (Current) as on 31.03.2022

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	more than 3 years	
1	Undisputed Trade receivables-considered good	20,431.27	-	-	-	-	20,431.27
2	Undisputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
3	Disputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
4	Disputed Trade receivables-considered doubtful	-	-	-	-	-	-
	Total	20,431.27	-	-	-	-	20,431.27



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लि०

नोट 8.2 के लिए अनुसूचक 1 – 31.03.2023 तक व्यापार प्राप्त (वर्तमान) की अवधि

(रुपये लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए रकमा					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने – 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
1	निर्दिष्ट व्यापार प्राप्त – जमा माना जाता है	8,835.18	-	-	-	-	8,835.18
2	अनिर्दिष्ट व्यापार प्राप्त – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-
3	निवृत्त व्यापार प्राप्त – जमा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
4	निवृत्त व्यापार प्राप्त – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
	कुल	8,835.18	-	-	-	-	8,835.18

नोट 8.2 के लिए अनुसूचक 1 – 31.03.2022 तक व्यापार प्राप्त (वर्तमान) की अवधि

(रुपये लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए रकमा					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने – 1 साल	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
1	निर्दिष्ट व्यापार प्राप्त – जमा माना जाता है	20,431.27	-	-	-	-	20,431.27
2	अनिर्दिष्ट व्यापार प्राप्त – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-
3	निवृत्त व्यापार प्राप्त – जमा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
4	निवृत्त व्यापार प्राप्त – संदिग्ध माना जाता है	-	-	-	-	-	-
	कुल	20,431.27	-	-	-	-	20,431.27



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

13: Equity Share Capital			
(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Authorised Share Capital (100,00,000 Equity Shares of Rs. 1000/- each)	1,00,000.00	1,00,000.00
2	Issued, Subscribed and Paid up Capital	72,387.73	63,488.24
	Total	72,387.73	63,488.24
3	7238773 (Previous Year : 6348824) Equity Shares of Rs. 1000/- each, Fully Paid up.		

1. The Company has only one class of equity shares having par value of Rs 1000/- per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

2. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive assets of the company remaining after distribution of preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the Shareholders.

3. The aggregate number of equity shares issued pursuant to contract, without payment being received in cash in immediately preceding last five years ended on March 31, 2023 - Nil (previous period of five years ended March 31, 2022: Nil).

Reconciliation of Nos. of Shares

(Number of Shares)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Opening Equity Shares	63,48,824	57,08,824
2	Add: Number of Shares issued / Subscribed during the year	8,89,949	6,40,000
3	Closing Balance	72,38,773	63,48,824

Details of Shareholders holding more than 5% Shares in the company:

S.No.	Name	Share holding	
1	Governor of State of Uttarakhand	As at 31.03.2023	
		Number of Shares	72,38,766
		% Held	99.99%
		% Change in Shareholding	0.00%
		As at 31.03.2022	
		Number of Shares	63,48,817
		% Held	99.99%
		% Change in Shareholding	0.00%



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

13: इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपि लाख रुपये में)			
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	अधिकृत शेयर पूंजी (100,00,000 रु: 1000/- के इक्विटी शेयर)	1,00,000.00	1,00,000.00
2	जारी, अमिदत और प्रदत्त पूंजी	72,387.73	63,488.24
	कुल	72,387.73	63,488.24
3	7238773 (पिछले वर्ष: 6348824) इक्विटी शेयर रुपये 1000/- के प्रत्येक, पूरी तरह से भुगतान किया गया।		

1. कंपनी के पास 1000 रुपये प्रति शेयर के बराबर मूल्य वाले इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक बारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

2. कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयरों के धारक अधिमान्यता शर्तों के पालन के बाद बची हुई कंपनी की संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण सेवधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

3. 31 मार्च, 2023 को समाप्त पिछले पांच वर्षों में अनुक्रम के अनुसार जारी किए गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या, नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना - शुद्ध (31 मार्च, 2022 को समाप्त पांच वर्षों की पिछली अवधि: शुद्ध)।

शेयरों की संख्या का गितान

(शेयरों की संख्या)			
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	आरम्भिक इक्विटी शेयर	63,48,824	57,08,824
2	जोड़ें वर्ष के दौरान जारी/अमिदत किए गए शेयरों की संख्या	8,89,949	6,40,000
3	अन्तिम अवशेष	72,38,773	63,48,824

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

क्र.सं.	नाम	शेयर होल्डिंग
1	उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल	31.03.2023 तक
		शेयर की संख्या 72,38,766
		% हिस्सेदारी 99.99%
		संयोज्यता में % परिवर्तन 0.00%
		31.03.2022 तक
		शेयर की संख्या 63,48,817
		% हिस्सेदारी 99.99%
		संयोज्यता में % परिवर्तन 0.00%



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

14: Other Equity

		(Amount in Rs. Lakhs)	
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
A	Capital Reserve		
1	Capital Reserve	19,188.80	19,188.80
	Total (A)	19,188.80	19,188.80
B	Retained Earnings		
1	Opening Balance	33,034.29	29,222.05
2	Total comprehensive income for the current year	1,711.67	3,800.85
3	Other comprehensive income (Prior Period Items)	(78.95)	-
4	Income Tax adjustments of earlier years	-	11.80
5	Dividend & Tax thereon	(500.00)	-
	Total (B)	34,167.00	33,034.29
C	Share Application Money pending Allotment		
1	Opening Balance	2,000.00	6,400.00
2	Application Money Received during year	6,899.49	2,000.00
3	Shares allotted during the year out of the available application money	(6,899.49)	(6,400.00)
	Total (C)	-	2,000.00
	Total (A+B+C)	53,355.80	54,223.10

1. The company has sufficient Authorised share capital to cover the issue of equity shares against application money.
2. During the year 2022-23, the Company has paid final dividend for the year 2021-22 @ Rs.7.63 per equity share of par value Rs 1000/- each.
3. The Company was incorporated on 27.05.2004 as a separate company under Company's Act, 1956 and assigned separately the business of Transmission of Electricity and State Load Dispatch Centre (SLDC) function in the state of Uttarakhand (formerly Uttaranchal). The Scope of the Business, Assets & Liabilities of the said entity and other incidental & consequential matters were laid down in the detailed transfer scheme notified by the Govt. of Uttaranchal vide Notification No. 86/1/2004-06(3) 2003 dated 31.05.2004 and 87/1/2004- 06(3) 2003 dated 31.05.2004. The Capital Reserve amounting to Rs. 19188.80 Lakhs (Previous year Rs. 19188.80 Lakhs), as shown represents the value of Assets in excess of Liabilities taken over by the Company from UPCL as Opening Balances in terms of the aforesaid Transfer Scheme.



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

14: अन्य इक्विटी

		(रुपि लाख रुपये में)	
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
A	संपत्ति कोष		
1	संपत्ति कोष	19,188.80	19,188.80
	कुल (A)	19,188.80	19,188.80
B	प्रतिभारित कमाई		
1	प्रारंभिक प्रभा	33,034.29	29,222.05
2	घातु वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	1,711.67	3,800.65
3	अन्य व्यापक आय (पूर्व अद्ययि नहीं)	(78.96)	-
4	पिछले वर्षों के आधुनिक संशोधन	-	11.83
5	लाभाना और उस पर कर	(500.00)	-
	कुल (B)	34,167.00	33,034.29
C	शेयर आवेदन राशि आवंटन हेतु लब्धित		
1	प्रारंभिक आवेदन	2,000.00	6,400.00
2	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	6,899.49	2,000.00
3	उपलब्ध आवेदन राशि में से वर्ष के दौरान आवंटित शेयर	(8,899.49)	(6,400.00)
	कुल (C)	-	2,000.00
	कुल (A+B+C)	53,355.80	54,223.10

- कंपनी के पास आवेदन धन के बदले इक्विटी शेयरों के मुद्दे को रकब करने के लिए पर्याप्त अधिकृत शेयर मुंजी है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लाभाना का पुनर्गणन रु. 1,000/- के बराबर मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 7.83 की दर से किया है।
- कंपनी को 27.05.2004 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक अलग कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और अलग से उत्तराखण्ड राज्य (पूर्व में उत्तरांचल) में बिजली के ट्रांसमिशन और स्टेट लोड डिस्चार्ज सेंटर (SLDC) के कार्य को सौंपा गया था। उक्त इकाई के व्यवसाय, संपत्ति और देनदारियों का दायारा और अन्य प्रारंभिक और परिणामी मामले सरकार द्वारा अधिसूचित विस्तृत हस्तान्तरण योजना में निर्धारित किए गए थे। उत्तरांचल की अधिसूचना संख्या 88/1/2004-06(3) 2003 दिनांक 31.05.2004 और 87/1/2004-06(3) 2003 दिनांक 31.05.2004 द्वारा। कंपिटल रिजर्व की राशि रु. 19,188.80 लाख (पिछले वर्ष 19,188.80 लाख रुपये), जैसा कि दिखाया गया है, उक्त हस्तान्तरण योजना के अनुसार मुपीसीएल से कंपनी द्वारा ली गई देनदारियों से अधिक संपत्ति के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

15 : Borrowings - Non Current Liabilities

(Amount in Rs. Lakh)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
A	Term Loans - Secured		
1	Loans from Rural Electrification Corporation (REC)	37,500.39	38,257.51
2	Loans from Power Finance Corporation (PFC)	50,192.36	44,118.08
3	Loans from NABARD	1,919.17	1,586.88
4	Loans from Govt. of Uttarakhand under Asian Development Bank (ADB) Scheme	17,851.33	17,851.33
	Total (A)	1,07,463.25	1,01,814.10
Less:	Short Term Borrowings (Note 20)		
1	Current Maturity of Long Term Loans		
a	- REC	5,512.62	4,570.04
b	- PFC	3,250.05	1,550.87
c	- NABARD	62.16	-
	Total (B)	8,824.83	6,121.71
	Total (A-B)	98,638.42	95,692.39

1. The company has received funds from GoU under funding scheme of Asian Development Bank (ADB) for the construction and implementation of the ISTS project of Company at Srnagar in the State of Uttarakhand. As per the agreements executed in this behalf among GoI, GoU & ADB, the transfer of funds to the Uttarakhand State by the Government of India shall be in with its normal arrangements for transfer of external assistance to the State (90:10 Grant/Loan basis) as per current policy of India's central assistance to the States through ADB loans. Considering the same, the company had accounted for the funds received from GoU under the ADB financial assistance in the proportion of grant and loan as 90% & 10% respectively and accordingly had shown as such in its financial statements till the financial year 2018-19. However, the GoU has issued sanction letter toward the disbursement of the aforesaid funds under the head "Loans" and further GoU vide its letter no. 1438 1(2)/2020-07(1)/18/2018 dated 20.11.20 has clarified its decision that the said funds are 100% Loan to the Company @Nil rate of interest. Accordingly during the financial year 2019-20, the company made necessary adjustments in the amounts of grants and loans under ADB financing in the financial year 2019-20. Therefore the funds received from GoU under the ADB funding have been shown as 100% Loan with Nil rate of interest.

2. Out of the amount outstanding against the loans from REC and PFC as shown above, a sum of Rs. 8824.83 Lakh (Previous year Rs. 6121.71 Lakh) is due for repayment during the period of 12 months which has been shown under Note 20.



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

15 : उधार – गैर भालू देयताएं

		(सभी लाख रुपये में)	
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
A	सार्वजनिक ऋण – सुरक्षित		
1	राष्ट्रीय विद्युतकलप निगम (आरवीसी) से ऋण	37,500.39	38,257.81
2	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) से ऋण	60,192.36	44,118.06
3	लाभार्ही से ऋण	1,919.17	1,586.68
4	एचआई विकास बैंक (एचवीबी) योजना के तहत उत्तराखण्ड सरकार से ऋण	17,851.33	17,851.33
	कुल (A)	1,07,463.25	1,01,814.10
धराया	दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता (नोट 20)		
1	दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता		
a	- आरवीसी	5,512.62	4,570.64
b	- पीएफसी	3,250.05	1,550.87
c	- लाभार्ही	62.16	-
	कुल (B)	8,824.83	6,121.71
	कुल (A-B)	98,638.42	95,692.39

- कंपनी को उत्तराखण्ड राज्य में बीएसए ने कंपनी की आईएसटीएस परिशिष्टता के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एचआई विकास बैंक (एचवीबी) की वित्त प्रेमल योजना के तहत GoU से धन प्राप्त हुआ है। भारत सरकार और एचवीबी के बीच इस संझ में निश्चितित संझझीतों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को धन का प्रस्तावित रूप से बाझरी सझझता को प्रस्तावित करने के लिए अपनी सामान्य व्यवस्था के अनुसार होगा (50:10 अनुदान : ऋण अझझर) एचवीबी ऋणों के सझझन से सझझन को सझझन की सझझन नीति के अनुसार। धरी को धन ने सझझन हुए, कंपनी ने अनुदान और ऋण के अनुदान में एचवीबी वित्तीय सझझता के तहत GoU से प्राप्त धन को ऋण 1: 90% और 10% के सझझन से ऋण एवं अनुदान के सझझनगत में किया गया था और सझझनगत वित्तीय वर्ष 2018-19 तक अपने वित्तीय विवरणों में इस तरह दिखाया था। सझझन, भारत सरकार ने अपने वर्ष का 1438 (2)/2020-07(1)/18/2016 दिनांक 20.11.20 ने अपने निर्देश को सझझन किया है कि वक्त निर्दिष्ट कंपनी को 100% ऋण सझझन की सझझन सझझन है। सझझनगत, पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-20 में एचवीबी वित्तप्रेमल के तहत अनुदान और ऋण की सझझन में सझझनगत सझझनगत किया। इसलिये एचवीबी पझझन से तहत GoU से प्राप्त सझझनगत को सझझन सझझनगत से सझझन 100% ऋण के सझझन में विधायन गया है।
- करर सझझन अनुसार आरवीसी और पीएफसी के ऋणों के वित्तगत सझझनगत सझझन में से रु. 8824.83 लाख (पिछले वर्ष 6121.71 लाख रुपये) 12 सझझन को सझझन के सझझन पुनर्गुप्तन के लिए सझझनगत है जिसे नोट 20 के तहत दिखाया गया है।



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

Statement of Loans:

S.No.	Particulars	Repayment Period		Interest Rate during 2022-23	Secured by	Amount in Rs. Lakhs	
		Start Date	Completion Date			As at 31-03-2022	As at 31-03-2023
a.	Bank Current, Recurrent & Term Loans						
b.	Loan from REC						
1	REC IV Scheme No 146009	10-06-2014	12-06-2014	9.00% - 11.00%	Hydroelectric existing Future Assets	100.00	89.14
2	REC IV Scheme No 1183637	18-12-2014	18-12-2020	9.00%	-	162.40	148.27
3	REC IV Scheme No 1184762/13M KV Baramati Panchayat Line and Canal at 15km on 120 KV S/S Parbhani	10-07-2016	10-07-2020	9.00%	-	92.78	171.85
4	REC IV Scheme No 1184787/Construction of HT Building	18-09-2016	18-09-2020	9.00%	-	894.00	486.31
5	REC Capital R&M Scheme No 1190000 Augmentation of 200 KV S/S Rajahmundry	18-09-2016	18-09-2020	9.00%	-	201.28	186.31
6	REC Capital R&M Scheme No 1190011 Strengthening of 110KV/13KV affected S/S and Line at Gidderoi	18-10-2016	18-10-2020	9.00%	-	56.40	70.26
7	REC Capital R&M Scheme No 1190020 Strengthening of 110KV/13KV affected S/S and Line at Gidderoi	18-10-2016	18-10-2020	9.00% - 9.50%	-	88.48	177.67
8	REC Capital R&M Scheme No 1190021 Strengthening of 110KV/13KV affected S/S and Line at Gidderoi	18-10-2016	18-10-2020	9.00% - 11.00%	-	102.14	146.57
9	REC Capital R&M Scheme No 1190022 Capital R&M work of S/S & line, 110KV/13KV/0.6KV S/S Rajahmundry	18-09-2017	18-09-2020	9.00% - 11.00%	-	90.77	137.83
10	REC Capital R&M Scheme No 1190024 Capital R&M work of S/S & line, 110KV/13KV/0.6KV S/S Rajahmundry	18-09-2017	18-09-2020	9.00% - 11.00%	-	121.00	182.88
11	REC Scheme No 6741 (REC IV) Canal of 200 KV S/S Panchayat Haridwar	18-09-2016	18-09-2020	9.00% - 11.00%	-	2,076.76	2,488.49
12	REC Scheme No 7567 (REC IV) Canal of the 110KV S/S S/S Dahanu PQCL, S/S Dahanu Dahanu S/S	18-09-2020	18-09-2024	9.00% - 11.00%	-	104.74	206.14
13	REC S/S No 7686 (Procur. & Exec of 200KV/11KV, along with 220 KV S/S line at 220 KV S/S Part 2)	18-09-2016	18-09-2020	9.00% - 10.00%	-	541.40	446.71
14	REC 8938 (Canal of 132 KV S/S line on G.C. water from Ranthambhag)	18-09-2020	18-09-2024	9.00% - 11.00%	-	2,020.08	2,071.31
15	REC 8937 (Increasing capacity of 200 KV S/S S/S JCL, Haridwar from 110KV)	18-11-2019	18-11-2020	9.00%	-	304.00	478.88
16	REC 8938 (Canal of 132 KV S/S line on G.C. water from Ranthambhag)	18-11-2019	18-11-2020	9.00% - 10.00%	-	676.48	774.78
17	REC 8939 (Canal of 132 KV S/S line on G.C. water from Ranthambhag)	18-11-2019	18-11-2020	9.00% - 11.00%	-	281.07	580.34
18	REC 8940 (Canal of 132 KV S/S line on G.C. water from Ranthambhag)	18-11-2019	18-11-2020	9.00% - 11.00%	-	661.70	903.87
19	REC 8941 (Canal of 132 KV S/S line on G.C. water from Ranthambhag)	18-11-2019	18-11-2020	9.00% - 11.00%	-	1,400.48	1,507.36
20	REC 8942 (Canal of 132 KV S/S line on G.C. water from Ranthambhag)	18-11-2019	18-11-2020	9.00%	-	305.00	380.70
21	REC 8943 (Canal of 132 KV S/S line on G.C. water from Ranthambhag)	18-11-2019	18-11-2020	9.00% - 10.00%	-	664.71	917.94
22	REC 8944 (Canal of 132 KV S/S line on G.C. water from Ranthambhag)	18-11-2019	18-11-2020	9.00% - 11.00%	-	703.44	796.86
23	REC Scheme No 8471	18-09-2017	18-09-2020	9.00% - 11.00%	-	178.00	206.70
24	REC Scheme No 8472	18-09-2017	18-09-2020	9.00% - 11.00%	-	4,070.24	2,561.88
25	REC 4901 (Canal of 132KV KV (200KV/11KV) S/S S/S line along with 200 KV/0.6KV S/S Rajahmundry)	18-09-2020	18-09-2024	9.00% - 10.00%	-	1,300.70	4,546.20
26	REC 4798 (Increasing Capacity of 132KV/11KV S/S Rajahmundry)	18-09-2020	18-09-2024	9.00% - 10.00%	-	676.48	676.48
27	REC 4799 (Increasing Capacity of 132KV/11KV S/S Rajahmundry)	18-09-2020	18-09-2024	9.00% - 10.00%	-	4,000.00	4,546.20
28	REC 19650 (Construction of 132KV S/S line on T.D. S/S line from Lachar to Vijay Dahanu)	18-11-2022	18-11-2024	9.00% - 10.00%	-	270.20	388.81
29	REC 19790 (Augmentation of 61 KV/11KV S/S line from 132KV/11KV S/S Rajahmundry)	18-09-2020	18-09-2027	9.00% - 10.00%	-	384.40	388.81
30	REC 19851 (110KV/13KV S/S line from 200KV/11KV S/S Rajahmundry)	18-09-2020	18-09-2027	9.00% - 10.00%	-	384.40	388.81
31	REC 19852 (110KV/13KV S/S line from 200KV/11KV S/S Rajahmundry)	18-09-2020	18-09-2027	9.00% - 10.00%	-	1,24.00	124.00
32	REC 19144	18-10-2022	18-10-2027	9.00% - 10.00%	-	500.00	416.71
33	REC 19145	18-10-2022	18-10-2027	9.00% - 10.00%	-	477.00	371.30
34	REC 19146 (Additional Loan 19146)	18-09-2021	18-09-2027	9.00% - 10.00%	-	175.00	181.30
35	REC 19147 (Additional Loan of 19147)	18-09-2021	18-09-2027	9.00% - 10.00%	-	4,070.24	2,546.78
36	REC 19148 (Canal of 132KV/11KV S/S line on T.D. S/S line from Lachar to Vijay Dahanu)	18-11-2022	18-11-2024	9.00%	-	27.18	-
37	REC 19149 (Supply and installation of 40 KV/13KV S/S line on T.D. S/S line from Lachar to Vijay Dahanu)	18-11-2022	18-11-2024	9.00%	-	207.18	-
Total (2022)						27,076.26	18,071.91

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

विशेष विवरणों के लिए नोट्स

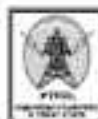
३५५

[illegible]



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

S.No.	Particulars	Repayment Period		Interest Rate during 2021-22	Secured by	(Amount in Rs. Lakhs)	
		Start Date	Completion Date			31-03-2022	31-03-2023
30	Loan from PFC						
1	PFC LOAN No. 06020015/LOAN for financing part for replacement of 400KV Lines from 75.50 to 80.00 km	15-12-2015	15-07-2021	—	Hypothecation relating to the Assets	—	—
2	PFC LOAN No. 05030003/REV for Various Divisions of PTCUL, Loan Amount Rs.54.14 Crore	15-01-2012	15-12-2027	9.00%	—	829.75	1,004.41
3	PFC LOAN No. 06030013 (PFC II)	15-04-2014	15-04-2024	9.20% to 11.20%	—	1,269.47	3,119.22
4	PFC LOAN No. 06030023	15-04-2014	15-04-2021	10.10%	—	81.55	90.27
5	PFC LOAN No. 06030028	15-04-2014	15-04-2021	10.10%	—	185.30	192.41
6	PFC LOAN No. 06030027	15-04-2014	15-12-2024	10.10%	—	196.88	219.88
7	PFC LOAN No. 06030029	15-12-2015	15-12-2029	10.10%	—	34.24	95.88
8	PFC LOAN No. 06030030	15-07-2014	15-04-2021	10.10%	—	47.50	47.19
9	PFC LOAN No. 06030012	15-07-2014	15-04-2024	10.10%	—	361.35	320.19
10	PFC LOAN No. 06030014	15-04-2017	15-04-2027	10.10%	—	188.45	357.95
11	PFC LOAN No. 06030034	15-04-2017	15-04-2027	—	—	—	—
12	PFC LOAN No. 06030019	15-04-2017	15-04-2027	9.20%	—	794.80	597.35
13	PFC LOAN No. 06030018	15-01-2018	15-12-2027	10.10%	—	551.76	368.78
14	PFC LOAN No. 06030013 (Consol. of 600 MVA, 132/220 KV G.S. S.S. Based Loan)	15-04-2012	15-04-2027	9.00% to 10.00%	—	3,798.89	4,009.47
15	PFC LOAN No. 06030011 (Consol. of 3,600 MVA, 600 S.S. Himalaya & Associated Lines)	14-04-2014	15-04-2024	9.00% to 10.50%	—	3,229.51	3,503.17
16	PFC LOAN No. 06030033 (Procurement & Construction of HTLS Conductors for 132KV Roorkee-Deer Line)	14-04-2014	15-04-2024	9.20% to 10.70%	—	1,289.28	1,788.81
17	PFC LOAN No. 06030034 (Procurement & Construction of HTLS Conductors for 132KV Roorkee-Nalgonda Line)	14-04-2014	15-04-2024	9.00% to 10.20%	—	442.73	427.87
18	PFC LOAN No. 06030038 (Consol. of 132/220KV Pauranji-Patnanchal)	15-04-2014	15-04-2024	9.20% to 10.20%	—	2,147.82	2,723.28
19	PFC LOAN No. 06030034 (Consol. of Kuratwala-Ramnagar-Ghagra 400KV D.C. Transmission Line)	15-01-2014	15-12-2024	9.00% to 11%	—	16,797.89	13,527.76
20	PFC LOAN No. 06030046 (Consol. of 132KV D.C. Roorkee-Chandigarh Regional Transmission Line)	15-01-2014	15-04-2024	9.20% to 11.20%	—	11,446.81	11,055.81
21	PFC LOAN No. 06030030 (Augmentation of initial capacity of 132/220 KV D.C. in Durgam Chak)	15-12-2015	15-07-2029	9.00% to 10.20%	—	421.41	339.48
22	PFC LOAN No. 06030033 (Augmentation of initial capacity of 132/220KV Jambhathapur 50 km Durgam Chak)	15-07-2015	15-04-2026	9.00% to 10.20%	—	371.28	369.22
23	PFC LOAN No. 06030047 (Augmentation of 132KV from 200MVA to 300MVA MVA & cost of line, bay at 50% to 100%)	15-04-2016	15-01-2027	9.20% to 10.20%	—	171.80	198.28
24	PFC LOAN No. 06030048 (Augmentation of 132KV line in capacity of an old transmission line from Panchsagar)	15-12-2015	15-07-2029	9.00% to 10.20%	—	382.34	377.64
25	PFC LOAN No. 06030035 (Procurement of selected 40 tons of HTLS to S.S. Based)	15-01-2017	15-12-2022	10.00%	—	184.31	308.60
26	PFC LOAN No. 06030026 (Procurement of 200-ton Rollback Trucks & Chassis Trucks line in THDC)	15-12-2015	15-07-2029	9.00% to 10.20%	—	169.27	178.68
27	PFC LOAN No. 06030037 (Supply line and Test & Comm. of 100MVA Trans. at 400 KV S.S. Sampat)	15-01-2016	15-12-2026	9.00% to 10%	—	669.84	79.68
28	PFC LOAN No. 06030043 (Construction of 11 kV, 132KV Bay for 132 KV / S.S. Badli)	15-12-2015	15-07-2029	9.00%	—	34.21	30.19
29	PFC LOAN No. 06030038 (Consol. of 1 kV, 11 kV Bay & sub. for 200 MVA line at 400 Kaskara)	15-01-2016	15-12-2026	9.00% to 10%	—	84.80	37.44
30	PFC LOAN No. 06030039 (Augmentation of initial capacity of 132/220 KV line & associated work)	15-12-2015	15-07-2029	9.00%	—	81.37	198.23
	Total					35,132.23	46,118.88
31	Loan from SBI						
1	SBIARD 661	31-12-2012	30-09-2024	9.75%	—	1,819.52	1,478.22
2	SBIARD 669 (Himalayan Advance)	31-03-2014	31-12-2024	9.75%	—	184.85	338.65
	Total					1,819.52	1,478.22
32	Loan from GIC under Short Development Bank (SDB)						
1	Loans from GIC under SDB Scheme	Terms & Conditions for loan repayment set by GIC		9%	SBI	17,867.38	17,867.38
	Total					17,867.38	17,867.38
	Total Short term Loans					17,867.38	17,867.38
1	Current Maturity of Long term Loans					8,858.81	46,131.71
	LOANS OUTSTANDING					34,628.41	80,002.59

[illegible]



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

16 : Other Financial Liabilities - Non Current

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Payables to UPCL (on Account of Transfer of Opening Liabilities from UPCL):		
a	Payable to UPCL (Against fund remittances by UPCL, Int on REC, NABARD Loan paid by UPCL)	1,649.32	1,649.32
b	Payable to UPCL (Against Pension Contribution)	598.37	568.37
c	Payable to UPCL (SLDC Share)	1,500.07	1,500.07
	Total	3,747.76	3,717.76
2	Security Deposit / EMD	618.32	645.74
3	Retention Money	11,892.72	18,038.74
4	Liability against PSDF Grants	216.48	200.18
5	Liability against PMO (ADB)	722.63	722.63
	Total	17,197.91	23,355.06

1. The amount under S.No. 1, "Payables to UPCL (on Account of Transfer of Opening Liabilities from UPCL)" represents the adjustments made in the opening balances of assets and liabilities pertaining to the business of Transmission of Electricity and State Load Despatch Centre taken over by the company from UPCL in terms of statutory transfer scheme notified by Govt on 31.05.2004. The amounts are under the process of reconciliation.

2. The Liability against PSDF Grants represents the interest earned from the unutilized funds of the grant held with bank, since as per the scheme of PSDF, the said interest is due for refund to Govt of India at the time of disbursement of the last instalment under PSDF Scheme to the Company.

17 : Long Term Provisions

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Provision for leave encashment	481.73	396.77
2	Provision for Gratuity	48.02	986.12
	Total	529.75	1,382.89

The company has been making provision for leave encashment for all the employees including who were transferred from erstwhile UPSEB / UPCL in terms of Transfer Scheme and gratuity for the employees who have joined after the incorporation of the company based on Actuarial Valuation done by LIC of India and has been releasing the payments on yearly basis to LIC of India which maintains the separate funds for Leave encashment and Gratuity in order to pay the leave encashment and gratuity to the said employees on their retirement resignation as the case may be. The above amounts of provisions have been shown net of contributions paid by Company to LIC of India till 31.03.23.

18 : Deferred Tax Liabilities (DTL) / Deferred Tax Assets (DTA)

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
A	Deferred Tax Liability/ (Deferred Tax Assets)		
1	Properties, Plants & Equipments	1,503.63	1,224.28
2	Others (LE/Gratuity/ Bonus)	1.87	108.27
	Net Deferred Tax Liability	1,505.50	1,332.55

Movement in Deferred Tax Liability:

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	Amount	Net DTA / (DTL)
	Balance as at 01.04.2021 - Net	1,172.16	DTL
	Recognised in Statement of Profit & Loss for the financial year 2021-22	160.39	
	Balance as at 31.03.2022	1,332.55	DTL
	Recognised in Statement of Profit & Loss of current financial year	172.95	
	Balance as at 31.03.2023 - Net	1,505.50	DTL



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

16: अन्य वित्तीय दायित्व - गैर चालू

		(राशि लाख रुपये में)	
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	UPCL को डेन (UPCL से गुप्तकारी वेबसाइटों के इस्तेमाल के कारण)		
a	UPCL को डेन (UPCL द्वारा फन डेन के किराये अर्द्धवर्षीय या वार्षिक UPCL द्वारा जारी किए गए अनुमान)	1,649.32	1,649.32
b	UPCL को डेन (विमान अडवांस के किराये)	598.37	598.37
c	UPCL को डेन (एयरलाइनी डेन)	1,500.07	1,500.07
	कुल	3,747.76	3,747.76
2	पूरा जमा/ईएनटी	618.32	645.74
3	अनिवार्य धन	11,892.72	18,038.74
4	वैधानिक अनुदान के विपक्ष इवेंट्स	216.46	200.16
5	पैरामो (एडीए) के विपक्ष दायित्व	722.63	722.63
	कुल	17,197.91	23,355.05

1. क्र.सं. 1 के अंतर्गत राशि "गुप्तकारी वेबसाइटों के डेन" के तहत (गुप्तकारी वेबसाइटों के इस्तेमाल के कारण) कंपनी द्वारा UPCL से किए गए विमानों के ट्रांसमिशन और स्टेट लॉक डिस्पैच सेंटर के कारोबार से संबंधित परिस्थितियों और वेबसाइटों के गुप्तकारी डेन से किए गए समझौते का प्रतिनिधित्व करती है। 31.03.2024 को भारत सरकार द्वारा अधिभुक्त राशिगत अंतरण योजना के तहत वेबसाइटों का निस्तार करने की प्रक्रिया चल रही है।

2. वैधानिक अनुदानों को प्रति प्राथमिक डेन के तहत दायित्व अंतरण की अनुपेक्ष विधि से अंतिम ब्याज को दर्शाता है क्योंकि वैधानिक अनुदानों की योजना के अनुसार एक ब्याज लागत सरकार को प्रतिनिधित्व के विपक्ष के समग्र दायित्वों के लिए देव है। कंपनी को वैधानिक अनुदानों की योजना के अनुसार एक ब्याज लागत सरकार को प्रतिनिधित्व के विपक्ष के समग्र दायित्वों के लिए देव है।

17: दीर्घकालीन प्रावधान

		(राशि लाख रुपये में)	
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	छुटी नकदीकरण का प्रावधान	481.73	396.77
2	अप्रदान के लिए प्रावधान	46.02	986.12
	कुल	529.75	1,382.89

कंपनी उन सभी कार्यवाहियों के लिए छुटी नकदीकरण का प्रावधान कर रही है, जिनसे तत्कालीन एडिशनल/UPCL से स्थापित करने के तहत वेबसाइटों के लिए वेबसाइटों के लिए प्रावधान किया गया है, जो एलआईटी और इंडिया द्वारा किए गए एडिशनल वेबसाइटों के अंतर पर कंपनी के निगम के तहत शामिल हुए हैं। और एलआईटी और इंडिया को वार्षिक ब्याज पर प्रदान जारी कर रहा है जो अवकाश नकदीकरण और वेबसाइटों के लिए अंतर-अंतर सब रकमा है तब तक जब कार्यवाहियों को कंपनी वेबसाइटों/स्थापन सेवा में समाप्त हो, छुटी नकदीकरण और वेबसाइटों का प्रदान किया जा सके। प्रावधानों की उपरोक्त राशियों को कंपनी द्वारा तत्कालीन जीवन सेवा निगम को 31.03.23 तक प्रदान किए गए अंतरों को आधार दिखाया गया है।

18: आस्थगित कर देयताएं (बीटीएल)/आस्थगित कर परिसंपत्तियां (बीटीए)

		(राशि लाख रुपये में)	
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
4	आस्थगित कर देयताएं (आस्थगित कर संपत्ति)	1,503.63	1,224.28
1	भुट, ताम्र और उपकरण	1.87	108.27
2	जम (अस्थगित नकदीकरण/वेबसाइट/अंतर)	1,505.58	1,332.55
	कुल आस्थगित कर देयता		

आस्थगित कर देयता में आंदोलन:

क्र.सं.	विवरण	राशि	कुल बीटीए/ (बीटीएक)
01.04.2021 को शेष - निराल		1,172.16	बीटीएक
क्रिडिबल 2021-22 के लिए लागू और इति के विवरण में बाका राशि		160.39	बीटीएक
31.03.2022 तक शेष राशि		1,332.55	बीटीएक
बालू वित्तीय वर्ष के लागू और इति के विवरण में बाका राशि		172.95	बीटीएक
31.03.2023 तक शेष - निराल		1,505.58	बीटीएक

**POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED****Notes to Financial Statements****19 : Other Non Current Liabilities**

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Contribution towards Deposit Works	7,458.02	8,144.06
2	Deferred Revenue Grants from Central Govt. (PSDF)	6,987.20	7,399.33
	Total	14,445.22	15,543.39

1. The company executes the Deposit works out of the funds (Deposits) received from the departments / agencies on whose behalf such works are executed by the company. After the completion of said works, the amount equivalent to the value of asset created is reduced from the current liability of deposit work (i.e. against the amounts received from departments as shown in Note 21) and the value of Grant is increased proportionately (i.e. liability towards grant is created). The grant so created is reduced proportionately on yearly basis to the extent of depreciation applicable on the said assets and is credited to Statement of Profit & Loss and the balance remaining is shown as "Contribution towards Deposit Works" as shown in this note.

2. The Company is availing the Grants from the Central Govt. under the PSDF Scheme for the purpose of Construction of Transmission Assets and Augmentation/ Replacement/ Modernization of the existing Transmission Assets. After the completion of said works, the amount equivalent to the value of asset created is reduced the current liability of PSDF work and the value of Grant is increased proportionately. The grant so created is reduced proportionately on yearly basis to the extent of depreciation applicable on the said assets and is credited to the Statement of Profit & Loss and the balance remaining is shown as "Deferred Revenue Grant from Central Govt. (PSDF)" as shown in this note.

20 : Short Term Borrowings

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Loans from Rural Electrification Corporation (REC)	5,512.62	4,570.64
2	Loans from Power Finance Corporation (PFC)	3,250.05	1,550.87
3	Loans from NABARD	62.16	-
	Total	8,824.83	6,121.71

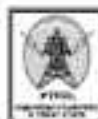
21 : Other Financial Liabilities - Current

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Security Deposit / EMD & Retention Money against Works and Supplies	569.77	524.82
2	Liability towards Deposit works	19,466.36	18,263.70
3	Liability towards PSDF works	2,835.91	2,835.91
4	Interest Accrued but not due on Borrowings	1,105.15	1,016.19
5	Payable to Employees (Against Salary and other expenses)	1,583.91	1,098.25
6	Payable to UPCL against Material Supply	19.74	19.74
	Total	25,580.86	23,758.61

22 : Trade Payable

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Payable to Contractors and Third parties against Supplies/Works	2,256.93	3,318.68
2	Payable to MSME	1,238.12	520.08
	Total	3,495.05	3,838.76

22.1. Refer Annexure No. 1 for information of ageing of Trade Payables of the Company



पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

19 : अन्य बैंक ऋण देयताएं

(राशि लाख रुपये में)			
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	अन्य बैंकों से ऋण	7,458.02	8,144.06
2	संयुक्त ऋण से आधुनिक ऋण (सीएलईएल)	8,987.20	7,399.33
	कुल	14,445.22	15,543.39

1. कंपनी अन्य विभागों/एजेंसियों से प्राप्त वसुली (अन्य) से अन्य बैंकों को विधायित करती है जिसकी और से कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों को विधायित किया जाता है। उक्त बैंकों के पूरा होने के बाद, बचत गई राशि के मुद्दों के बचत राशि को अन्य बैंकों की वर्तमान देयता से कम कर दिया जाता है (अर्थात् विभागों से प्राप्त राशि के बिकल जैसा कि नोट 21 में दिखाया गया है) और अनुदान का मूल अनुवर्तिका रूप से बढ़ जाता है (अर्थात् देयता) अनुदान की दिशा में बनाया गया है। इस प्रकार बनाया गया अनुदान उक्त परिस्थितियों पर लागू मुख्यतः की सीमा तक वार्षिक अक्षर पर अनुवर्तिका रूप से कम किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में कम किया जाता है और बैंक राशि को 'अन्य बैंकों के लिए ऋण' के रूप में दिखाया जाता है जैसा कि इस नोट में दिखाया गया है।

2. कंपनी को संयुक्त ऋण से अनुदान प्राप्त हो रही है। हालांकि वित्तीय विवरणों के निर्माण और लेखन ट्रांसमिशन वित्तीय विवरणों के विवरण/प्रतिपादन/आधुनिकीकरण के उद्देश्य से पैरवर्तिका योजना के अंतर्गत, उक्त बैंकों के पूरा होने के बाद, निर्मित परिस्थिति के मुद्दों के बचत की राशि पैरवर्तिका बैंकों की वर्तमान देयता में से कम हो जाती है और अनुदान का मूल अनुवर्तिका रूप से बढ़ जाता है। इस प्रकार बनाया गया अनुदान को वार्षिक अक्षर पर अनुवर्तिका रूप से उक्त परिस्थितियों पर लागू मुख्यतः की सीमा तक कम कर दिया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में कम किया जाता है और बैंक राशि को इस नोट में 'कई अनुदान (पैरवर्तिका) से आधुनिक ऋण अनुदान' के रूप में दिखाया जाता है।

20 : अल्पवधि ऋण

(राशि लाख रुपये में)			
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	राजीव विद्युत निगम निगम (आईसी) से ऋण	5,512.62	4,570.84
2	पावर फाइनेंस कोर्पोरेशन (सीएलईएल) से ऋण	3,250.05	1,850.87
3	नकद से ऋण	62.18	-
	कुल योग	8,824.83	6,421.71

21 : अन्य वित्तीय देयदारियां - वर्तमान

(राशि लाख रुपये में)			
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	आवक और अर्पण के प्रति मुख्य ऋण/ईएनडी और प्रतिपादन राशि	569.77	534.82
2	अन्य बैंकों से प्रति राशि	19,466.38	18,263.70
3	पैरवर्तिका बैंकों की प्रति राशि	2,835.91	2,835.91
4	व्याज उपयुक्त लेखन अक्षर पर देय नहीं	1,105.15	1,016.19
5	वर्तमानियों को देय (हिसा और अन्य बैंकों के बिकल)	1,583.91	1,098.25
6	राजीव आर्पण के लिए पैरवर्तिका को देय	19.74	19.74
	कुल योग	25,580.86	23,758.61

22 : व्यापार देय

(राशि लाख रुपये में)			
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	अर्पण/आवक के लिए संकेतों और सूचक चक्रों को देय	2,256.93	3,318.65
2	एनएसएन को देय	1,238.12	520.08
	कुल योग	3,495.05	3,838.76

22.1 कंपनी के व्यापार देय की राशि इनकी ही जानकारी के लिए अनुवर्तिका संख्या 1 देखें



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

23 : Short Term Provisions

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Provision for Corporate Social Responsibility (CSR)	322.19	227.68
2	Provision for Income Tax (Net)	-	-
3	Provision against Capital Expenditure	1,935.61	5,560.04
4	Provision against O&M Expenses	1,039.46	567.10
	Total	3,297.26	6,454.82

As per the provisions of Companies Act, 2013, companies are required to spend money towards specified activities as Corporate Social Responsibility (CSR) for a sum equivalent to 2% of average net profits of preceeding three financial years. In terms of the said provisions, the company is required to spend monies towards CSR activities amounting to Rs.322.19 Lakhs against the provisions made upto the financial year 2022-23.

24 : Other Current Liabilities

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	- TDS Payable	36.11	27.44
2	- TCS Payable	0.26	-
3	- GST Payable	125.62	63.63
4	- Labour Cess Payable	24.18	23.09
5	- Employee Benefits (EPF) Payable	318.50	301.72
6	- Pension / Gratuity Contribution (GPF) Payable	26.91	45.24
	Total	631.58	461.12

As per the Transfer Scheme the Pension and Gratuity Liability towards the Employees of erstwhile UPSEB and transferred to the Company on the unbundling of UPSEB, is being discharged by the Company by way of Monthly contributions @19.08% of the Basic Pay & DA to the Treasury of Govt of Uttarakhand. The amount of Pension & Gratuity to the aforesaid employees is released by Treasury as and when the same becomes due.



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

23 : लघु अवधि के प्रावधान			
(रुपि लाख करोड़ में)			
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	बॉन्डित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए प्रावधान	322.15	327.68
2	देय आवरण/अपेक्षा का प्रावधान	-	-
3	दुरीयत ऋण के विरुद्ध प्रावधान	1,935.61	5,960.04
4	CRIL ऋण के विरुद्ध प्रावधान	1,039.46	567.10
	कुल योग	3,297.26	6,454.82

अपनी वित्तीय वर्ष 2023 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनियों को मिलने तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ की 2% से बराबर राशि की लिए बॉन्डित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के रूप में निर्दिष्ट परिस्थितियों के लिए पैसा खर्च करना आवश्यक है। एक प्रावधानों के तहत में, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 तक किए गए प्रावधानों के मुकाबले सीएसआर वित्तियर्थों के लिए 322.15 लाख रुपये की राशि खर्च करने की आवश्यकता है।

24 : अन्य वर्तमान देवताएं			
(रुपि लाख करोड़ में)			
क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	- टोडीयन देय	36.11	27.44
2	- टीसीएस देय	0.26	-
3	- ईएसटी देय	125.62	63.63
4	- टीएस वसुधा	24.18	23.09
5	- वर्कवॉरि लोन देय (WFL)	318.50	301.72
6	- वेहन/वेज्यूटी अंशदान देय (GPF)	26.51	45.24
	कुल योग	531.58	461.12

वर्तमानतः योजना के अनुसार, पूर्ववर्ती एंटीएसईटी के वर्कवॉरि को प्रति वेहन और वेज्यूटी देयता और एंटीएसईटी के अन्वयितन पर कंपनी को इस्तेमाल, अपनी द्वारा वार्षिक योगदान के रूप में कुल वेहन और एंटी के 10.00% के रूप में उत्तराखण्ड सरकार के कोषागार में जमा किये जा रहे हैं। उपरोक्त वर्कवॉरि को वेहन और वेज्यूटी की रशि वसुधावा द्वारा जारी की जाती है जब यह देय हो जाती है।



Trade Payables Ageing

Annexure 1 to Note 22.1 - Ageing of Trade Payables as on 31.03.2023

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
1	(i) MSME	1,238.12	-			1,238.12
2	(ii) Others	2,061.86	195.27			2,256.93
3	(iii) Disputed dues - MSME					-
4	(iv) Disputed dues - Others					-
	TOTAL	3,299.78	195.27	-	-	3,495.05

Annexure 1 to Note 22.1 - Ageing of Trade Payables as on 31.03.2022

(Amount in Rs. Lakhs)

SL. No.	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payments				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
1	(i) MSME	520.08	-	-	-	520.08
2	(ii) Others	3,123.41	195.27	-	-	3,318.68
3	(iii) Disputed dues - MSME					
4	(iv) Disputed dues - Others					
	TOTAL	3,643.49	195.27	-	-	3,838.76



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लि०

व्यापार प्राप्ति की अवधि

नोट 22.1 के लिए अनुबंध 1 – 31.03.2023 तक व्यापार प्राप्ति की अवधि

(रुपये लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	(i) एमएसएमई	1,238.12	-	-	-	1,238.12
2	(ii) अन्य	2,061.68	195.27	-	-	2,256.93
3	(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई					-
4	(iv) विवादित बकाया – अन्य					-
	कुल	3,299.78	195.27	-	-	3,495.05

नोट 22.1 के लिए अनुबंध 1 – 31.03.2022 तक व्यापार प्राप्ति की अवधि

(रुपये लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	(i) एमएसएमई	520.08	-	-	-	520.08
2	(ii) अन्य	3,123.41	195.27	-	-	3,318.68
3	(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई					
4	(iv) विवादित बकाया – अन्य					
	कुल	3,643.49	195.27	-	-	3,838.76



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements:

25 : Revenue From Operations

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
A	Revenue from Tariffs:		
1	Revenue against Intra-state Transmission Charges	30,429.00	27,365.00
2	Revenue against Intra-state SLDC Charges	1,582.00	1,446.00
3	Revenue against ISTS Transmission Charges (400 Srinagar Sub-station & Lines)	4,226.16	6,070.70
4	Revenue against Natural ISTS Transmission Lines	116.31	(991.70)
5	Revenue against Incentives billed to UPCL	349.73	284.36
6	Revenue from BHPL	183.00	183.00
	Total (A)	36,886.20	34,257.36
B	Income from Other Operations:		
1	Revenue against Open Access (SLDC)	323.86	340.72
2	O&M Charges from PGCIL for Boys at 400 KV S/s, Kashipur	53.49	51.68
3	Income from O&M charges from M/s Dhanashree Agro Products Pvt. Ltd.	3.98	-
	Total (B)	381.45	392.40
	Total (A+B)	37,267.65	34,649.76

1. The amounts shown as recoverable from Uttarakhand Power Corporation Ltd. (UPCL) & Bhatnagar Hydro Power Ltd. (BHPL) do not include Late Payment Surcharge (LPS) due as per the Tariff Regulations as the same will be recognized when realised by the company following the accounting policy of the company.

2. The amounts shown as Revenue against ISTS Transmission Charges (400 Srinagar Sub-station & Lines) includes Rs. 42.26 Cr. Being Transmission charges recoverable from Central Transmission Utility (CTU) on provisional basis as per tariff approved by CERC for F.Y. 2018-19 pending issue of final tariff order for current year.

26 : Other Income

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
1	Interest from Banks & Other Advances	2,205.15	1,067.19
2	Deferred Revenue Grants written off against funding under Deposit & PSDF Schemes	1,104.00	1,013.80
3	Miscellaneous Receipts	2,674.39	524.68
	Total	5,983.63	2,605.67

1. The Company is availing the Grants from the Central Govt. under the PSDF Scheme for the purpose of Construction of Transmission Assets and Augmentation / Replacement / Modernization of the existing Transmission Assets. After the completion of said works, the amount equivalent to the value of asset created is reduced from the current liability of Deposit / PSDF work and the value of respective Grant is increased proportionately. The grant so created is reduced proportionately on yearly basis to the extent of depreciation applicable on the said assets and is credited to the Statement of Profit & Loss and the balance remaining is shown as "Contribution towards deposit works" and "Deferred Revenue Grant from Central Grant (PSDF)" as shown in "Note-19 : Other Non Current Liabilities".

2. Miscellaneous Receipts include the amount of Bank Guarantee encashed during year for Rs. 26.06 Cr. of M/s Cobra Instalaciones Y Servicios against the work of 400 KV D.C. Srinagar-Kashipur Line as per the order of Arbitration and approval of BoD in the 81st Meeting held on 13.10.2022.



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

25: संचालन से राजस्व

		(रुपि लाख करोड़ में)	
क्र.सं.	विवरण	वर्ष 31.03.2023 को समाप्त हुआ	वर्ष 31.03.2022 को समाप्त हुआ
A	टैरिफ से राजस्व:		
1	अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के विरुद्ध राजस्व	30,429.00	27,365.00
2	अंतर्राज्यीय एनएलडीसी प्रसारों के विरुद्ध राजस्व	1,582.00	1,446.00
3	आईएलटीएस ट्रांसमिशन शुल्क के खिलाफ राजस्व (400 कीलॉमीटर तक-स्टेशन और लाइन्स)	4,226.16	5,970.70
4	नैचुरल आईएलटीएस परियोजना लाइनों के विरुद्ध राजस्व	116.31	(991.70)
5	UPCL को दित किए गए प्रोत्साहन के बदले राजस्व	349.73	284.36
6	बीएचपीएल से राजस्व	183.00	183.00
	कुल (A)	36,886.20	34,257.36
B	अन्य कार्यों से आय:		
1	ऑपन एक्सेस के खिलाफ राजस्व (एनएलडीसी)	323.98	340.72
2	400 कंटी वपसंधान, काजीपुर में से के लिए पीजीसीआईएल से ओ एंड एम लागू	53.49	51.68
3	पैरासैल हनवी एंड प्रोसेसिंग लाइसेंस लिमिटेड से ओ एंड एम शुल्क से आय	3.98	-
	कुल (B)	381.45	392.40
	कुल (A+B)	37,267.65	34,649.76

1. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलडीसी) और बिजनेस टाइड पावर लिमिटेड (बीएनपीएल) से नगरीय योग्य दिखाई गई राशि में टैरिफ विधियों के अनुसार वितरित भुगतान अधिभार (एनडीएस) शामिल नहीं है। क्योंकि कंपनी की प्रेक्षांक नीति का प्रभाव करते हुए कंपनी द्वारा वसूल किए जाने पर इसे वापस दी जाएगी।

2. आईएलटीएस ट्रांसमिशन शुल्क (400 कीलॉमीटर तक-स्टेशन और लाइन्स) से विरुद्ध राजस्व को रूप में दिखाई गई राशि में रु. 42.26 करोड़ वित्त वर्ष के लिए पीजीसीआईएल द्वारा अनुसूचित टैरिफ के अनुसार अनधिकृत अवकाश पर सेहत ट्रांसमिशन इंडिजिटी (सीडीपी) से ट्रांसमिशन शुल्क नगरीय योग्य है। 2018-19 वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त टैरिफ अवकाश जारी रखा शामिल है।

26: अन्य आय

		(रुपि लाख करोड़ में)	
क्र.सं.	विवरण	वर्ष 31.03.2023 को समाप्त हुआ	वर्ष 31.03.2022 को समाप्त हुआ
1	बैंकों और अन्य अर्थियों से आय	2,205.15	1,067.19
2	जमा और बीएलडीएक योजनाओं से तहत वित्त पोषण के खिलाफ आस्थिति राजस्व अनुदान बढ़े जाते में काल दिया।	1,104.09	1,013.80
3	विभिन्न संपत्तियाँ	2,674.39	524.68
	कुल	5,983.63	2,605.67

1. कंपनी बैंक सारजन से अनुदान प्राप्त कर रही है। ट्रांसमिशन परिसरों/विधियों के निर्माण और नौवृद्ध ट्रांसमिशन परिसरों/विधियों के विस्तार/प्रतिस्थापन/अभियंताकरण के उद्देश्य से बीएलडीएक योजना को तहत। उक्त कार्यों के पूरा होने के बाद निर्मित परिसरों/विधियों के शुल्क को वापस राशि जमा / बीएलडीएक कार्य की कार्यवाही के बाद से कर दी जाती है और वित्तीय अनुदान के रूप में अनुपस्थित रूप से वृद्धि की जाती है। इस प्रकार बनाया गया अनुदान उक्त परिसरों/विधियों पर लागू शुल्क/लागत की सीमा तक वार्षिक आधार पर अनुपस्थित रूप से वन किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में जमा किया जाता है और लाभ राशि को "अन्य कार्यों के लिए आय" और "अन्य से वित्त पोषण अनुदान" के रूप में दिखाया जाता है। अनुदान (बीएलडीएक) जैसा कि "नोट-19 आय और आय देवदारिका" में दिखाया गया है।

2. 13.10.2022 को अंगीकृत की गई बैठक में न्यायपालिका के आदेश और दीर्घादी के अनुसूचन के अनुसार 400 कंटी डी.टी. कीलॉमीटर-काजीपुर लाइन के कार्य से खिलाफ पैरासैल कोष द्वारा वित्तपोषित कार्य संचालित की विधि प्रक्रिया में वर्ष के दौरान गुनाई गई रुपये 29.08 करोड़ की बैंक गारंटी की राशि शामिल है।



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

27 : Employee Benefit Expenses

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
1	Salaries and Allowances	10,054.28	7,071.83
2	Directors Remuneration	47.75	117.87
3	Other Staff Welfare Expense	2,175.80	537.84
4	Terminal Benefits to Employees	1,286.11	1,517.98
	Total	13,563.94	9,245.52

The amount of expenses towards Salaries & Employee welfare are net of the amount of Rs. 2254.38 Lakhs Capitalized to Works towards which the said Employees have worked during the current financial year.

28 : Repairs & Maintenance Expenses

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
	Repair & Maintenance of:-		
1	- Plant and Machineries	2,505.35	1,194.64
2	- Buildings & Civil Works	858.15	259.00
3	- Lines, Cables networks	1,315.14	587.53
4	- Others	29.32	22.26
	Total	4,514.96	2,168.63

29 : Administrative & General Expenses

(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
1	Rent	13.72	13.49
2	Rates & Taxes	0.29	0.15
3	Insurance of Assets	1.23	1.20
4	Telephone, Postage & Telegrams	45.58	49.30
5	Legal, Consultancy & Other Professional Charges	182.82	109.44
6	Conveyance & Travelling expenses	63.30	40.45
7	Vehicle Fuel & Hiring expenses	507.14	683.80
8	Fees and Subscription	65.84	77.30
9	License Fee to UERC	935.38	851.14
10	Printing and Stationary	52.60	30.40
11	Advertisement Expenses	142.47	89.20
12	Electricity Charges	23.51	18.81
13	Security Service charges	1,281.57	1,185.75
14	Water Charges	5.45	7.84
15	Audit Fees	9.21	9.02
16	Miscellaneous Expenses	255.73	95.78
17	Corporate Social Responsibility (CSR) Expenses	183.01	186.65
	Total	5,795.83	3,272.78

1. The amount of expenses towards Administrative & General Expenses are net of the amount of Rs 382.32 Lakhs Capitalized to Works towards which the said Employees have worked during the current financial year.

Breakup of Audit Fees Including taxes:

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
1	Statutory Audit Fees	6.49	6.48
2	Reimbursement of expenses	0.20	0.21
3	Tax Audit Fees	1.15	1.16
4	Cost Audit Fees	0.71	0.71
5	Secretarial Audit Fees	0.35	0.35
	Total	9.21	9.02

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

प्रावर दूरस्थगिज्ञान परिभाषेशन अफि उभाताछुअह लिगिटह

विशेष विवरणों के लिए नोट्स

27 : १९६०-६१ : ४४४

क्र.सं.		विवरण	वर्ष 31.03.2028 को समाप्त हुआ	वर्ष 31.03.2027 को समाप्त हुआ
1		केलु डीए सी	10,054.28	7,071.93
2		निदेशक का प्रतिभौतिक	47.75	117.87
3		एनए सीआई कलकत्ता ग्राम	2,175.80	532.54
4		कर्मचारी का प्रतिनिधित्व	1,385.11	1,517.96
		कुल	13,663.94	9,240.30

संभव तौर पर किसी व्यक्ति की आय कर से अधिक रुपये 2294.36 लाख की कुल राशि है, जिससे उन कार्यो को पूर्णतया बचा गया जिससे कि उक्त कार्यविधि में बाध पैदा होना बर्त में होना बर्त किया है।

28 • मधुसूदन तर्कचन्द्रिका टीका

		[रवि 14 अप्रैल 2022]	
क्र.सं.	विवरण	वर्ष 31.03.2022 की समाप्त रु०	वर्ष 31.03.2022 की समाप्त रु०
	समाप्त हुए खर्च/उपखर्च:-		
1	- सार्वजनिक प्रशासन	2,608.38	1,194.44
2	- मानव संसाधन विकास	958.15	299.00
3	- स्वास्थ्य संबंधित खर्च	1,219.14	887.93
4	- अन्य	29.32	23.76
	कुल	4,814.99	2,104.13

29 : प्रसावणिक और सामान्य धार

क्र.सं.	विवरण	वर्ष २०२३-२४	
		२०२३-२४	२०२२-२३
1	विद्युत	13.72	13.49
2	हरे क्षेत्र का	0.25	0.15
3	सफाई का खर्च	1.23	1.20
4	पेन्सिलिंग, बरत और मरिचक	45.58	45.30
5	पानी, पानी का खर्च और पानी का खर्च	162.82	109.44
6	सफाई और सफाई	63.30	45.45
7	पानी का खर्च और पानी का खर्च	557.14	483.50
8	पानी का खर्च	58.84	77.36
9	पानी का खर्च	536.38	481.14
10	पानी का खर्च	52.60	39.40
11	पानी का खर्च	142.47	95.20
12	पानी का खर्च	23.51	38.81
13	पानी का खर्च	1,281.57	1,185.75
14	पानी का खर्च	8.45	7.84
15	पानी का खर्च	9.21	9.02
16	पानी का खर्च	255.79	96.76
17	पानी का खर्च	153.01	155.65
	कुल	3,706.83	3,272.78

[illegible]

जहाँ साहित्य लेख्यपरीक्षा सुन्त जा बिराण:

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 31.03.2023 की समाप्त रुका	वर्ष 31.03.2022 की समाप्त रुका
1	वित्तियत सेवा प्रदाता शुल्क	0.45	0.45
2	पत्र का पत्रिका	0.50	0.39
3	टैक्स अडिटर फीस	1.10	1.10
4	ग्राहक सेवा प्रदाता शुल्क	0.71	0.71
5	वित्तियत सेवा प्रदाता शुल्क	0.30	0.30
	कुल	3.06	2.95



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

30 : Finance Costs			
(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
1	Interest on PFC Loan	3,545.66	4,120.69
2	Interest on REC Loan	4,629.74	3,529.95
3	Interest on NABARD Loan	154.90	112.47
	Total	8,329.30	7,763.11
	Less: Interest Capitalized to Works	(2,650.91)	(2,913.34)
	Total	5,678.39	4,849.77

1. During the current financial year, the Weighted average rate of interest worked out to 9.48% p.a. (FY: 9.82 % p.a.) which has been used to Capitalize (Add to the value of Capital Works).

31 : Depreciation & Amortization Expenses			
(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
1	Depreciation & amortization expenses	13,186.36	11,900.16
	Total	13,186.36	11,900.16

32 : Tax Expense			
(Amount in Rs. Lakhs)			
S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
1	Income Tax (Current Year)	388.60	934.53
2	Minimum Alternate Tax (MAT Credit adjustment)	(49.78)	346.04
3	Deferred Tax	172.96	160.39
	Total	511.78	1,440.96

1. MAT Credit represents the amount of MAT Credit availed / created and carried forward by the company in the computation of its Income Tax liability for the current year. The amount of MAT Credit available with the company is shown in the "Note 6- Other Non Current Assets".



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

30 : वित्त लाभ			
(राशि लाख रुपये में)			
क्र.सं.	विवरण	वर्ष 31.03.2022 को समाप्त हुआ	वर्ष 31.03.2021 को समाप्त हुआ
1	दीर्घकालीन ऋण पर लाभ	3,546.66	4,153.66
2	आवृत्ती ऋण पर लाभ	4,629.74	3,589.95
3	नगदी ऋण पर लाभ	154.00	112.47
	कुल	8,330.40	7,856.08
	भुगतान: लाभ के लिए प्रयुक्त लाभ	(2,690.91)	(2,913.34)
	कुल	5,639.49	4,942.74

1. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, गारंटी प्रोवाइडर ने 0.48% प्रति वर्ष (पूर्व वर्ष 0.42% प्रति वर्ष) है प्रिमिया का उपयोग पूंजीकरण (पूँजीगत कार्य के पूरा में जोड़ें) के लिए किया गया है।

31 : मूल्यहास और परिसीजन व्यय			
(राशि लाख रुपये में)			
क्र.सं.	विवरण	वर्ष 31.03.2022 को समाप्त हुआ	वर्ष 31.03.2021 को समाप्त हुआ
1	मूल्यहास और परिसीजन व्यय	13,586.36	11,903.16
	कुल	13,586.36	11,903.16

32 : कर व्यय			
(राशि लाख रुपये में)			
क्र.सं.	विवरण	वर्ष 31.03.2022 को समाप्त हुआ	वर्ष 31.03.2021 को समाप्त हुआ
1	आवृत्ती (प्रति वर्ष)	388.60	934.63
2	न्यूनतम वैश्विक कर (MAT क्रेडिट स्लाबेशन)	(49.09)	345.04
3	आवृत्ती कर	172.95	150.39
	कुल	512.46	1,430.96

1. MAT क्रेडिट चालू वर्ष के लिए अपनी आवृत्ती देनदारों की मात्रा में स्थानीय द्वारा प्राप्त / निर्मित और अन्य सहाय्य गए MAT क्रेडिट की राशि का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी के पास उपलब्ध MAT क्रेडिट की राशि "नोट 8 - आय और कर संग्रहीत" में दर्शाई गई है।



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

33: Disclosures in respect of Ind AS 107- Financial Instruments:

1 Measurement of Financial Instruments:

A. Financial Instruments by Categories

The carrying value and fair value of financial instruments by categories are as follows:

(Amount in Rs. Lakhs)

Sl. No.	Particulars	As at 31.03.2023				
		Note No	Amortized Cost	Financial Assets/ Liabilities at FVTPL	Financial Assets/ Liabilities at fair value through OCI	Total Carrying value
A	Financial Assets :					
1	Cash & Cash Equivalents	9	15,477.05	-	-	15,477.05
2	Trade Receivables	8	8,835.18	-	-	8,835.18
3	Other Financial Assets	5 & 11	7,005.99	-	-	7,005.99
4	Other Bank Balances	10	37,016.00	-	-	37,016.00
	Total		68,334.22	-	-	68,334.22
B	Financial Liabilities:					
1	Long Term Borrowings	15 & 20	1,07,463.25	-	-	1,07,463.25
2	Trade Payable	22	3,495.05	-	-	3,495.05
3	Other Financial Liabilities	16 & 21	42,778.77	-	-	42,778.77
	Total		1,53,737.07	-	-	1,53,737.07

(Amount in Rs. Lakhs)

Sl. No.	Particulars	As at 31.03.2022				
		Note No	Amortized Cost	Financial Assets/ Liabilities at FVTPL	Financial Assets/ Liabilities at fair value through OCI	Total Carrying value
A	Financial Assets :					
1	Cash & Cash Equivalents	9	27,157.53	-	-	27,157.53
2	Trade Receivables	8	20,431.27	-	-	20,431.27
3	Other Financial Assets	5 & 11	5,538.01	-	-	5,538.01
4	Other Bank Balances	10	12,440.04	-	-	12,440.04
	Total		66,597.17	-	-	66,597.17
B	Financial Liabilities:					
1	Long Term Borrowings	15 & 20	1,01,814.10	-	-	1,01,814.10
2	Trade Payable	22	3,838.78	-	-	3,838.78
3	Other Financial Liabilities	16 & 21	47,113.66	-	-	47,113.66
	Total		1,52,766.52	-	-	1,52,766.52

B. Financial Assets and Liabilities which are measured at amortized cost for which Fair Values are disclosed.

(Amount in Rs. Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Note No	As at 31.03.2023		As at 31.03.2022	
			Total Carrying Value	Fair Value	Total Carrying Value	Fair Value
A	Financial Assets :					
1	Trade Receivables	8	8,835.18	8,835.18	20,431.27	20,431.27
2	Other Financial Assets	5 & 11	7,005.99	7,005.99	5,538.01	5,538.01
B	Financial Liabilities:					
1	Long Term Borrowings	15 & 20	1,07,463.25	1,07,463.25	1,01,814.10	1,01,814.10
2	Trade Payable	22	3,495.05	3,495.05	3,838.78	3,838.78
3	Other Financial Liabilities	16 & 21	42,778.77	42,778.77	47,113.66	47,113.66

C. Fair Value Hierarchy:

(Amount in Rs. Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Note No	As at 31.03.2023			
			Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
A	Financial Assets :					
1	Trade Receivables	8	-	-	8,835.18	8,835.18
2	Other Financial Assets	5 & 11	-	-	7,005.99	7,005.99
B	Financial Liabilities:					
1	Long Term Borrowings	15 & 20	-	-	1,07,463.25	1,07,463.25
2	Trade Payable	22	-	-	3,495.05	3,495.05
3	Other Financial Liabilities	16 & 21	-	-	42,778.77	42,778.77



पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

33 : भारतीय लेखा मानक 107- वित्तीय साधनों के संबंध में प्रकटीकरण

1 वित्तीय साधनों का साधनः

A भेषिनों द्वारा वित्तीय लिखत

भेषियों के अनुसार वित्तीय लिखतों का बहन मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:

(रुपि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	नोट नं०	कर्ज चुकाने की अवधि	31.03.2023 तक		कुल बहन मूल्य
				FVTPL पर वित्तीय आसिद्धि / देयताएं	अंतरावर्ष के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आसिद्धि / देयताएं	
A	वित्तीय आसिद्धि :					
1	माल और माल बचत	8	15,477.05	-	-	15,477.05
2	आवक आसिद्धि	8	8,835.18	-	-	8,835.18
3	अन्य वित्तीय आसिद्धि	8 और 11	7,005.99	-	-	7,005.99
4	अन्य देयता	10	37,016.00	-	-	37,016.00
	कुल		68,334.22			68,334.22
B	वित्तीय देयताएँ :					
1	कई अवधि के अवकाश	10 और 20	1,07,463.25	-	-	1,07,463.25
2	आवक देयताएँ	22	3,495.05	-	-	3,495.05
3	अन्य वित्तीय देयताएँ	10 और 21	42,778.77	-	-	42,778.77
	कुल		1,53,737.07			1,53,737.07

(रुपि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	नोट नं०	कर्ज चुकाने की अवधि	31.03.2022 तक		कुल बहन मूल्य
				FVTPL पर वित्तीय आसिद्धि / देयताएं	अंतरावर्ष के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आसिद्धि / देयताएं	
A	वित्तीय आसिद्धि :					
1	माल और माल बचत	8	27,187.85	-	-	27,187.85
2	आवक आसिद्धि	8	20,431.27	-	-	20,431.27
3	अन्य वित्तीय आसिद्धि	8 और 11	6,538.01	-	-	6,538.01
4	अन्य देयता	10	12,440.04	-	-	12,440.04
	कुल		66,597.17			66,597.17
B	वित्तीय देयताएँ :					
1	कई अवधि के अवकाश	10 और 20	1,01,814.10	-	-	1,01,814.10
2	आवक देयताएँ	22	3,838.76	-	-	3,838.76
3	अन्य वित्तीय देयताएँ	10 और 21	47,113.66	-	-	47,113.66
	कुल		1,52,766.52			1,52,766.52

B वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिन्हें परिकल्पित लाभ पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है।

(रुपि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	नोट नं०	31.03.2023 तक		31.03.2022 तक	
			कुल बहन मूल्य	उचित मूल्य	कुल बहन मूल्य	उचित मूल्य
A	वित्तीय आसिद्धि :					
1	आवक आसिद्धि	8	8,835.18	8,835.18	20,431.27	20,431.27
2	अन्य वित्तीय आसिद्धि	8 और 11	7,005.99	7,005.99	6,538.01	6,538.01
	कुल					
B	वित्तीय देयताएँ :					
1	कई अवधि के अवकाश	10 और 20	1,07,463.25	1,07,463.25	1,01,814.10	1,01,814.10
2	आवक देयताएँ	22	3,495.05	3,495.05	3,838.76	3,838.76
3	अन्य वित्तीय देयताएँ	10 और 21	42,778.77	42,778.77	47,113.66	47,113.66

C उचित मूल्य प्रदानकरण

(रुपि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	नोट नं०	31.03.2023 तक			
			संख्या 1	संख्या 2	संख्या 3	कुल
A	वित्तीय आसिद्धि :					
1	आवक आसिद्धि	8			8,835.18	8,835.18
2	अन्य वित्तीय आसिद्धि	8 और 11			7,005.99	7,005.99
	कुल					
B	वित्तीय देयताएँ :					
1	कई अवधि के अवकाश	10 और 20			1,07,463.25	1,07,463.25
2	आवक देयताएँ	22			3,495.05	3,495.05
3	अन्य वित्तीय देयताएँ	10 और 21			42,778.77	42,778.77



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

(Amount in Rs. Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Note No	As at 31.03.2022			
			Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
A	Financial Assets :					
1	Trade Receivables	8			20,431.27	20,431.27
2	Other Financial Assets	5 & 11			6,538.01	6,538.01
B	Financial Liabilities:					
1	Long Term Borrowings	15 & 20			1,01,814.10	1,01,814.10
2	Trade Payable	22			3,838.76	3,838.76
3	Other Financial Liabilities	16 & 31			47,113.66	47,113.66

Fair Value Measurement:

Level 1: It includes financial instruments measured using quoted prices. This includes listed equity bonds which are traded in the stock exchanges, valued using the closing price as at the reporting period.

Level 2: The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, traded bonds) is determined using valuation techniques which maximise the use of observable market data and rely as little as possible on entity-specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

Level 3: If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3. This is the case for unlisted equity securities, contingent consideration and indemnification asset included in level 3.

There are no transfers between levels 1 and 2 during the year. The company's policy is to recognise transfers into and transfers out of fair value hierarchy levels as at the end of the reporting period.

The carrying amounts of trade receivables, trade payables, cash and cash equivalents and other current financial liabilities are considered to be the same as their fair values, due to their short-term nature.

The carrying amounts of Rupees Term Loan are approximate to fair value as the instruments are at prevailing market rates.

Financial Risk Management**Financial risk management objectives and policies**

The company's principal financial liabilities comprises of loans and borrowings, trade and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the Company's operations and to provide guarantees to support its operations. The Company's principal financial assets include Trade and other receivables, and Cash and Cash equivalents that are derived directly from its operations.

The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. The Company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with the Company's policies and risk objectives. The Board of Directors reviews and approves policies for managing each of these risks, which are summarized below.

A) Credit Risk:

Credit Risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under financial instruments or customer contract, leading to a financial loss. The company is exposed to credit risk from its operating activities on account of trade receivables and loan and advances and from its financial activities due to deposits with banks and financial institutions and other financial instruments and its investment activities due to investments.

A default on a financial asset is when the counterparty fails to make contractual payment when they fall due. The definition of default is determined considering the business environment in which the company operates.

Assets are written off when there is no reasonable expectation of recovery, such as debtors declaring bankruptcy or failing to engage in a repayment plan with company. The company continues to engage in enforcement activity to attempt to recover the receivable due.

i) Trade Receivables:

The company primarily provides transmission facilities to inter-state transmission service customers (ITSC) comprising mainly the state utility (UPCL). UERC tariff regulations allow payment against monthly bills towards transmission charges within a period of 60 days. Trade receivables are relating to transmission services.

ii) Other financial Assets (excluding Trade Receivables):

The company holds cash & cash equivalents with public sector banks and high rated private sector banks and do not have any significant credit risk.

Significant estimates and judgments in impairment of financial assets:

The impairment provisions for financial assets are based on assumptions about risk of default, consumer claims and expected loss rates. The company uses judgment in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on the company's past history, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

B) Liquidity Risk:

Liquidity risk refers to the risk of financial distress or high financing costs arising due to shortage of liquid funds in a situation where business conditions unexpectedly deteriorate and require financing. The company requires funds both for short term operational needs as well as for long term capital expenditure growth projects. The company relies on a mix of borrowing, capital infusion and excess operating cash flows to meet needs for funds. The current committed lines of credit are sufficient to meet its short to medium term expansion needs. The company manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

**POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED****Notes to Financial Statements****Financial Liabilities:**

The table below provides details regarding the remaining contractual maturities of financial liabilities at the reporting date.

(Amount in Rs. Lakhs)

Sl. No.	Particulars	As at 31.03.2023			
		Carrying Value	Upto 1 year	More than 1 year	Total
1	Long Term Borrowings	1,07,463.25	8,824.83	98,638.42	1,07,463.25
2	Trade Payable	3,495.05	3,495.05	-	3,495.05
3	Other Financial Liabilities	42,778.77	25,580.86	17,197.91	42,778.77
	Total	1,53,737.07	37,900.74	1,15,836.33	1,53,737.07

(Amount in Rs. Lakhs)

Sl. No.	Particulars	As at 31.03.2022			
		Carrying Value	Upto 1 year	More than 1 year	Total
1	Long Term Borrowings	1,01,814.10	6,121.71	95,692.39	1,01,814.10
2	Trade Payable	3,838.76	3,838.76	-	3,838.76
3	Other Financial Liabilities	47,113.65	23,758.61	23,355.05	47,113.65
	Total	1,52,766.52	33,719.08	1,19,047.44	1,52,766.52

C) Market Risk:

The market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: currency risk, interest rate risk and other price risk. The company is not exposed to foreign currency risk as it has no borrowing or no material payables in foreign currency. The Company's activities expose it primarily to the financial risks of changes in interest rates.

i) Interest rate risk

The company is exposed to interest rate risk because it borrows funds primarily at floating interest rates. However, the interest rates are dependant on lending rates of the Financial institution which are not expected to change very frequently and the estimate of the management is that these will not have significant upward trend.

The company's exposure to interest rate risk due to variable interest rate borrowings is as follows:

Borrowings (including current Maturities)	(Amount in Rs. Lakhs)	
	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
	1,07,463.25	1,01,814.10

Interest Rate Risk Analysis

Increase or decrease in interest rate by 25 basis points (i.e., 0.25%)

Note: Profit will increase in case of decrease in interest rate and vice versa

Impact on profit/loss after tax (Amount)	
As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
261.60	244.64

ii) Price risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk or currency risk).

The company is not exposed to price risks as on 31st March 2022.

iii) Foreign currency risk:

Foreign currency risk is the risk that fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rate.

The company is not exposed to foreign exchange risk arising from foreign currency transactions. Since there is no any case of direct foreign operations, Foreign exchange risk is considered to be insignificant.



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

34: Disclosures in respect of Indian Accounting Standard (Ind-AS) - 37 : Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets:

Provisions							
(Amount in Rs. Lakhs)							
S.L. No.	Particulars	Note No.	Opening Balance as on	Additions / Transfer during	Utilization during	Reversed during	Closing Balance as on
			01.04.2022	01.04.2022-31.03.2023	01.04.2022-31.03.2023	01.04.2022-31.03.2023	31.03.2023
A	Current						
1	Short term Provisions	23	6454.02	6,792.70	8,950.28	-	5,297.28
	Total		6454.02	6,792.70	8,950.28	-	5,297.28

Detailed Break up of Corporate Social Responsibility

Detail of Yearwise CSR Provisions						
FY	Opening	Provision	Expenditure	Balance	Remarks	
2013-14	-	-	-	-	-	
2014-15	-	1,25,250.00	-	1,25,250.00	-	
2015-16	1,25,250.00	8,75,791.00	-	10,00,981.00	-	
2016-17	10,00,981.00	44,06,911.00	-	54,06,962.00	-	
2017-18	54,06,962.00	77,66,230.87	-	1,31,73,227.67	-	
2018-19	1,31,73,227.67	1,38,09,606.87	-	2,69,82,804.33	-	
2019-20	2,69,82,804.33	1,26,89,385.87	36,98,054.90	3,61,44,225.10	-	
2020-21	3,61,44,225.10	39,08,621.73	1,95,20,256.00	2,59,32,558.83	-	
2021-22	2,59,32,558.83	1,49,03,017.86	2,47,58,220.70	1,59,76,350.12	-	
2022-23	1,59,76,350.12	1,69,84,845.27	11,27,221.00	3,27,88,422.39	-	
Total	3,27,88,422.39	1,64,75,322.00	1,69,84,845.00	3,22,18,899.39	-	

Contingent Liabilities:

Claims against the company not acknowledged as debts:

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a	TDS (Income Tax) default demand	14.50	13.21
b	Legal Cases pending before the Courts / Arbitration*	4,434.26	3,420.58
c	Demand against Service Tax	798.78	798.78
	Total	5,247.54	4,232.57

Notes:

- The Company does not expect any reimbursements in respect of the above contingent liabilities.
- It is not practicable to estimate the timing of cash outflows, if any, in respect of matters above pending resolution of the arbitration/apellate proceedings as the accrual of liabilities depends on the future uncertain events/orders of the Courts / Arbitration/Tribunal. Further, the liability mentioned in (a) to (c) above excludes interest.
- The Contingent liability towards service tax demand is not a willful default and in management opinion, same is not expected to be upheld by the court.

35: Capital Management:

For the purpose of the Company's capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders. The primary objective of the Company's capital management is to maximize the shareholder value. The Company manages its capital structure and makes adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. The Company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by Equity.

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Note No.	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Debt (Borrowing including Current Maturity)	15 & 20	1,07,483.25	1,01,814.10
2	Cash & Bank Balances	8	15,477.08	27,187.65
3	Net Debt (1-2)		91,986.20	74,626.25
4	Equity	13 & 14	1,25,743.83	1,17,711.34
5	Gearing Ratios (Net Debt/Equity)		73.15	63.40

Note:

- Debt includes Long term borrowings (including current maturities)
- Equity include issued share capital & other equity.



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

34: भारतीय लेखा मानक (Ind-AS) के संघर्ष में प्रकटीकरण - 37: प्रावधान, आकस्मिक देवताएं और आकस्मिक संपत्तियां

प्रावधानों							
(एक लाख रुपये में)							
क्र.सं.	विवरण	नोट नं०	आरंभ वर्ष राशि	परिवर्धन/स्थगनांतरण के दौरान	के दौरान प्रयोग	के दौरान निर्वाह	आरंभ वर्ष राशि
			01.04.2022	01.04.2022- 31.03.2023	01.04.2022- 31.03.2023	01.04.2022- 31.03.2023	31.03.2023
A	बीजक						
1	आवधिक प्रावधान	23	6434.82	6,792.70	9,950.26	-	3,297.26
	कुल		6434.82	6,792.70	9,950.26	-	3,297.26

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का विस्तृत विवरण

वर्षावर्ष बीएसएस प्रावधानों का विवरण					
वित्तीय वर्ष	आवधिक	आवधान	अवधि	संतुलन	टिप्पणियां
2013-14	-	-	-	-	-
2014-15	-	1,25,250.00	-	1,25,250.00	-
2015-16	1,25,250.00	8,75,731.00	-	10,00,981.00	-
2016-17	10,00,981.00	44,06,011.00	-	54,06,992.00	-
2017-18	54,06,992.00	77,66,236.87	-	1,31,73,227.87	-
2018-19	1,31,73,227.87	1,38,09,666.67	-	2,69,82,894.54	-
2019-20	2,69,82,894.54	1,28,58,385.67	36,98,054.80	3,61,44,225.10	-
2020-21	3,61,44,225.10	69,06,621.73	1,95,20,208.00	2,57,32,558.83	-
2021-22	2,57,32,558.83	1,49,03,017.60	2,47,60,220.70	1,56,76,356.13	-
2022-23	1,56,76,356.13	1,69,04,845.27	(1,27,221.00)	3,27,68,422.39	-
2023-24	3,27,68,422.39	1,84,15,322.00	1,69,64,845.00	3,22,18,959.39	-
कुल		9,79,34,085.99	6,49,19,187.09	3,22,18,959.39	-

आकस्मिक देवताएं:

कंपनी के विविध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:

(एक लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	बीजक (अवधि) विनिर्देशित ऋण	14.80	13.21
2	आवधिक/आवधिक के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण	4,434.20	3,420.35
3	अतिरिक्त ऋण के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण	798.78	798.78
	कुल	5,347.78	4,232.34

टिप्पणी:

- कंपनी अपने एक प्राथमिक दायित्वों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है।
- आवधिक/आवधिक के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है। ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है। ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है। ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है।
- अतिरिक्त ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है। ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है। ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है। ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है।

35: पुंजी प्रबंधन

कंपनी के पुंजी प्रबंधन के उद्देश्य से किए गए पुंजी के अतिरिक्त ऋणों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है। ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है। ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है। ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है।

(एक लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	अतिरिक्त ऋण के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण	15 और 30	1,07,463.25	1,01,814.10
2	अतिरिक्त ऋण के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण	9	15,477.05	22,187.85
3	अतिरिक्त ऋण के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण	91,686.20	74,636.25	
4	अतिरिक्त ऋण के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण	12 और 14	1,25,743.53	1,77,711.24
5	अतिरिक्त ऋण के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण		73.15	63.48

टिप्पणी:

- कंपनी के अतिरिक्त ऋण के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है।
- अतिरिक्त ऋण के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करती है।



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

36: Disclosures in respect of Ind AS-20: Accounting for Government Grants & Disclosures of Government Assistance:

The breakup of total grant in aid received for various purpose is as under:

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars Nature of Grant	Note No. 19	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
			Related to Assets	Related to Assets
a	Deferred Grants from Central Govt. (PSOF)		6,987.20	7,399.33
	Total		6,987.20	7,399.33

37: Disclosures in respect of Ind AS-19: Employee Benefits:

1 The Summarised Position of various Defined Benefits recognised in Statement of Profit & Loss, OCI and Balance Sheet is as under:

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2023	As at 31.03.2022	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a	Defined Benefit Obligation	4,971.21	4,290.59	3,570.55	3,524.70
b	Fair Value of Plan Assets	4,489.48	3,893.82	3,922.93	2,538.58
c	Funded Status (Surplus/Deficit)	(481.73)	(396.76)	(48.02)	(986.12)
d	Net Defined Benefit Assets/ (Liabilities)	(481.73)	(396.76)	(48.02)	(986.12)

2 Movement in Defined Benefit Obligation

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2023	As at 31.03.2022	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a	Defined Benefit Obligation- Beginning of the year	4,290.59	3,513.25	3,524.70	2,969.67
b	Past Service Cost	-	-	-	-
c	Current Service Cost	144.86	138.98	208.09	179.24
d	Interest Cost	297.31	252.64	246.20	207.87
e	Benefits Paid	(226.45)	(97.26)	(19.05)	-
f	Actuarial Gain/(Loss)	464.93	382.90	10.71	167.93
g	Defined Benefit Obligation- End of the year	4,971.21	4,290.59	3,970.55	3,524.70

3 Movement in Plan Asset

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2023	As at 31.03.2022	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a	Fair Value of Plan Asset- Beginning of the year	3,893.82	3,584.32	2,938.58	1,757.26
b	Interest Income	295.88	255.92	225.26	137.09
c	Employers Contribution	522.27	140.84	1,177.84	644.23
d	Benefits Paid	(226.45)	(97.26)	(19.05)	-
e	Actuarial Gain/(Loss)	-	-	-	-
f	Re-measurement - Return on Plan Assets greater/(less) than discount rate	-	-	-	-
g	Fair Value of plan Assets - End of the year	4,489.48	3,893.82	3,922.93	2,538.58

4 Amount recognised in Statement of Profit & Loss

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2023	As at 31.03.2022	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a	Past Service Cost	-	-	-	-
b	Current Service Cost	144.86	138.98	208.09	179.24
c	Interest Cost	297.31	252.64	246.20	207.87
d	Expected Return on Plan Assets	(255.88)	(255.92)	(225.26)	(137.09)
e	Actuarial (Gain)/Loss on Obligation	-	-	-	-
f	Net Actuarial (Gain)/Loss in the year	464.93	382.90	10.71	167.93
g	Cost recognised in P&L	607.34	518.60	239.74	417.85



पौध संरक्षण कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पौध संरक्षण कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

36: इंडस्ट्रीज के संबंध में प्रकटीकरण AS-20: सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण

विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्राप्त कुल सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण अनुदान की प्रकृति	टिप्पणी सं०	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
			संपत्ति से संबंधित	संपत्ति से संबंधित
a	उप-सहायता से प्राप्त अनुदान (विरसहीत)	18	6,967.20	7,399.33
	कुल		6,967.20	7,399.33

37: इंडस्ट्रीज एस-19 के संबंध में प्रकटीकरण: कर्मचारी लाभ

1. लाभ और हानि के विवरण, प्रोविडेंट फंड और बेलेंस शीट में पहचाने गए विभिन्न परिभाषित लाभों की संश्लिष्ट स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	संश्लिष्ट मुद्दी		अंतरांतर	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
a	परिभाषित लाभ दायित्व	4,971.21	4,290.59	3,970.65	3,524.70
b	संयोजित संपत्ति का दायित्व मूल्य	4,489.48	3,893.82	3,922.63	2,038.58
c	संपत्ति पर दायित्व अक्षिप्त/घाटा	(481.73)	(396.76)	(48.02)	(986.12)
d	निष्पन्न परिभाषित लाभ दायित्व/(दोषपूर्ण)	(481.73)	(396.76)	(48.02)	(986.12)

2. परिभाषित लाभ दायित्व में हलचल:

(रुपि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	संश्लिष्ट मुद्दी		अंतरांतर	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
a	परिभाषित लाभ दायित्व - वर्ष की शुरुआत में	4,290.59	3,613.25	3,524.70	2,969.67
b	प्रतिफल रोक लागत	-	-	-	-
c	वर्तमान रोक लागत	144.86	138.96	208.09	179.24
d	व्याज लागत	297.31	252.64	246.20	207.87
e	संयोजित संपत्ति का दायित्व मूल्य	(226.48)	(87.26)	(19.05)	-
f	संवर्धित लाभ/(हानि)	464.93	382.98	10.71	167.93
g	परिभाषित लाभ दायित्व - वर्ष का अंत	4,971.21	4,290.59	3,970.65	3,524.70

3. संयोजित संपत्ति में हलचल:

(रुपि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	संश्लिष्ट मुद्दी		अंतरांतर	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
a	संयोजित संपत्ति का दायित्व मूल्य - वर्ष की शुरुआत में	3,893.82	3,594.32	2,538.58	1,757.28
b	लाभ आय	296.86	255.92	225.26	137.09
c	निष्पन्न संयोजित	522.27	140.84	1,177.84	644.23
d	संयोजित संपत्ति का दायित्व मूल्य	(226.48)	(97.26)	(19.05)	-
e	संवर्धित लाभ/(हानि)	-	-	-	-
f	संयोजित संपत्ति - फंड पर से अक्षिप्त/(अन्य) संयोजित संपत्ति पर अक्षिप्त	-	-	-	-
g	संयोजित संपत्ति का दायित्व मूल्य - वर्ष का अंत	4,489.48	3,893.82	3,922.63	2,538.58

4. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि:

(रुपि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	संश्लिष्ट मुद्दी		अंतरांतर	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
a	प्रतिफल रोक लागत	-	-	-	-
b	वर्तमान रोक लागत	144.86	138.96	208.09	179.24
c	व्याज लागत	297.31	252.64	246.20	207.87
d	संयोजित संपत्ति पर अक्षिप्त लाभ	(226.48)	(255.92)	(225.26)	(137.09)
e	दायित्व का वितरित (लाभ)/(हानि)	-	-	-	-
f	वर्ष में कुल संयोजित (लाभ)/(हानि)	464.93	382.98	10.71	167.93
g	लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त लाभ	607.24	518.68	236.74	417.95



5 Breakup of Actuarial (Gain) / Loss - Not recognized in Books

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2023	As at 31.03.2022	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a	Actuarial (Gain)/Loss due to OBO Experience	-	-	-	-
b	Actuarial (Gain)/Loss arising during the period (A)	464.93	382.98	10.71	167.93
c	Return on Plan Assets greater/(less) than discount rate (B)	-	-	-	-
d	Actuarial (Gain)/Loss recognised in OCI (A+B)	464.93	382.98	10.71	167.93

6 Sensitivity Analysis

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2023	As at 31.03.2022	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a	Discount Rate (%)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
b	Salary Growth Rate (%)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

7 Actuarial Assumption

S.No.	Particulars	Earned Leave		Gratuity	
		As at 31.03.2023	As at 31.03.2022	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a	Method Used	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method
b	Discount Rate	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
c	Rate of Salary Increase	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
d	Mortality Rate	1%-3% depending on age	1%-3% depending on age	1%-3% depending on age	1%-3% depending on age

8 Category of Investment in Plan Assets

S.No.	Category of Investment	% of Fair Value of Plan Asset
a	Funds managed by insurer	100%

38: Disclosures in respect of: Operating Segments:

The Company is primarily engaged in the business of Transmission of Electricity, which is considered as one business segment. Further, the operations of Inter-state lines and related assets by the company do not entail different and separate risks & returns for the company as the said operations are regulated by the norms similar to the regulated norms for the operations of Intra-state lines and related assets. Also, the segment reporting based on geographical risk factor is not applicable, as the Company operates only in the State of Uttarakhand. Hence, there is no separate reportable segment as required by Ind-AS 108 "Operating Segments".

39: Disclosures in respect of Ind AS-24: Related Party Disclosures

1 Key Managerial Personnel (KMP)

S.No.	Name	Designation	KMP
1	Shri P.C.Dhyani	Managing Director	Managing Director
2	Shri Sudhakar Badoni	Director (Finance)	Director (Finance)
3	Shri Arun Sabharwal	Company Secretary	Company Secretary

2 Remuneration / Compensations of KMPS

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022
1	Salary & Allowances	47.75	117.87
	Total	47.75	117.87



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

६. वित्तीय लाभ/हानि का हलकाली - पुस्तकों में मान्यता प्राप्त नहीं है

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	अभित सुझा		उपचार	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
a	वित्तीय लाभ/हानि के कारण वित्तीय लाभ/हानि	-	-	-	-
b	वित्तीय लाभ/हानि के कारण होने वाली हानि (ए)	464.93	382.98	10.71	167.93
c	वित्तीय लाभ/हानि के कारण होने वाली हानि (ए)	-	-	-	-
d	वित्तीय लाभ/हानि के कारण होने वाली हानि (ए+बी)	464.93	382.98	10.71	167.93

६. संप्रदायिकता का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	अभित सुझा		उपचार	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
a	वित्तीय लाभ (ए)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
b	वित्तीय हानि (ए)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

७. वित्तीय अनुपात

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	अभित सुझा		उपचार	
		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
a	वित्तीय अनुपात	अनुपातित इकाई	अनुपातित इकाई	अनुपातित इकाई	अनुपातित इकाई
b	वित्तीय लाभ	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
c	वित्तीय हानि	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
d	वित्तीय लाभ	वित्तीय लाभ पर 1%-3%	वित्तीय लाभ पर 1%-3%	वित्तीय लाभ पर 1%-3%	वित्तीय लाभ पर 1%-3%

८. योजनागत व्ययों में निवेश की श्रेणी

क्र.सं.	निवेश की श्रेणी	योजना परिसंपत्ति के अभित सुझा का :
a	वित्तीय लाभ/हानि	100%

38. व्यावसायिक खर्चों के संबंध में प्रकटीकरण:

कंपनी मुख्य रूप से बिजली के वितरण के व्यवसाय में लगी हुई है, जिसे एक व्यवसायिक खर्च के रूप में माना जाता है। इसका अर्थ है, कंपनी द्वारा अंतर-राज्यीय लाइन और संबंधित परिसंपत्तियों में संचालन में कंपनी को किए गए अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्यीय अंतर-राज्यीय और वित्तन नहीं होते हैं क्योंकि एक संचालन इकाई-स्टेट लाइन को संचालन के लिए विनिर्दिष्ट लागतों को संचालन लागतों द्वारा विनिर्दिष्ट होते हैं और संबंधित संपत्ति। साथ ही, वित्तीय खर्चों के अंतर-राज्यीय खर्चों को संचालन लागत नहीं है, क्योंकि कंपनी केवल उत्तराखण्ड राज्य में काम करती है। इसलिए, Ind AS 108 'अंतर-राज्यीय संचालन' द्वारा अंतर-राज्यीय अंतर-राज्यीय खर्चों को संचालन लागत खर्च नहीं है।

39. संबंधित पक्ष के संबंध में प्रकटीकरण:

1. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

क्र.सं.	नाम	पद	केएमपी
1	श्री पी.सी. ध्यानी	प्रकाश निदेशक	प्रकाश निदेशक
2	श्री लुधजान बडोनी	निदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)
3	श्री अरुण रामनारायण	कंपनी सचिव	कंपनी सचिव

2. केएमपी का पारिवारिक/मुलावजा

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 31.03.2023 को समाप्त हुआ	वर्ष 31.03.2022 को समाप्त हुआ
1	वेतन और भत्ते	47.75	117.87
	कुल	47.75	117.87

**POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED****Notes to Financial Statements****40: Disclosures of Transactions entered with Govt./ Govt. owned entities:****1 Relation with Government of Uttarakhand**

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	Nature of Relationship	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a	Share Holder	100% Shareholding	72,387.73	63,486.24

2 Transaction with Govt. of Uttarakhand (GoU)/ GoU owned Entity

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Transmission charges from UPCL	36,536.89	35,066.06
2	Share Application Money received from GoU	6,890.49	2,000.00
	Total	43,427.38	37,066.06

41: Disclosures in respect of Ind AS- 116: Leases:

The Company has not given any asset under operating lease.

The Company has taken land on lease. Generally, leases are renewed only on mutual consent and at a prevalent market price and sub-lease is restricted.

Details with respect to right-of-use assets:

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2023			
		Gross Carrying Value of Asset	Accumulated Depreciation	Net Carrying Value of Asset	Depreciation during the year
1	Land (Lease Rights)	6,468.58	1,318.67	5,149.91	213.58
	Total	6,468.58	1,318.67	5,149.91	213.58

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2022			
		Gross Carrying Value of Asset	Accumulated Depreciation	Net Carrying Value of Asset	Depreciation during the year
1	Land (Lease Rights)	6,457.90	1,105.09	5,352.81	134.09
	Total	6,457.90	1,105.09	5,352.81	134.09



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

40: सरकार के साथ दर्ज लेनदेन के संबंध में प्रकटीकरण/सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाएं:

1. उत्तराखण्ड सरकार के साथ संबंध

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	रिस्ते की प्रकृति	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	हॉस्टेल/घर	100% स्वामित्व	72,387.73	63,488.24

2. उत्तराखण्ड सरकार के साथ लेनदेन (GoU)/GoU के स्वामित्व वाली इकाई

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	UPCL से ट्रांसमिशन शुल्क	36,686.89	35,066.06
2	GoU से प्राप्त आवेदन राशि को साझा करें	6,899.49	2,000.00
	कुल	43,486.38	37,066.06

41: इंसट्रूज AS-116 के संबंध में प्रकटीकरण: पट्टों:

कंपनी ने ऑपरेटिंग लीज के तहत कोई संपत्ति नहीं दी है।

कंपनी ने लीज पर जमीन ली है। जान लीज पर, पट्टों का नवीनीकरण कंपनी अपनी सहायता पर और प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है और उप-पट्टा प्रतिबन्धित होता है।

उपयोग के अधिकार की संपत्ति के संबंध में विवरण:

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक			
		संपत्ति का सकल वहन मूल्य	संचित मूल्यह्रास	संपत्ति का शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास
1	भूमि (पट्टा अधिकार)	6,468.58	1,318.87	5,149.71	213.58
	कुल	6,468.58	1,318.87	5,149.71	213.58

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2022 तक			
		संपत्ति का सकल वहन मूल्य	संचित मूल्यह्रास	संपत्ति का शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास
1	भूमि (पट्टा अधिकार)	6,457.90	1,105.09	5,352.81	134.09
	कुल	6,457.90	1,105.09	5,352.81	134.09



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

42: Earning per Share (EPS):

1 Basic Earning per Share

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a	Profits for the year available to the Equity Shareholders of the company	1,711.67	3,800.65
b	Earning used for calculation of Basic EPS	1,711.67	3,800.65
c	Weighted average number of ordinary shares for the purpose of Basic EPS	65.82	60.42
	Basic Earning per Share	26.01	62.90

1 Dilute Earning per Share

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
a	Profits for the year available to the Equity Shareholders of the company	1,711.67	3,800.65
b	Earning used for calculation of Basic EPS	1,711.67	3,800.65
c	Profits for the year available to the Equity Shareholders of the company adjusted for the effect of dilution	1,711.67	3,800.65
d	Weighted average number of ordinary shares for the purpose of Basic EPS	65.82	60.42
e	Share application money pending allotment	-	2,000.00
f	Number of Share in Share application money pending allotment	-	2.00
g	Weighted average number of Equity shares for the effect of dilution	65.82	62.42
	Diluted Earning per Share	26.01	60.89



पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड
वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

42 : प्रति शेयर कमाई (EPS):

1. प्रति शेयर मूल कमाई

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
a	कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध वर्ष के लिए लाभ	1,711.67	3,800.65
b	बेसिक ईपीएस की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कमाई	1,711.67	3,800.65
c	बेसिक ईपीएस के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या	65.82	60.42
	प्रति शेयर मूल कमाई	26.01	62.90

2. प्रति शेयर डाईल्यूटेड आय

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
a	कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध वर्ष के लिए लाभ	1,711.67	3,800.65
b	बेसिक ईपीएस की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली कमाई	1,711.67	3,800.65
c	कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध वर्ष के लिए लाभ कमजोर पड़ने के प्रभाव के लिए समायोजित	1,711.67	3,800.65
d	बेसिक ईपीएस के उद्देश्य से साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या	65.82	60.42
e	साझा करें आवेदन का पैसा लंबित आवेदन	-	2,000.00
f	शेयर आवेदन राशि में शेयर की संख्या संबंधित आवेदन	-	2.00
g	कमजोर पड़ने के प्रभाव के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	65.82	62.42
	प्रति शेयर डाईल्यूटेड आय	26.01	60.89

**POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED**

Notes to Financial Statements

43: Capital Commitments:

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	As at 31.03.2023	As at 31.03.2022
1	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances)	45,632.76	55,453.56

Other Relevant Disclosures:

44	PTCUL is not declared as wilful defaulter by any bank or financial institution.
45	Foreign Exchange Earning & Outgo: Nil (Previous Year - Nil).
46	Company does not have any Intangible assets under development.
47	The Company has not entered into any transactions with struck off companies under Section 248 of the Companies Act, 2013.
48	The Company has not borrowed from banks or financial institutions on the basis of security of current assets.
49	Provisions of number of layer prescribed under clause 87 of section 2 of the Act read with Companies (Restriction on number of Layers) Rules 2017 is not applicable to the Company.
50	No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made thereunder.
51	No Scheme of Arrangements has been approved by the Competent Authority in terms of Sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 for the Company.
52	The company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the Financial year 2021-22.
53	The Company does not have any such transaction which is not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961).
54	Company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the intermediary shall directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
55	Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
56	Ratio Disclosures in accordance with Schedule III of the Companies Act, 2013 is as follows:



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

43 : पूंजी प्रतिबद्धताएं:

(रुपि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	पूंजी खाते पर निर्बाधित होने वाली रोक संधियों की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल)	45,632.76	55,453.56

अन्य प्रासंगिक प्रकटीकरण:

44	PTCUL को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
45	विदेशी मुद्रा आय और व्यय शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)।
46	कंपनी के पास विकास के तहत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है।
47	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत खद की गई कंपनियों के साथ कंपनी ने कोई लेन-देन नहीं किया है।
48	कंपनी ने मौजूदा संपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से उधार नहीं लिया है।
49	कंपनी (घरतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 की धारा 87 के तहत निर्धारित घरत की संख्या के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
50	बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
51	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कंपनी के लिए व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई है।
52	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई कारोबार या निवेश नहीं किया है।
53	कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे आकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकट किया गया है (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रासंगिक) आकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान)।
54	कंपनी ने समझ (बाहे रिजॉर्ड किया गया हो) के साथ विदेशी संस्थाओं (फंड्स) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को उन्नत या ऋण या निवेशित धन (या तो उधार ली गई धनराशि या प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन का प्रकार) का निवेश नहीं किया है। लिखित रूप में या अन्यथा) कि संव्यय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार या निवेश करेगा या उसकी ओर से परम लाभार्थी को कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करेगा।
55	कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) से इस समझ के साथ (बाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या अन्य व्यक्तियों में निवेश करेगी या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान की गई संस्थाएँ या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करते हैं।
56	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अनुपात प्रकटीकरण इस प्रकार है:



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

(Amount in Rs. Lakhs)

S.No.	Particulars	2022-23	2021-22	% Change in Current Year w.r.t. Previous
1	Current Ratio			
a	Current Assets	69,137.89	67,709.86	
b	Current Liabilities	41,729.58	40,635.02	-0.57%
	Current Ratio (a/b)	1.66	1.67	
2	Debt Equity Ratio			
a	Long Term Debt	1,32,316.80	1,37,306.27	
b	Share holder's Equity	1,25,743.53	1,17,711.34	-9.70%
	Debt Equity Ratio (a/b)	1.05	1.17	
3	Debt Service Coverage Ratio (Cost Coverage Ratio):			
	Profit After Tax (PAT)	2,187.31	4,351.56	
	Interest	8,231.30	7,853.08	
	Non cash expenses (Depreciation)	13,186.36	11,900.16	
	Total A (PBID)	23,604.98	24,104.80	6.85%
	Installment - Interest	8,231.30	7,853.08	
	Installment - Principal repayment	6,089.68	7,773.41	
	Total B	14,320.98	15,626.49	
	DSCR	1.65	1.54	
4	Return on Equity Ratio			
a	Net Profit	2,187.31	4,351.56	-52.95%
b	Share holder's Equity	1,25,743.53	1,17,711.34	
	Net Profit Ratio (a/b)	1.74%	3.70%	
5	Net Profit Ratio			
a	Net Profit	2,187.31	4,351.56	
b	Turnover	37,267.65	34,649.76	-53.27%
	Net Profit Ratio (a/b)	5.87%	12.56%	
6	Return on Capital Employed/ Return on Investment			
a	Net Profit	2,187.31	4,351.56	
b	Capital Employed	2,58,060.33	2,55,017.61	-50.33%
	ROCE (a/b)	0.85%	1.71%	
7	Return on Investment			
a	Net Profit	2,187.31	4,351.56	
b	Total Assets	2,99,789.91	2,95,652.63	-50.43%
	ROI (a/b)	0.73%	1.47%	



पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए विधिवत

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2021-22	वर्तमान वर्ष में % परिवर्तन w.r.t. पहले का
1	वर्तमान अनुपात			
a	वर्तमान संपत्ति	69,137.89	67,709.86	-0.57%
b	वर्तमान देयदारियाँ	41,729.58	40,635.02	
	वर्तमान अनुपात (ए/बी)	1.66	1.67	
2	ऋण इक्विटी अनुपात			
a	लंबी अवधि के ऋण	1,32,316.80	1,37,308.27	-9.79%
b	होल्डरों की इक्विटी	1,25,743.53	1,17,711.34	
	ऋण इक्विटी अनुपात (ए/बी)	1.05	1.17	
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (लागत कवरेज अनुपात):			
	सर्व परचाय लाग (पीएटी)	2,187.31	4,351.56	6.85%
	ग्राम	8,231.30	7,853.08	
	रेल नकद भुगतान (मुल्दाहान)	13,186.36	11,900.16	
	कुल ए (पीवीआईडी)	23,604.96	24,104.80	
	विल्ट - ग्राम	8,231.30	7,853.08	
	विल्ट - मुल्दाहान का पुनर्गठन	6,089.68	7,773.41	
	कुल बी	14,320.98	15,626.49	
	डीएससीआर	1.65	1.54	
4	इक्विटी अनुपात पर लौटे			
a	शुद्ध लाग	2,187.31	4,351.56	-62.96%
b	होल्डरों की इक्विटी	1,25,743.53	1,17,711.34	
	शुद्ध लाग अनुपात (ए/बी)	1.74%	3.70%	
5	शुद्ध लाग अनुपात			
a	शुद्ध लाग	2,187.31	4,351.56	-53.27%
b	कार्टेज	37,267.65	34,649.75	
	शुद्ध लाग अनुपात (ए/बी)	5.87%	12.56%	
6	निर्गमन पूंजी पर प्रतिकूल/निवेश पर प्रतिभाग			
a	शुद्ध लाग	2,187.31	4,351.56	-50.33%
b	व्यवसाय के लिए आवश्यक मुल्दाहान	2,58,060.33	2,55,017.61	
	कार्टेज (ए/बी)	0.85%	1.71%	
7	निवेश पर प्रतिकूल			
a	शुद्ध लाग	2,187.31	4,351.56	-50.43%
b	कुल संपत्ति	2,99,789.91	2,95,652.63	
	कार्टेज (ए/बी)	0.73%	1.47%	



POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED

Notes to Financial Statements

(Amount in Rs. Lakhs)

Amount in Rs. Lakhs

S.No.	Particulars	2022-23	2021-22	% Change in Current Year w.r.f. Previous
8	Capital Turnover Ratio			
a	Share holder's Equity	1,25,743.53	1,17,711.34	0.68%
b	Turnover	37,267.65	34,649.76	
	Capital Turnover Ratio (b/a)	29.64%	29.44%	
9	Trade Receivable Turnover Ratio			
a	Credit Sales	37,267.65	34,649.76	52.33%
b	Average Trade Receivables	14,633.23	20,724.92	
	Trade Receivable Turnover Ratio (a/b)	2.55	1.67	
10	Inventory Turnover Ratio			
a	Turnover/Sales	37,267.65	34,649.76	23.41%
b	Average Inventory	5,042.20	5,785.55	
	Inventory Turnover Ratio (a/b)	7.39	5.99	
57	The balances with the debtors, receivables, creditors, payables and advances are subject to confirmation.			
58	The previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary, to conform to current year classification.			

As per our report of even date attached

For Sanjay Dhillon & Associates
Chartered Accountants
FRNo.: 0511011C

For & On behalf of the Board of Directors of
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

(CA. Vijay Kumar Gupta)
Partner
M. No.: 414736
Place: Dehradun, Uttarakhand
Date: 15-07-2023

Arun Sabharwal
Company Secretary)

Sudhakar Badoni
Director (Finance)
DIN 08511575

P.C. Dhillon
Managing Director
DIN: 07536665

UDIN: 23414736BGXZYQ5080



पोवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लिए बोट्स

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21	वर्तमान वर्ष में % परिवर्तन w.r.t. पहले का
8	कैपिटल टर्नओवर अनुपात			
a	संचालन की दृष्टि	1,26,743.63	1,17,711.34	0.68%
b	कारोबार	37,267.65	34,649.76	
	पूर्वी कारोबार अनुपात (बी/ए)	29.64%	29.44%	
9	व्यापार ग्राह्य टर्नओवर अनुपात			
a	व्यापार दृष्टि	37,267.65	34,649.76	52.33%
b	औसत व्यापार ग्राह्य	14,633.23	20,724.92	
	व्यापार ग्राह्य टर्नओवर अनुपात (ए/बी)	2.55	1.67	
10	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात			
a	कारोबार / दृष्टि	37,267.65	34,649.76	23.41%
b	औसत स्तर	5,042.20	5,785.55	
	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (ए/बी)	7.39	6.99	
57	देनदारों, ग्राह्य, लेनदारों, देय और कर्मियों के साथ शेष राशि प्रति के अधीन है।			
58	पिछले वर्ष के लाइनों को वस्तु वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए, जहां आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।			

उप दिनांक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार संलग्न है।

होने वाले प्रमुख दृष्टि दृष्टिकोण के लिए
पोर्टेबल अकाउंटेंट
आईटीएआई फर्म प्रमाणित संख्या 05110110

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
को निर्देशन मंडल के लिए या उसकी ओर से

(सी.ए. विष्णु कुमार गुप्ता)
साक्षी
संख्या 414736

अध्यक्ष समितियों
(अध्यक्ष समिति)

सुधाकर बडोनी
निदेशक (वित्त)
सीआईएन: 06011575

पी.सी. बरानी
प्रबंध निदेशक
सीआईएन: 07538855

स्थान : देहरादून, उत्तराखण्ड
दिनांक : 18.07.2023

UDIN: 23414736BGXZYQ5080

**POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD****Note 1. Corporate Background and Significant Accounting Policies****Note 1(i): COMPANY'S OVERVIEW**

The Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited (herein after referred to as the "Company") is public limited company domiciled and incorporated in India under the Companies Act, 1956 (repealed by Companies Act, 2013). The registered office of the Company is located at Vidyut Bhawan, 132 KV Majra Campus, Dehradun - 248001. The principal business of the Company is Transmission of Electricity and State Load Dispatch Centre (SLDC) function in the state of Uttarakhand.

As a part of Power reform process in the State of Uttarakhand, the Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) was incorporated by Govt of Uttarakhand (GOU). Consequent to the unbundling of UPCL on 31.05.2004 the Power Transmission Corporation of Uttaranchal Limited (PTCUL) was incorporated on 27.05.2004 as separate company and assigned separately the business of Transmission of Electricity and State Load Dispatch Centre (SLDC) function in the state of Uttaranchal. The scope of the business, Assets & Liabilities of the said Company and other incidental & consequential matters were laid down in the detailed transfer scheme notified by the Govt. of Uttaranchal vide Notification No. 86/1/2004-06(3) 2003 dated 31.05.2004 and 87/1/2004-06 (3) 2003 dated 31.05.2004. The Name of the Company was changed from Power Transmission Corporation Of Uttaranchal Limited to Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited in February, 2007.

Note 1(ii): BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS**(a) Statement of Compliance**

The Company's financial statements have been prepared in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and the Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and amendments thereof issued by Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India in exercise of the powers conferred by section 133 of the Companies Act, 2013 (the "Act"). In addition, the guidance notes / announcements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) have also been applied in the preparation of accounts except where compliance with other statutory enactment require different treatment.

Basis of Accounting

The Company maintains its accounts on accrual basis following historical cost convention, except for the following assets and liabilities which have been measured at fair value or at revalued amounts in accordance with Ind AS-

- Derivative financial instruments,
- Financial assets and liabilities measured at fair value (Refer to accounting policy regarding financial instruments),
- Employee benefit expenses (Refer to accounting policy regarding Retirement and other employee benefits)

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

नोट 1. कॉर्पोरेट पृष्ठभूमि और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

नोट 1 (i): कंपनी का अवलोकन

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (बाद में 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निरस्त) के तहत भारत में अधिधारित और निगमित है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय विद्युत भवन, 132 केवी माजरा कैम्पस, देहरादून - 248001 में स्थित है। कंपनी का प्रमुख व्यवसाय उत्तराखण्ड राज्य में बिजली का ट्रांसमिशन और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) कार्य करता है।

उत्तराखण्ड राज्य में बिजली रुद्धा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) को उत्तराखण्ड सरकार (GOU) द्वारा शामिल किया गया था। 31.05.2004 को UPCL के विघटन के परिणामस्वरूप, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (PTCUL) को 27.05.2004 को अलग कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और उत्तराखण्ड राज्य में बिजली के ट्रांसमिशन और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) के कार्य को अलग से सौंपा गया था। उक्त कंपनी के व्यवसाय, संपत्ति और देनदारियों और अन्य प्रासंगिक और परिणामी मामलों का दाया सरकार द्वारा अधिसूचित विस्तृत हस्तांतरण योजना में निर्धारित किया गया था। उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या 86/1/2004-06(3) 2003 दिनांक 31.05.2004 और 87/1/2004-06 (3) 2003 दिनांक 31.05.2004 के द्वारा। फरवरी, 2007 में कंपनी का नाम पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड से बदलकर पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड किया गया।

नोट 1(ii): वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

(a) अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम, 2015) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ("Ind AS") और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संशोधनों के अनुसार तैयार किए गए हैं। सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार। इसके अलावा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देश नोट/घोषणाओं को भी खातों की तैयारी में लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां अन्य वैधानिक अधिनियमों के अनुपालन के लिए अलग व्यवहार की आवश्यकता होती है।

लेखांकन का आधार

कंपनी निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य पर या इंड-एस के अनुसार पुनर्मूल्यांकन राशि पर मापा गया है, को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के बाद प्रोद्भवन के आधार पर अपने खातों का रखरखाव करती है: -

- व्युत्पन्न वित्तीय साधनों
- उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्तियां और देनदारियां (वित्तीय लिखतों के संबंध में लेखा नीति देखें)
- कर्मचारी लाभ व्यय (सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभों के संबंध में लेखा नीति देखें)



Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date.

(b) Presentation of Financial Statements

The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Statement of Changes in Equity are prepared and presented in the forms prescribed in the Schedule III to the Companies Act, 2013. The Statement of Cash Flow is prepared and presented as per the requirements of Ind AS 7 "Statement of Cash Flows". The disclosure requirements with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the financial statements along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards.

Amounts in the financial statements are presented in Indian Rupees (INR) in lakh [1 lakh = 100 thousand] rounded off to two decimal places as permitted by Schedule III to the Companies Act, 2013, unless otherwise stated.

Per share data are presented in Indian Rupees to two decimals.

(c) Use of Estimate, Judgement and Assumptions

The preparation of the financial statements in conformity with recognition and measurement principles of Ind AS requires the management of the Company to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of income and expenses of the period, the reported balances of assets and liabilities and disclosure relating to contingent liabilities as on the date of the financial statements. Estimates and underlying assumptions made by management are explained under respective policies and are reviewed on an ongoing basis. Revision of accounting estimates are recognised in the period in which the estimates are revised. Differences, if any, between the actual results and estimates are recognised in the periods in which the results are known.

(d) Operating Cycle for Current and Non-Current Classification

Operating cycle for the business activities of the Company covers the duration of the specific project/contract/product line/service including the defect liability period wherever applicable and extends up to the realisation of receivables (including retention monies) within the agreed credit period normally applicable to the respective lines of business.

(e) Current/Non-Current Classification

Any asset or liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

- a) the asset/liability is expected to be realized/settled in the Company's normal operating cycle;
- b) the asset is intended for sale or consumption;
- c) the asset/liability is held primarily for the purpose of trading;
- d) the asset/liability is expected to be realized/settled within twelve months after the reporting period;

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा, बले ही वह कीमत सीधे देखने योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित हो। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी परिसंपत्ति या देयता की विशेषताओं को ध्यान में रखती है यदि बाजार सहभागियों ने माप तिथि पर परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उन विशेषताओं को ध्यान में रखा है।

(b) वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और इतिवृत्ति में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रपत्रों में तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। IndAS 7 'नकदी प्रवाह का विवरण' की आवश्यकताओं के अनुसार नकदी प्रवाह का विवरण तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित अनुसार, बैलेंस शीट और लाभ और हानि के विवरण में मदों के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकताएं, अधिसूचित लेखा मानकों के तहत प्रकट किए जाने के लिए आवश्यक अन्य नोटों के साथ वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

वित्तीय विवरणों में राशि भारतीय रुपये (INR) में लाख में प्रस्तुत की जाती है [1 लाख = 100 हजार] को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाता है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 द्वारा अनुमत है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्रति शेयर डेटा भारतीय रुपये में दो दशमलव तक प्रस्तुत किया जाता है।

(c) अनुमान, निर्णय और धारणाओं का उपयोग

अनुमान, निर्णय और धारणाओं का उपयोग IndAS की मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कंपनी के प्रबंधन को अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो अवधि की आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई शेष राशि और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार आकस्मिक देनदारियों के लिए। प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं को संबंधित नीतियों के तहत समझाया गया है और निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है। वार्षिक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर, यदि कोई हो, को उन अवधियों में पहचाना जाता है जिनमें परिणाम ज्ञात होते हैं।

(d) वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण के लिए संचालन चक्र

कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए परिचालन चक्र विशिष्ट परियोजना/अनुबंध/उत्पाद लाइन/सेवा की अवधि को शामिल करता है जिसमें दोष देयता अवधि जहां भी लागू हो, शामिल है और सामान्य रूप से व्यापार की संबंधित लाइनों पर लागू होने वाली सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर प्राप्तियों (प्रतिधारण वन सहित) की वसूली तक फैली हुई है।

(e) वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण

किसी भी परिसंपत्ति या देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है:

- अस्तित्व/दायित्व को कंपनी के मानक संचालन चक्र में वसूल/निपटाए जाने की उम्मीद है;
- संपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिप्रेत है;
- परिसंपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित की जाती है;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है



- e) the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date;
- f) in the case of a liability, the Company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

For the purpose of current/non-current classification of assets and liabilities, the Company has ascertained its normal operating cycle as twelve months.

Note 1(iii):SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(a) Property, Plant and Equipments (PPE)

PPE is recognised when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. PPE is stated at original cost net of tax/duty credits availed, if any, less accumulated depreciation and cumulative impairment, if any. All directly attributable costs related to the acquisition of PPE and borrowing costs in case of qualifying assets are capitalised in accordance with the Company's accounting policies herein below explained in respect of capitalisation of expenses during construction of capital works and projects undertaken by the company.

In the case of commissioned assets, deposit works/cost-plus contracts where final settlement of bills with contractors is yet to be effected, capitalization is done on the date of commissioning, subject to necessary adjustments in the year of final settlement.

Transmission system assets are considered as ready for intended use on the date of commercial operation declared in terms of UERC tariff regulations and capitalized accordingly.

PPE Cost includes purchase price (after deducting trade discount / rebates), non-refundable duties and taxes, cost of replacing the component parts, borrowing costs, site restoration cost or decommissioning liability and other directly attributable cost to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost can be measured reliably

PPE not ready for the intended use on the date of the Balance Sheet are disclosed as "capital work-in-progress". (Also refer to policy on leases, borrowing costs and impairment of assets).

Spare parts procured along with the Plant & Equipment or subsequently which meets the recognition criteria of PPE are treated as capital inventory. The carrying amounts of the spare parts which were capitalized earlier are derecognized when no future economic benefits are expected from their use or upon disposal. Spares other than capital spares are treated as "stores & spares" forming part of the inventory.



- e) परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है;
- f) कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान गैर- वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए, कंपनी ने अपने सामान्य परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

नोट 1 (iii): महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE)

पीपीई को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभव हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। पीपीई को मूल लागत पर प्राप्त कर/शुल्क क्रेडिट, यदि कोई हो, कम संचित मूल्यह्रास और संघयी हानि, यदि कोई हो, पर बताया गया है। पीपीई के अधिग्रहण से संबंधित सभी सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत और अर्हक संपत्ति के मामले में उधार लेने की लागत को कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है, जिसे कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत कार्यों और परियोजनाओं के निर्माण के दौरान खर्चों के पूंजीकरण के संबंध में नीचे बताया गया है।

कमीशन की गई संपत्तियों, जमा कार्यों/लागत-प्लस अनुबंधों के मामले में जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान किया जाना बाकी है, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन, चालू होने की तिथि पर पूंजीकरण किया जाता है।

ट्रांसमिशन सिस्टम परिसंपत्तियों को यूईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार घोषित वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

पीपीई लागत में खरीद मूल्य (व्यापार छूट/छूट में कटौती के बाद), गैर-वापसी योग्य शुल्क और कर, घटक भागों को बदलने की लागत, उधार लेने की लागत, साइट बहाली लागत या डीकमिशनिंग देयता और संपत्ति को स्थान और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए अन्य सीधे जिम्मेदार लागत शामिल है। यह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए।

बाद की लागतों को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है या उपयुक्त के रूप में एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तभी जब यह संभव हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।

पीपीई बैलन्स शीट की तिथि पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है, उन्हें "पूंजीगत कार्य-प्रगति" के रूप में प्रकट किया जाता है। (पृष्ठों पर नीति, उधार लेने की लागत और संपत्ति की हानि भी देखें)।

संयंत्र और उपकरण के साथ खरीदे गए स्पेयर पार्ट्स या बाद में जो पीपीई के मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें पूंजी स्रुची के रूप में माना जाता है। स्पेयर पार्ट्स की वहन मात्रा जो पहले पूंजीकृत की गई थी, जब उनके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उन्हें अमान्य कर दिया जाता है। पूंजीगत स्पेयर के अलावा अन्य पुर्जों को "स्टोर और स्पेयर" के रूप में माना जाता है।



Inspection cost pertaining to PPE is directly debited to cost of PPE.

Expenditure incurred on renovation, modernization and augmentation of PPE on or before completion of the originally estimated useful life of sub-station / transmission lines resulting in increased life and /or efficiency of an existing asset, is added to the cost of the related asset. PPE acquired as replacement of the existing assets /component is capitalized and its corresponding replaced assets/component removed /retired from active use are derecognized.

Afforestation charges for acquiring right-of-way for laying transmission lines are capitalised on the basis of actual expenditure incurred for the Projects.

De-recognition

An item of PPE is derecognized when no future economic benefits are expected from use.

Any gain or loss arising on the de-recognition of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in statement of profit and loss on the date of disposal or retirement.

(b) Capital Works In Progress

Expenditure incurred on assets under construction (including a project) is carried at cost under Capital work in Progress ('CWIP'). Such costs comprise purchase price (after deducting trade discount/ rebate) including non-refundable duties and taxes and other costs that are directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Interest during construction and expenditure (Net) allocated to construction project as per policy are kept as a separate item under CWIP and apportioned to the assets being capitalized in proportion to the actual expenditure incurred during the year on the projects.

In respect of supply-cum-erection contracts (Turn-Key Contracts), the value of supplies received at site and accepted, is treated as Capital Works-in-Progress.

Claims of the Price Variation in case of contracts are accounted for on acceptance of Bills and acceptance thereof by the Company as per terms of contract

Value of construction stores, are charged to Capital Works-in-Progress as and when material is issued. The material at the year end and lying at site is treated as part of the Capital Work-in-Progress, but the material lying in the stores is grouped under the head stores and spares.

Employees Cost and Administrative cost incurred on supervision of Capital works are capitalized on the basis of actual expenditure incurred for the Projects.

The amount incurred upto 33 K.V. shall be transferred to the concerned parties after completion of works until that it will be shown under Capital work in progress.

जो पीपीई से संबंधित इन्वेंटो निरीक्षण लागत का हिस्सा बनते हैं और सीधे पीपीई की लागत में डेबिट किए जाते हैं।

ट्रान्समिशन लाइनों के मूल रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन के पूरा होने पर या उससे पहले पीपीई के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और संवर्द्धन पर किया गया व्यय, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा परिसंपत्ति के जीवन और दक्षता में वृद्धि हुई है, संबंधित संपत्ति पीपीई की लागत में जोड़ा जाता है। मौजूदा परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के रूप में घटक पूंजीकृत है और इसके संबंधित प्रतिस्थापित संपत्ति/घटक को सक्रिय उपयोग से हटा दिया गया/सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

पारेषण लाइन बिछाने के लिए राइट-ऑफ-वे प्राप्त करने के लिए वनरोपण शुल्क परियोजनाओं के लिए किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

मान्यता रद्द करना

पीपीई की एक वस्तु की मान्यता रद्द कर दी जाती है जब भविष्य में उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की मान्यता रद्द करने पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और निपटान की तिथि पर लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है। या सेवानिवृत्ति।

(b) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है

निर्माणधीन संपत्तियों (एक परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को पूंजीगत कार्य प्रगति (CWIP) के तहत लागत पर किया जाता है। इस तरह की लागतों में गैर-वापसी योग्य शुल्क और करों और अन्य लागतों सहित खरीद मूल्य (व्यापार छूट/छूट काटने के बाद) शामिल हैं जो परिसंपत्ति को स्थान पर लाने के लिए सीधे जिम्मेदार है और प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तें हैं।

निर्माण के दौरान ब्याज और नीति के अनुसार निर्माण परियोजना के लिए आवंटित व्यय (निवल) को सीडब्ल्यूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और परियोजनाओं पर वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक व्यय के अनुपात में पूंजीकृत संपत्ति के लिए विभाजित किया जाता है।

आपूर्ति-सह-निर्माण अनुबंध (टर्न-की कॉन्ट्रैक्ट्स) के संबंध में, साइट पर प्राप्त और स्वीकृत आपूर्ति के मूल्य को पूंजीगत कार्य-प्रगति के रूप में माना जाता है।

अनुबंधों के मामले में मूल्य भिन्नता के दावों का हिसाब कंपनी द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार बिलों की स्वीकृति और उनकी स्वीकृति पर लिया जाता है।

जब भी सामग्री जारी की जाती है, निर्माण मंडार का मूल्य, पूंजीगत कार्य-प्रगति से प्रभावित किया जाता है। वर्ष के अंत में और साइट पर पड़ी सामग्री को कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस के हिस्से के रूप में माना जाता है, लेकिन स्टोर्स में पड़ी सामग्री को हेड स्टोर्स और स्पेयर्स के तहत समूहीकृत किया जाता है।

पूंजीगत कार्यों के पर्यवेक्षण पर किए गए कर्मचारियों की लागत और प्रशासनिक लागत को परियोजनाओं के लिए किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

33 K.V. तक स्तर की गई राशि। कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित पक्षों की तब तक स्थानांतरित किया जाएगा जब तक कि इसे चल रहे पूंजीगत कार्य के तहत नहीं दिखाया जाएगा।



In case a project under construction remains in abeyance by the order of appropriate authority/ by injunction of order court, any expenditure incurred on such projects is debited to statement of profit & Loss from the date of such order till the period project is kept in abeyance by such order/injunction.

(c) Intangible assets

Intangible assets must be 1) individually identifiable and are separately recognizable, 2) under the control of the company and 3) flowing future economic benefits for more than one economic year 4) the cost of that asset can be measured reliably.

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses, if any.

Intangible assets are amortized on straight line basis over the estimated useful economic life.

An item of Intangible asset is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any profit or loss arising from derecognition of an intangible asset is determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in the Statement of Profit & Loss.

(d) Depreciation /Amortization

Depreciation on PPE is charged on pro rata basis from the date on which asset is available for use i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. The applicable rates and methodology are considered as per the regulations issued by Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) vide tariff regulation 2015 on straight line method.

No depreciation is charged on PPE of the damaged projects.

Leasehold land including any expenditure on development of land is fully amortized over lease period or life of the related Plants whichever is lower in accordance with the rates and methodology specified in UERC tariff Regulation.

Depreciation charge for impaired assets, if any, is adjusted in future periods in such a manner that the revised carrying amount of the asset is allocated over its remaining useful life.

Freehold land is not depreciated.

(e) Leases

Leases are accounted as per IndAS 116.

Assets taken on lease are accounted as right-of-use assets and the corresponding lease liability is accounted at the lease commencement date.

Initially the right-of-use asset is measured at cost which comprises the initial amount of



यदि कोई निर्माणाधीन परियोजना उपयुक्त प्राधिकारी के आदेश / न्यायालय के आदेश के कारण स्थगित रहती है, तो ऐसी परियोजनाओं पर किया गया कोई भी व्यय लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किया जाता है। ऐसे आदेश की तारीख से उस अवधि तक परियोजना को ऐसे आदेश / निर्देश द्वारा स्थगित रखा जाता है।

(c) अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्ति 1) व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य और अलग से पहचानने योग्य होनी चाहिए, 2) कंपनी के नियंत्रण में और 3) एक से अधिक आर्थिक वर्ष के लिए भविष्य के आर्थिक लाभ का प्रवाह 4) उस संपत्ति की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।

अलग से अर्जित की गई अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्ति को किसी भी संवित्त परिसोधन और संवित्त हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है।

अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन पर अमूर्त संपत्ति को सीधी रेखा के आधार पर परिसोधित किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति की एक वस्तु से निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। किसी अमूर्त संपत्ति की मान्यता समाप्त करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणी राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(d) मूल्यहास / परिसोधन

PPE पर मूल्यहास उस तारीख से आनुपातिक आधार पर लगाया जाता है जिस तारीख से परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है अर्थात् जब यह स्थान और स्थिति में होती है जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक होती है। लागू दरों और कार्यप्रणाली पर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा टेरिफ नियमन 2015 द्वारा स्ट्रेट लाइन पद्धति पर जारी विनियमों के अनुसार विचार किया जाता है।

क्षतिग्रस्त परियोजनाओं के PPE पर कोई मूल्यहास नहीं लिया जाता है।

लीजहोल्ड भूमि, भूमि के विकास पर किसी भी व्यय सहित, लीज अवधि या संबंधित संयंत्रों के जीवन, जो भी कम हो, UERC टेरिफ विनियम में निर्दिष्ट दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार पूरी तरह से परिसोधित है।

क्षतिग्रस्त संपत्तियों के लिए मूल्यहास शुल्क, यदि कोई हो, को भविष्य की अवधि में इस तरह से समायोजित किया जाता है कि परिसंपत्ति की संशोधित वहन राशि को इसके शेष उपयोगी जीवन पर आवंटित किया जाता है।

फ्री होल्ड जमीन हासिल नहीं है।

(e) पट्टे

पट्टेपट्टों का लेखा IndAS 116 के रूप में इंडस्ट्रीज़ के अनुसार किया जाता है।

लीज पर ली गई आस्तियों को उपयोग के अधिकार वाली आस्तियों के रूप में हिसाब में लिया जाता है और लीज शुरू होने की तारीख में संबंधित लीज देयता का हिसाब लगाया जाता है।

प्रारंभ में उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत पर मापा जाता है जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए



the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments, discounted using the Company's incremental borrowing rate. It is remeasured when there is changes in future lease payments arising from a change in an index or a rate, or a change in the estimate of the guaranteed residual value, or a change in the assessment of purchase, extension or termination option. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in the Statement of Profit and Loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The right-of-use asset is measured by applying cost model i.e. right-of-use asset at cost less accumulated depreciation and cumulative impairment, if any. The right-of-use asset is depreciated using the straight-line method from the commencement date to the end of the lease term or useful life of the underlying asset whichever is earlier. Carrying amount of lease liability is increased by interest on lease liability and reduced by lease payments made.

Lease payments associated with following leases are recognised as expense on straight-line basis:

- (i) Low value leases; and
- (ii) Leases which are short-term.

Assets given on lease are classified either as operating lease or as finance lease. A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an underlying asset. Initially asset held under finance lease is recognised in balance sheet and presented as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. Finance income is recognised over the lease term, based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on Company's net investment in the lease. A lease which is not classified as a finance lease is an operating lease.

The Company recognises lease payments in case of assets given on operating leases as income on a straight-line basis. The Company presents underlying assets subject to operating lease in its balance sheet under the respective class of asset.

(f) Inventories

Inventories mainly comprise stores and spare parts, construction material and other consumables held for internal use and are valued at costs. The cost of inventories is computed on FIFO basis.

The difference between stock as per books and as per physical verification in respect of stock taken on transfer of assets to company in terms of Transfer scheme has not yet been adjusted as they are subject to finalization of transfer scheme / Reconciliation.

गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने और हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस साइट को पुनर्स्थापित करने के लिए लागत का अनुमान, जिस पर यह स्थित है, प्राप्त कोई पट्टा प्रोत्साहन कम है।

लीज देयता को प्रारंभ में लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सुघकांक या दर में परिवर्तन, या गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के अनुमान में परिवर्तन, या खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प के आकलन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टे के भुगतान में परिवर्तन होता है। जब पट्टे की देयता को इस तरह से फिर से मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार की संपत्ति की वहन राशि के लिए एक समान समायोजन किया जाता है, या लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग की जाने वाली संपत्ति की वहन राशि घटाकर शून्य कर दिया गया है।

उपयोग के अधिकार की संपत्ति को लागत मॉडल को लागू करके मापा जाता है अर्थात् लागत पर उपयोग का अधिकार संपत्ति कम संवित मूल्यहास और संघयी हागि, यदि कोई हो। राइट-ऑफ-यूज एसेट का मूल्यहास स्ट्रेट-लाइन पद्धति का उपयोग करके प्रारंभ तिथि से लीज अवधि के अंत तक या अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन, जो भी पहले हो, का उपयोग करके किया जाता है। लीज देयता की वहन राशि लीज देयता पर ध्यान से बढ़ जाती है और लीज भुगतान से कम हो जाती है।

निम्नलिखित पट्टों से जुड़े पट्टा भुगतानों को सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है:

- (i) कम मूल्य के पट्टे; तथा
- (ii) पट्टे जो अल्पकालिक हैं।

पट्टे पर दी गई संपत्तियों को या तो परिचालन पट्टे के रूप में या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। शुरू में वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लीज अवधि में वित्त आय को एक पैटर्न के आधार पर मान्यता दी जाती है, जो लीज में कंपनी के शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दर्शाता है। एक पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है वह एक परिचालन पट्टा है।

कंपनी परिचालन पट्टों पर दी गई संपत्ति के मामले में सीधे-सीधे आधार पर आय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है। कंपनी परिसंपत्ति के संबंधित वर्ग के तहत अपनी बैलेंस शीट में परिचालन पट्टे के अधीन अंतर्निहित परिसंपत्तियां प्रस्तुत करती है।

(f) इन्वेंटरी

इन्वेंट्री में मुख्य रूप से रटोर और स्पेयर पार्ट्स, निर्माण सामग्री और आंतरिक उपयोग के लिए रखे गए अन्य उपभोग्य वस्तुएं शामिल हैं और लागत पर मूल्यवान हैं। इन्वेंट्री की लागत की गणना फीफो के आधार पर की जाती है।

कंपनी को हस्तांतरण योजना के तहत संपत्ति के हस्तांतरण पर लिए गए स्टॉक के संबंध में पुस्तकों के अनुसार स्टॉक और भौतिक सत्यापन के अनुसार अंतर को अभी तक समायोजित नहीं किया गया है क्योंकि ये हस्तांतरण योजना/समाधान को अंतिम रूप देने के अधीन हैं।



(g) Financial Instruments

Financial assets and/or financial liabilities are recognised when the Company becomes party to a contract embodying the related financial instruments.

All financial assets and financial liabilities are initially measured at transaction values and where such values are different from the fair value, at fair value. Transaction costs that are attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities (other than financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from as the case may be, the fair value of such financial assets or liabilities, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognised immediately in Profit or Loss.

A financial asset and a financial liability is offset and presented on net basis in the balance sheet when there is a current legally enforceable right to set-off the recognised amounts and it is intended to either settle on net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

Classification

The Company classifies financial assets as subsequently measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss on the basis of its business model for managing the financial assets and the contractual cash flows characteristics of the financial asset.

All financial liabilities are classified as subsequently measured at amortised cost except for financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives, are subsequently measured at fair value, with any gains or losses arising on re-measurement recognised in profit or loss.

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost using effective interest rate method, if:

- (a) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and
- (b) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial asset at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are subsequently measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flow and selling asset financial asset and the contractual terms of financial asset give rise on specific dates to cash flows that are solely payment of principal and interest on principal amount outstanding.

Financial asset at fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income. Financial assets under this category are measured initially as well as at each reporting period at fair value with all changes recognised in the statement of profit and loss.

(g) वित्तीय साधन

वित्तीय साधन वित्तीय परिसंपत्तियों और/या वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी संबंधित वित्तीय साधनों को शामिल करने वाले अनुबंध का पक्षकार बन जाती है।

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को शुरू में लेनदेन मूल्यों पर मापा जाता है और जहां ऐसे मूल्य उचित मूल्य से भिन्न होते हैं, उचित मूल्य पर। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के कारण लेन-देन की लागत (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों के अलावा) को जोड़ा या घटाया जाता है, ऐसे वित्तीय का उचित मूल्य प्रारंभिक मान्यता पर संपत्ति या देनदारियां। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के कारण सीधे लेनदेन लागत को लाभ या हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय देयता को बैलेंस शीट में शुद्ध आधार पर ऑफसेट और प्रस्तुत किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट-ऑफ करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और इसका उद्देश्य या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना या परिसंपत्ति का एहसास करना और निपटान करना है एक साथ दायित्व।

वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य या वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यापार मॉडल के आधार पर लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य और वित्तीय परिसंपत्ति की सविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों को छोड़कर सभी वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। डेरिवेटिव सहित इस तरह की देनदारियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है, लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त पुनरु माप पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि के साथ।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि:

- (a) वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य सविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है और
- (b) सविदात्मक शर्तों निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

अन्य व्यापक आय (FVTOCI) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों को व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य सविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और परिसंपत्ति वित्तीय संपत्ति को बेचना और वित्तीय संपत्ति की सविदात्मक शर्तों को नकद के लिए विशिष्ट तिथियों को जन्म देना है। प्रवाह जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति (FVTPL)

वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर लाभ या हानि के माध्यम से मापा जाता है जब तक कि इसे अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है। इस श्रेणी के तहत वित्तीय आस्तियों को शुरू में मापा जाता है, जैसा कि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में उचित मूल्य पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ होता है।



De-recognition of financial assets

The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers, the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another party. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset.

On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss if such gain or loss would have otherwise been recognized in profit or loss on disposal of that financial asset.

Impairment of financial assets

The Company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset or a group of financial assets is impaired. Ind AS 109 requires expected credit losses to be measured through a loss allowance. The Company recognises lifetime expected losses for all contract assets and/or all trade receivables that do not constitute a financing transaction. For all other financial assets, expected credit losses are measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life-time expected credit losses if the credit risk on the financial asset has increased significantly since initial recognition.

Financial liabilities and equity instruments

Financial instruments are classified as a liability or equity according to the substance of the contractual arrangement and not its legal form.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by a company are recognised at the proceeds received, net of issue costs.

Financial liabilities

All financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest method. Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any gains or losses arising on re-measurement recognised in profit or loss.

De-recognition of financial liabilities

The Company derecognises financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. An exchange between with lender of debt instruments with substantially different terms is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. Similarly, a substantial modification of the terms of an existing financial liability (whether or not attributable to the financial difficulty of the debtor) is accounted for as an extinguishment of the original financial liability and the recognition of a new financial liability. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in the statement of profit and loss.

वित्तीय आस्तियों की मान्यता रद्द करना

कंपनी एक वित्तीय परिसंपत्ति को तब मान्यता देती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के राबिदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित करता है और परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित करता है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित करती है और न ही बरकरार रखती है और हस्तांतरित संपत्ति को नियंत्रित करना जारी रखती है, तो कंपनी संपत्ति में अपने बनाए गए हित को पहचानती है।

किसी वित्तीय आस्ति की संपूर्णता में मान्यता समाप्त करने पर, आस्ति की अग्रणीत राशि और प्राप्त और प्राप्य प्रतिफल के बीच और संघर्षी लाभ या हानि के बीच का अंतर जिस अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी और इक्विटी में संचित किया गया था, को लाभ में मान्यता दी जाती है। या हानि यदि ऐसे लाभ या हानि को अन्यथा उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ या हानि में मान्यता दी गई होती।

वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी बैलेंस शीट की प्रत्येक तिथि पर आकलन करती है कि क्या वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह बिगड़ा हुआ है। Ind AS 109 में अपेक्षित क्रेडिट हानियों को हानि नशे के माध्यम से मापने की आवश्यकता है। कंपनी सभी अनुबद्ध परिसंपत्तियों और/या सभी व्यापार प्राप्ति के लिए आजीवन अपेक्षित नुकसान को पहचानती है जो एक वित्तीय लेनदेन का गठन नहीं करते हैं। अन्य सभी वित्तीय आस्तियों के लिए, प्रत्याशित ऋण हानियों को 12 महीने की प्रत्याशित ऋण हानियों के बराबर राशि पर या आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों के बराबर राशि पर मापा जाता है यदि वित्तीय परिसंपत्ति पर ऋण जोखिम प्रारम्भिक मान्यता के बाद से उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है।

वित्तीय देनदारियां और इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स

वित्तीय साधनों को राबिदात्मक व्यवस्था के सार के अनुसार देयता या इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, न कि इसके कानूनी रूप के अनुसार।

इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स

एक इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट्स कोई भी अनुबंध है जो किसी इकाई की सभी देनदारियों को घटाने के बाद उसकी संपत्ति में एक अवशिष्ट ब्याज का सबूत देता है। किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी लिखतों को प्राप्ति आय, निर्गम लागतों के निवल पर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देनदारियां

सभी वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रमाणी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। FVTPL पर वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर बताया गया है, लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त पुनः माप पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि के साथ।

वित्तीय देनदारियों की मान्यता रद्द करना

कंपनी वित्तीय देनदारियों को तब और केवल जब, कंपनी के दायित्वों का निर्वहन, रद्द या समाप्त होने पर अमान्य कर देती है। मूल वित्तीय दायित्व की समाप्ति और एक नई वित्तीय देयता की मान्यता के रूप में काफी भिन्न शर्तों के साथ ऋण उपकरणों के ऋणदाता के बीच एक विनिमय के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह, मौजूदा वित्तीय देयता (चाहे देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण हो या न हो) की शर्तों में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मूल वित्तीय दायित्व की समाप्ति और एक नई वित्तीय देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। गैर-मान्यता प्राप्त वित्तीय देयता की अग्रणीत राशि और भुगतान और देय प्रतिफल के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

**Derivative contracts**

The Company enters into derivative financial instruments to manage its exposure to foreign exchange rate risks, including foreign exchange forward contracts.

Derivatives are initially recognized at fair value at the date on which the derivative contracts are entered into and are subsequently re-measured to their fair value at the end of each reporting period. The resulting gain or loss is recognized in the statement of profit or loss immediately

Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts issued by the Company are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make a payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognised initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount recognised less cumulative amortisation.

Reclassification of financial assets and liabilities

The Company determines classification of financial assets and liabilities on initial recognition. After initial recognition, no reclassification is made for financial assets which are equity instruments and financial liabilities. For financial assets which are debt instruments, a reclassification is made only if there is change in the business model for managing those assets. Changes to the business model are expected to be infrequent. The Company's senior management determines change in the business model as a result of external or internal changes which are significant to the Company's operations. Such changes are evident to external parties. A change in the business model occurs when the Company either begins or ceases to perform an activity that is significant to its operations. If the Company reclassifies financial assets, it applies the reclassification prospectively from the reclassification date which is the first day of the immediately next reporting period following the change in business model. The Company does not restate any previously recognised gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the balance sheet if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously

(h) Revenue Recognition

- i. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable on accrual basis and when its collection or receipts is reasonably certain. Income is reduced for estimated rebates and similar allowances, if any
- ii. Transmission Charges & incentive bills are accounted for on the basis of Tariff Rates, notified/approved by the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC)
- iii. Revenue from contracts for rendering of engineering design services and other services are recognised as and when the terms of the contract are fulfilled.

व्युत्पन्न अनुबंध

कंपनी विदेशी मुद्रा बायदा अनुबंधों सहित विदेशी विनिमय दर जोखिमों के प्रति अपने जोखिम का प्रबंधन करने के लिए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों में प्रवेश करती है।

डेरिवेटिव्स को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिस तारीख को डेरिवेटिव अनुबंधों को दर्ज किया जाता है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के विवरण में पड़चाना जाता है।

वित्तीय गारंटी अनुबंध

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिनके लिए धारक को होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण साधन की शर्तों के अनुसार देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, लेनदेन लागतों के लिए समायोजित किया जाता है जो सीधे गारंटी जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद, देयता को Ind AS 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि और कम संघयी परिशोधन की मान्यता प्राप्त राशि के उच्च पर मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी लिखत और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, एक पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन होता है। बिजनेस मॉडल में बदलाव कम होने की उम्मीद है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करते हैं जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के बदलाव बाहरी दलों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी ऐसी गतिविधि करना शुरू करती है या बंद कर देती है जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कंपनी वित्तीय आस्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो वह पुनर्वर्गीकरण की तारीख से भावी पुनर्वर्गीकरण लागू करती है, जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ, हानि (लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनः परिभाषित नहीं करती है।

वित्तीय साधनों की मरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है, परिसंपत्तियों की बसूली और देनदारियों का निपटान साथ-साथ करना।

(h) राजस्व मान्यता

- राजस्व मान्यता राजस्व को प्रोद्गमन के आधार पर प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है और जब इसका संग्रह या प्राप्ति या यथोचित रूप से निश्चित होती है। अनुमानित छूट और समान भत्तों, यदि कोई हों, के लिए आय कम कर दी गई है।
- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित टैरिफ दरों के आधार पर ट्रांसमिशन शुल्क और प्रोत्साहन बिलों का हिसाब लगाया जाता है।
- अन्य सेवाओं के प्रतिपादन के लिए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को अनुबंध की शर्तों के पूरा होने पर मान्यता दी जाती है।



- iv. Interest income (other than interest/ surcharge from customers) from a financial asset is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the company and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to the asset's net carrying amount on initial recognition, included under the head "other income" in the statement of profit and loss.
- v. Value of waste and scrap is accounted for on actual realization basis.
- vi. Recovery towards income tax from beneficiaries is accounted for as reimbursement on year to year basis.
- vii. Interest/ Surcharge recoverable in Advances to Suppliers as well as warranty Claims/ Liquidity Damages are not treated as accrued, due to uncertainty of realization/ acceptance and are, therefore, accounted for on receipt of acceptances.
- viii. Claims for late payment surcharge recognized according to the agreement are accounted for as Income of the Company on realization from the contractors / suppliers/vendors/ third parties.

(i) Dividend

The Company recognizes a liability for annual dividend distributions to its equity holders when the distribution is authorized and the distribution is no longer at its discretion. As per the corporate laws in India, a distribution is authorized when it is approved by the shareholders. A corresponding amount is recognized directly in other equity along with any tax thereon.

In case of Interim dividend, the liability is recognised on its declaration by the Board of Directors.

(j) Government Grants

Government grant as per Ind AS 20 are not recognized until there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attached to them and that the grants will be received.

Government grants relating to income are determined and recognized in the statement of profit and loss over the period necessary to match them with the cost that they are intended to compensate and presented within other income.

Government grants relating to the purchase of property, plant and equipment are treated as deferred income and recognised in the statement of profit and loss along with depreciation over the useful life of related assets in proportion to which depreciation on these assets are provided.

(k) Impairment of Assets

As at the end of each accounting year, the Company reviews the carrying amounts of its PPE, investment property, intangible assets and investments to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If such indication exists, PPE, investment property, intangible assets and investments are tested for impairment so as to determine the impairment loss, if any. Intangible assets with indefinite life are tested for impairment each year.



- iv. किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय (ग्राहकों से ब्याज/अभिमार के अलावा) को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है। ई ब्याज आय एक समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है, जो कि वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के माध्यम से अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को परिसंपत्ति की शुद्ध बहन राशि पर सटीक रूप से छुट देती है प्रारंभिक मान्यता, लाभ और हानि के विवरण में हीर्ष "अन्य आय" के तहत शामिल है,
- v. अपरिष्कृत और स्क्रेप के मूल्य का हिसाब वास्तविक वसूली के आधार पर किया जाता है।
- vi. लाभार्थियों से आयकर की वसूली को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में लेखा किया जाता है।
- vii. ब्याज आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों में वसूली योग्य अक्षिभार, साथ ही वारंटी दावों/तरलता क्षतियों को अनिश्चित रूप से वसूली/स्वीकृति के कारण अर्जित नहीं माना जाता है और इसलिए, स्वीकृति प्राप्त होने पर हराका हिसाब लगाया जाता है।
- viii. अनुबंध के अनुसार मान्यता प्राप्त दिलंब भुगतान अभिमार के दावों को ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं/तृतीय पक्षों से वसूली पर कंपनी की आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(i) लाभांश

(प) लाभांशकंपनी अपने इविडेंटी धारकों को वार्षिक लाभांश वितरण के लिए एक दायित्व को पहचानती है जब वितरण अधिकृत होता है और वितरण अब अपने विवेक पर नहीं होता है, भारत में कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित होने पर वितरण अधिकृत होता है। एक समान राशि को किसी भी कर के साथ अन्य इविडेंटी में सीधे मान्यता दी जाती है।

अंतरिम लाभांश के मामले में, निदेशक, बोर्ड द्वारा इसकी घोषणा पर देयता को मान्यता दी जाती है।

(j) सरकारी अनुदान

IndAS 20 के अनुसार सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उस लागत के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में लाभ और हानि के विवरण में निर्धारित और मान्यता दी जाती है जिसे वे क्षतिपूर्ति करने के लिए अनिश्चित हैं और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर मूल्यहास के साथ-साथ लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसके अनुपात में इन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

(k) संपत्ति की अनुपस्थिति

प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपने पीपीई, निवेश संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और निवेश की अग्रणी राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों को हानि हुई है, यदि ऐसा संकेत मौजूद है, पीपीई, निवेश संपत्ति, अमूर्त संपत्ति और निवेश की हानि के लिए परीक्षण किया जाता है ताकि हानि, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जा सके। अनिश्चित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति का हर साल हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।



Impairment loss is recognised when the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. Recoverable amount is determined

- (i) In the case of an individual asset, at the higher of the net selling price and the value in use; and
- (ii) In the case of a cash generating unit (the smallest identifiable group of assets that generates independent cash flows), at the higher of the cash generating unit's net selling price and the value in use.

The amount of value in use is determined as the present value of estimated future cash flows from the continuing use of an asset, which may vary based on the future performance of the Company and from its disposal at the end of its useful life. For this purpose, the discount rate (pre-tax) is determined based on the weighted average cost of capital of the Company suitably adjusted for risks specified to the estimated cash flows of the asset.

If recoverable amount of an asset (or cash generating unit) is estimated to be less than its carrying amount, such deficit is recognised immediately in the Statement of Profit and Loss as impairment loss and the carrying amount of the asset (or cash generating unit) is reduced to its recoverable amount.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or cash generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, such that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the asset (or cash generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognised immediately in the Statement of Profit and Loss.

The Company reviews its carrying value of assets carried at cost, annually, or more frequently when there is indication for impairment. If the recoverable amount is less than its carrying amount, the impairment loss is accounted for

(I) Provisions, Contingent Assets/ Liabilities

Provisions are recognised only when:

- (i) the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event;
- (ii) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
- (iii) a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation and when the effect of time value of money is material, the carrying amount of the provision is the present value of those cash flows. Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

A disclosure for a **contingent liability** is made when there is a possible obligation or a present obligation arising from past events that may, but probably will not require an outflow of resources. Where there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no disclosure is made.



हानि की पहचान तब की जाती है जब किसी आरित की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। वसूली योग्य राशि निर्धारित की जाती है:

- (i) एक व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में, शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य के उच्च पर; और
- (ii) नकदी पैदा करने वाली इकाई (आस्तियों का सबसे छोटा पहचान योग्य समूह जो स्वतंत्र नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है) के मामले में, नकदी पैदा करने वाली इकाई के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य के उच्च पर।

उपयोग में आने वाले मूल्य की मात्रा को परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में निर्धारित किया जाता है, जो कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन और इसके उपयोगी जीवन के अंत में इसके निपटान के आधार पर निर्णय हो सकता है। इस प्रयोजन के लिए, छूट दर (कर-पूर्व) कंपनी की पूंजी की भारित औसत लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो परिसंपत्ति के अनुमानित नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट जोखिमों के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित की जाती है।

यदि किसी परिसंपत्ति (या नकद उत्पादन इकाई) की वसूली योग्य राशि इसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो ऐसे घाटे को लाभ और हानि के विवरण में हानि और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि (या नकद उत्पादन इकाई) के रूप में तुरंत मान्यता दी जाती है। उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दी जाती है।

तो परिसंपत्ति (या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई) की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ जाती है, जैसे कि बड़ी हुई वहन राशि वहन राशि से अधिक नहीं होती है जो निर्धारित की गई होती, कोई हानि नहीं होती पिछले वर्षों में परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) के लिए नुकसान की पहचान की गई है। एक हानि के उलट को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

कंपनी हानि के संकेत होने पर, वार्षिक या अधिक बार लागत पर ले जाने वाली परिसंपत्तियों के अपने वहन मूल्य की समीक्षा करती है। यदि वसूली योग्य राशि इसकी वहन राशि से कम है, तो हानि का हिसाब लगाया जाता है।

(I) प्रावधान, आकस्मिक संपत्ति / देनदारियां

प्रावधानों को तभी मान्यता दी जाती है जब:

- (i) पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) है;
- (ii) यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; तथा
- (iii) एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके प्रावधान को मापा जाता है और जब पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, तो प्रावधान की वहन राशि उन नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य होता है। किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति को तभी मान्यता दी जाती है जब यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी।

एक आकस्मिक दायित्व के लिए एक प्रकटीकरण तब किया जाता है जब पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है, लेकिन संभवतः संसाधनों का बहिर्वाह हो सकता है। जहां एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर है, कोई प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।



Contingent Assets are not recognized but are disclosed in the notes to financial statements when inflow of economic benefits is probable.

(m) Borrowing Cost

Borrowing costs includes interest, commitment charges, brokerage, underwriting costs, discounts/premium, financing charges, and exchange differences to the extent they are regarded as interest costs and all ancillary / incidental costs incurred in connection with the arrangement of borrowing.

Borrowing costs that are directly attributable to acquisition/construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. All other borrowing costs are recognized as expense in the period in which they are incurred.

Interest income earned on the temporary investment of specific borrowing pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation.

A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

(n) Foreign currency

In preparing the financial statements, transaction in foreign currencies i.e, other than the company's functional currency are recognised at rate of exchange prevailing for the month on the dates of the transactions.

Foreign currency monetary assets and liabilities, remaining unsettled at the reporting date are translated at the exchange rate prevailing at reporting date and differences are recognised in statement of profit and loss. Foreign currency non-monetary assets and liabilities, which are measured in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

The results and financial position of foreign operations that have a functional currency different from the presentation currency are translated in to presentation currency as follows:

- assets and liabilities are translated at the closing rate at the date of reporting
- income and expenses at the exchange rate prevailing on the date of transaction
- resulting exchange difference are recognized in other comprehensive income.

(o) Retirement and other Employee Benefits

For Employees covered under General Provident Fund: Government of Uttarakhand had taken over the liabilities for Gratuity and Pension w.e.f. March, 2004 against payment of 19.08% of the Basic Salary and Dearness Allowance and the same has been accounted for on accrual basis.

For Employees covered under Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952:

आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन जब आर्थिक लाभों की आमद की संभावना होती है, तो वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका खुलासा किया जाता है।

(m) उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज, प्रतिबद्धता शुल्क, दलाली, हमीदारी लागत, छूट/प्रीमियम, वित्तपोषण शुल्क, और विनिमय अंतर उस सीमा तक शामिल हैं, जिस हद तक उन्हें ब्याज लागत के रूप में माना जाता है और उधार की व्यवस्था के संबंध में किए गए सभी सहायक/आकस्मिक लागतें शामिल हैं।

उधार लेने की लागतें जो सीधे तौर पर अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत की जाती हैं। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

विशिष्ट उधार के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय, अर्हक आस्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों से से घटा दी जाती है।

एक अर्हक संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है।

(n) विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रावित्तीय विवरण तैयार करने में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन यानी कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य लेनदेन की तारीखों पर नहीं होने के लिए प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों, रिपोर्टिंग तिथि पर अधिचर शेष, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर अनुवादित की जाती हैं और अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है। विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक आस्तियाँ और देनदारियाँ, जिन्हें विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती हैं।

विदेशी परिचालनों के परिणाम और वित्तीय स्थिति जिनकी प्रस्तुति मुद्रा से भिन्न कार्यात्मक मुद्रा होती है, उन्हें प्रस्तुति मुद्रा में निम्नानुसार अनुवादित किया जाता है:

- परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ का अनुवाद आय और व्यय की रिपोर्टिंग की तारीख पर समापन दर पर किया जाता है।
- और लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर होता है।
- जिसके परिणामस्वरूप विनिमय अंतर को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

(o) सेवानिवृत्ति और अन्य कर्मचारी लाभ

सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए:

उत्तराखण्ड सरकार ने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 19.08% के मुग्तान के खिलाफ मार्च, 2004 से ग्रेज्युटी और पेंशन के लिए देनदारियों को अपने कब्जे में ले लिया था और इसे प्रोव्जन के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए:



Defined Benefit Plans:

- a) Gratuity in respect of employees covered under employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 have been accounted for on actuarial valuation basis through LIC.
- b) Encashment of leave is accounted on the basis of actuarial valuation through LIC.

Short-term employee benefits such as salaries, wages, short-term compensated absences, cost of bonus, and performance linked rewards falling due wholly within its twelve months of rendering the service are classified as short-term employee benefits and are expensed in the period in which the employee renders the related service.

Defined contribution plan: Company's contributions due/ payable during the year towards provident fund is recognized in the statement of profit and loss. The Company has no obligation other than the contribution payable to the provident fund.

(p) Taxes on Income

Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and based on the expected outcome of assessments/appeals.

Income tax liability is passed to beneficiaries as reimbursement to the extent relatable to core activity i.e Transmission of Electricity.

Deferred tax is recognised on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the Company's financial statements and the corresponding tax bases used in computation of taxable profit and quantified using the tax rates as per laws enacted or substantively enacted as at the Balance Sheet date.

Deferred tax liabilities are generally recognised for all taxable temporary differences except where the Company is able to control the reversal of the temporary difference and it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are generally recognised for all taxable temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilised. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation/business losses/losses under the head "capital gains"/other temporary differences are recognised and carried forward to the extent of taxable temporary differences or where there is convincing other evidence that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised.

The measurement of deferred tax liabilities and assets reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.



परिभाषित लाभ योजनाएं:

- a) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के संबंध में ग्रेजुटी को एलआईसी के माध्यम से बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखा किया गया है।
- b) छुट्टी का नकदीकरण एल.आई.सी. के माध्यम से बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे पेंशन, मजदूरी, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति, बोनस की लागत, और सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से गिरने वाले प्रदर्शन से जुड़े पुरस्कारों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस अवधि में खर्च किया जाता है। जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

परिभाषित योगदान योजना भविष्य निधि के लिए वर्ष के दौरान कंपनी के देय/देय योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। भविष्य निधि में देय अंशदान के अलावा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है।

(p) आय पर कर

वर्तमान अवधि के लिए आय पर कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर और आकलन/अपील के अपेक्षित परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

मुख्य गतिविधि यानी बिजली के पारेषण से संबंधित सीमा तक प्रतिपूर्ति के रूप में लाभार्थियों को आयकर दायित्व पारित किया जाता है।

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणी राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है और बेलेंस शीट की तारीख के अनुसार अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कानूनों के अनुसार कर दरों का उपयोग करके मात्रा निर्धारित की जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में चलट नहीं होगा।

आस्थगित कर आस्तियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जो संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध उन कटीती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणी राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों की वसूली की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

शीर्ष "पूजीगत लाभ"/अन्य अस्थायी अंतरों के तहत अनवशोषित मूल्यवृद्धि/व्यावसायिक हानियों/हानि से संबंधित आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी जाती है और उपलब्ध कर योग्य अस्थायी अंतर की सीमा तक आगे ले जाया जाता है या जहां अन्य सबूत उपलब्ध है कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकती है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से अनुसरण करेंगे जिस तरह से कंपनी को उम्मीद है, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी संपत्ति की अग्रणी राशि की वसूली या



Transaction or event which is recognised outside Profit or Loss, either in Other Comprehensive Income or in Equity, is recorded along with the tax as applicable.

The Company uses estimates and judgements based on the relevant rulings in the areas of allowances and disallowances which are exercised while determining the provision for income tax.

(q) Earnings Per Share

Basic earnings per share are computed by dividing the net profit or loss after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per shares is computed by dividing the profit after tax by the weighted average number of equity shares considered for dividing basic earnings per shares and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares. The dilutive potential equity shares are adjusted for the proceeds receivable had the equity shares been actually issued at fair value (ie. the average market value of the outstanding equity shares). Dilutive potential equity shares are deemed converted as of the beginning of the period, unless issued at a later date. Dilutive potential equity shares are determined independently for each period presented.

(r) Accounting and reporting of information for Operating Segments

Operating segments are those components of the business whose operating results are regularly reviewed by the chief operating decision making body in the Company to make decisions for performance assessment and resource allocation.

The reporting of segment information is the same as provided to the management for the purpose of the performance assessment and resource allocation to the segments.

Segment accounting policies are in line with the accounting policies of the Company.

(s) Statement of Cash Flows

Statement of Cash Flows is prepared segregating the cash flows into operating, investing and financing activities. Cash flow from operating activities is reported using indirect method, adjusting the profit before tax excluding exceptional items for the effects of:

- (i) changes during the period in inventories and operating receivables and payables, transactions of a non-cash nature;
- (ii) non-cash items such as depreciation, provisions, unrealised foreign currency gains and losses; and
- (ii) all other items for which the cash effects are investing or financing cash flows

(t) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash in hand, demand deposits with banks and short-term highly liquid investments (original maturity less than 3 months) that are readily convertible into known amount of cash and are subject to an insignificant risk of change in value.

(u) Material prior period errors

Material prior period errors are corrected retrospectively by restating the comparative amount for the prior periods presented in which the error occurred. If the error occurred before the earliest period presented, the opening balance of assets, liabilities and equity for the earliest period presented are restated.



निष्पत्ति के लिए लेनदेन या घटना जिसे लाभ के बाहर मान्यता प्राप्त है या हानि, या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में, लागू कर के साथ दर्ज की जाती है।

कंपनी भत्तों और अस्वीकरणों के क्षेत्रों में प्रासंगिक निर्णयों के अभाव पर अनुमानों और निर्णयों का उपयोग करती है जिनका प्रयोग आयकर के प्रावधान का निर्धारण करते समय किया जाता है।

(q) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर आय प्रति शेयर मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना कर के बाद लाभ को प्रति शेयर मूल आय को विभाजित करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और साथ ही सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या। यदि इक्विटी शेयरों को वास्तव में उचित मूल्य (अर्थात् बकाया इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य) पर जारी किया गया होता, तो प्राप्त होने वाली आय के लिए डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों को समायोजित किया जाता है। डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत के रूप में परिचित माना जाता है, जब तक कि बाद की तारीख में जारी नहीं किया जाता है। प्रस्तुत की गई प्रत्येक अवधि के लिए डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है।

(r) ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए सूचना का लेखांकन और रिपोर्टिंग

परिचालन खंड व्यवस्था के वे घटक हैं जिनके परिचालन परिणामों की नियमित रूप से कंपनी में मुख्य परिचालन निर्णय लेने वाली संस्था द्वारा समीक्षा की जाती है ताकि प्रदर्शन मूल्यांकन और संसाधन आवंटन के लिए निर्णय लिया जा सके।

खंड की जानकारी की रिपोर्टिंग वही है जो प्रबंधन को प्रदर्शन मूल्यांकन और खंडों के लिए संसाधन आवंटन के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।

खंड लेखा नीतियां कंपनी की लेखा नीतियों के अनुरूप हैं।

(s) नकदी प्रवाह का बयान

नकदी प्रवाह का विवरण परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों में नकदी प्रवाह को अलग करते हुए तैयार किया जाता है। परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके सूचित किया जाता है, कर बहिष्करण से पहले लाभ को समायोजित करने के प्रभावों के लिए असाधारण आइटम:

- सूची और परिचालन प्राप्य और देय राशियों की अवधि के दौरान परिवर्तन, गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन;
- गैर-नकद आइटम जैसे मूल्यहास, प्रावधान, अग्राप्त विदेशी मुद्रा लाभ और हानि; तथा
- सभी मदें जिनके लिए नकद प्रभाव नकद प्रवाह का निवेश या वित्तपोषण कर रहे हैं।

(t) नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्षों में हथ में नकदी शामिल होती है, बैंकों के पास मांग जमा और अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश (3 महीने से कम की मूल परिपक्वता) शामिल हैं जो आसानी से ज्ञात नकदी में परिवर्तनीय हैं और मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

(u) सामग्री पूर्व अवधि की त्रुटियां

पूर्व अवधि की महत्वपूर्ण त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक राशि को पुनर्स्थापित करके पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का प्रारंभिक संतुलन बहाल किया जाता है।

**Application of new and revised standards**

During the year, the Ministry of Corporate Affairs has notified the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2021 which has brought about certain amendments in the existing Indian Accounting Standards. Impact of these amendments are disclosed hereunder:

- (i) **Interest rate benchmark reform - Phase 2:** Amendments to Ind AS 109, Ind AS 107 and Ind AS 116: The Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2021 has added certain provisions regarding interest rate benchmark reforms under Ind AS 109 "Financial Instruments". Consequential amendments have also been made in Ind AS 107- Financial Instruments-Disclosures and Ind AS 116- Leases. There is, however, no material impact on the financial statements of the Company.
- (ii) **Ind AS 116: COVID-19 related rent concession:** MCA issued an amendment to Ind AS 116 COVID 19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021 to update the condition for lessees to apply the relief to a reduction in lease payments originally due on or before 30 June 2022 from 30 June 2021. The amendment applies to annual reporting periods beginning on or after 1 April 2021. In case a lessee has not yet approved the financial statements for issue before the issuance of this amendment, then the same may be applied for annual reporting periods beginning on or after 1 April 2020. These amendments had no material impact on the financial statements of the Company.
- (iii) **Amendment to Ind AS 105, Ind AS 16 and Ind AS 28:** The definition of "Recoverable amount" is amended such that the words "the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use" are replaced with "higher of an asset's fair value less costs of disposal and its value in use". Consequential amendments have been made in Ind AS 105, Ind AS 16 and Ind AS 28. These amendments had no material impact on the financial statements of the Company.
- (iv) Amendments/ revision in other standards are either not applicable or do not have any material impact on the financial statements.

नए और संशोधित मानकों का अनुप्रयोग

वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जिससे मौजूदा भारतीय लेखा मानकों में कुछ संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के प्रभाव का खुलासा यहां किया गया है:

- (i) **ब्याज दर बेंचमार्क सुधार** – चरण 2: Ind AS 109, Ind AS 107 और Ind AS 116 में संशोधन: कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2021 ने Ind AS 109 के तहत ब्याज दर बेंचमार्क सुधारों के संबंध में कुछ प्रावधान जोड़े हैं 'वित्तीय साधनों' Ind AS 107-फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेंट्स-डिस्कलोजर और Ind AS 116-लीज में परिणामी संशोधन भी किए गए हैं। तथापि, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा है।
- (ii) **Ind AS 116: कोविड-19 संबंधित किराया रियायत: एम.सी.ए. ने 30 जून 2021 से परे Ind AS 116: कोविड-19-संबंधित किराया रियायतों में एक संशोधन जारी किया ताकि पट्टेदारों को मूल रूप से लीज भुगतान में कमी के लिए राहत लागू करने की स्थिति को 30 जून 2022 से 30 जून 2021 को या उससे पहले अद्यतन किया जा सके। संशोधन 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि पर लागू होता है। यदि किसी पट्टेदार ने अभी तक इस संशोधन को जारी करने से पहले वित्तीय विवरणों को मंजूरी नहीं दी है, तो उसे 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू किया जाएगा। इन संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।**
- (iii) **Ind AS 105, Ind AS 16 और Ind AS 28 में संशोधन:** 'वसूली योग्य राशि' की परिभाषा को इस तरह संशोधित किया गया है कि शब्द 'किसी परिसंपत्ति के उचित मूल्य से अधिक बिक्री की लागत कम और उपयोग में मूल्य' को प्रतिस्थापित किया जाता है। 'परिसंपत्ति के उचित मूल्य में से अधिक से कम निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य' के साथ। Ind AS 105, Ind AS 16 और Ind AS 28 में परिणामी संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
- (iv) अन्य मानकों में संशोधन/संशोधन या तो लागू नहीं होते हैं या वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।



MINUTES OF THE 19th ANNUAL GENERAL MEETING OF PTCUL.

The 19th Annual General Meeting was held on Saturday, 16th September at 4:00 P.M. at the Board room, 1st floor at the registered office of the company at Vidyut Bhawan, near I.S.B.T crossing, Saharanpur road, Majra, Dehradun in which the following were present:-

MEMBERS THROUGH VIDEO CONFERENCING/PHONE/PHYSICAL.

1. Smt. Radha Raturi, Chairperson, from her office in Dehradun.
2. Hon'ble Governor represented through Dr. R.M. Sundaram, from his office at Dehradun.
3. Dr. R.M. Sundaram, Secretary (Energy), GoU from his office at Dehradun.
4. Dr. R.M. Sundaram, Secretary (Planning), GoU from his office at Dehradun.
5. Dr. Ahmed Iqbal, Additional Secretary (Energy), GoU from his office at Dehradun.
6. Dr. Ahmed Iqbal, Additional Secretary (Finance), GoU from his office at Dehradun.
7. Shri. Atul Kumar Singh, Deputy Secretary (Energy), from his office at Dehradun.
8. Shri P.C. Dhyani, Managing Director from his office physically.

DIRECTORS THROUGH VIDEO CONFERENCING /PHYSICAL.

1. Shri N. Ravi Shanker, Independent Director from his office at Dehradun.
2. Shri R.P. Sasmal, Independent Director from his office at Gurgaon.
3. Shri B.P. Pandey, Independent Director, from his vehicle on route to Nainital.
4. Shri P.C. Dhyani, Managing Director, PTCUL- Physical Mode.
5. Shri Sudhakar Badoni, Director (Finance), PTCUL- Physical Mode.
6. Shri Neeraj Kumar, Director (Projects), PTCUL- Physical Mode.

IN ATTENDANCE

Shri Arun Sabharwal (Company Secretary), Physical Mode.

All the members who had attended through Video Conferencing had recorded their attendance, in compliance with the requirements of Rule 4 of Companies (Meeting of the Board and its power) Rules 2014. Due to certain technical problem Sh. R.M. Sundaram, Representative of honorable Governor of Uttarakhand, Secretary (Energy) Government of Uttarakhand & shareholder as well as Secretary (Planning) Government of Uttarakhand and shareholder attended the meeting over phone and recorded his attendance & consent over phone which was accepted by the house.

The quorum was complete and the meeting commenced at 16:00 hrs with Smt. Radha Raturi in the Chair.

(Arun Sabharwal)

(P.C. Dhyani)

(Radha Raturi)



पिटकुल की 19वीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त।

19वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 16 सितंबर को शाम 4:00 बजे आयोजित की गई। बोर्ड रूम में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की पहली मंजिल, विद्युत भवन, आई.एन.बी.टी. कॉसिंग के पास, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून जिसमें निम्नलिखित उपस्थित थे—

सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/फोन/फिजिकल के माध्यम से।

1. श्रीमती राधा रतुड़ी, अध्यक्ष, देहरादून में अपने कार्यालय से।
2. माननीय राज्यपाल द्वारा डॉ. आर.एम. सुंदरन, के माध्यम से देहरादून स्थित अपने कार्यालय से प्रतिनिधित्व किया गया।
3. डॉ. आर.एम. सुन्दरम, सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून स्थित अपने कार्यालय से।
4. डॉ. आर.एम. सुन्दरम, सचिव (योजना), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून स्थित अपने कार्यालय से।
5. डॉ. अहमद इकबाल, अतिरिक्त सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून स्थित अपने कार्यालय से।
6. डॉ. अहमद इकबाल, अतिरिक्त सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून स्थित अपने कार्यालय से।
7. श्री. अतुल कुमार सिंह, उप सचिव (ऊर्जा), देहरादून स्थित उनके कार्यालय से।
8. श्री पी.सी. घ्यानी, प्रबंध निदेशक फिजिकल रूप से अपने कार्यालय से।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/फिजिकल के माध्यम से निदेशक।

1. श्री एन. रविशंकर, स्वतंत्र निदेशक, देहरादून स्थित अपने कार्यालय से।
2. श्री आर.पी. सासमल, स्वतंत्र निदेशक, गुडगांव स्थित उनके कार्यालय से।
3. श्री बी.पी. पांडे, स्वतंत्र निदेशक, अपने याहन से नैनीताल जाते हुए।
4. श्री पी.सी. घ्यानी, प्रबंध निदेशक, पिटकुल— फिजिकल मोड।
5. श्री सुधाकर बड़ोनी, निदेशक (वित्त), पिटकुल— फिजिकल मोड।
6. श्री नीरज कुमार, निदेशक (परियोजनाएं), पिटकुल— फिजिकल मोड।

उपस्थिति में

श्री अरुण समरवाल (कंपनी सचिव), फिजिकल मोड।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्ति) नियम 2014 के नियम 4 की आवश्यकताओं के अनुपालन में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। कुछ तकनीकी समस्या के कारण श्री आर.एम. सुंदरम, उत्तराखण्ड के माननीय राज्यपाल के प्रतिनिधि, सचिव (ऊर्जा) उत्तराखण्ड सरकार और शेयरधारक के साथ-साथ सचिव (योजना) उत्तराखण्ड सरकार और शेयरधारक ने फोन पर बैठक में भाग लिया और फोन पर अपनी उपस्थिति और सहमति दर्ज की जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया।

कोरोन पूरा हुआ और अध्यक्ष श्रीमती राधा रतुड़ी के साथ बैठक 16:00 बजे शुरू हुई।

(अरुण समरवाल)

(पी.सी. घ्यानी)

(राधा रतुड़ी)



The Chairperson welcomed the Hon'ble members of the Company and briefly explained them about the working, achievements and roadmap of the Corporation. With the consent of all the members, the report of Directors' to the Shareholders and all statutory Annexures and appendix thereto along with the Financial Statements as enclosed with Agenda papers were treated as read. The members also consented unanimously to receive the agenda papers for a period of less than 21 days in advance.

AGENDA ITEM NO: 19.01

To consider and approve the Profit and Loss account for the period 1st April, 2022 till 31st March, 2023, Balance Sheet as on 31.03.2023 alongwith all appendix annexed to the Balance Sheet, Report of Directors' to the Share Holders, observations of Secretarial Auditor, Statutory Auditor, Cost Auditor and Report of Comptroller and Auditor General of India on the accounts and working of the Corporation and replies of the Management on the aforesaid reports of various auditors.

The proposal was consider at length. Based on the recommendations of the Board of Directors and after consideration following resolution was passed unanimously:

RESOLVED THAT the consent of the Members be and is hereby accorded to approve the profit and loss accounts for the period of 1st April, 2022 to 31st March, 2023, Balance Sheet as on 31st March, 2023 and all appendix annexed to the Balance Sheet, Report of Directors' to the Share Holders, Report of Secretarial Auditor, Cost Auditor, Statutory Auditor and Comptroller and Auditor General of India along with the reply of the management on the reports of the aforesaid auditors as placed before this meeting be and is hereby approved and adopted.

RESOLVED FURTHER THAT all actions taken by the Managing Director and Company Secretary for fixation of date of Annual General Meeting, issuance of Statutory notices for the Annual General Meeting and all actions related thereto in anticipation of approval of Board of Directors & with approval of the Chairperson, in order to complete the statutory requirements and an effort of the company to hold the Annual General Meeting within the statutory limits be and are hereby ratified and confirmed.

RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary, Managing Director and all / any of the Functional directors as may be required, be and are hereby jointly and severally authorized to sign, seal and deliver the Annual Return along with all other forms that are Statutorily required to be filed with Registrar of Companies.

RESOLVED FURTHER THAT the consent of members be and is hereby accorded to receive the financial statements, Report of Directors' to the shareholders, auditors' report and all other documents that are required to be attached Statutory with the Balance Sheet for a period of less than 21 days.

(Arun Sabharwal)

(P.C. Dhyani)

(Radha Raturi)



चेयरपर्सन ने कंपनी के माननीय सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें निगम के कामकाज, उपलब्धियों और रोडमैप के बारे में संक्षेप में बताया। सभी सदस्यों की सहमति से, शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट और सभी वैधानिक अनुलग्नकों और परिशिष्टों के साथ-साथ एजेंडा पत्रों के साथ संलग्न वित्तीय विवरणों को पढ़ा हुआ माना गया। सदस्यों ने सर्वसम्मति से 21 दिन से कम अवधि के एजेंडा पत्र पहले प्राप्त करने पर भी सहमति व्यक्त की।

एजेंडा आइटम नंबर: 19.01

1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि खातों पर विचार करना और अनुमोदन करना, 31.03.2023 तक की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से जुड़े सभी परिशिष्टों के साथ, शेयर धारकों को निदेशकों की रिपोर्ट, सचिवीय की टिप्पणियां लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक और निगम के खातों और कामकाज पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और विभिन्न लेखा परीक्षकों की उपरोक्त रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर।

प्रस्ताव पर विस्तार से विचार किया गया। निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर और विचारोपसंत निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया:

संकल्प लिया गया कि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए लाभ और हानि खातों, 31 मार्च, 2023 की बैलेंस शीट और बैलेंस शीट से जुड़े सभी परिशिष्टों को मंजूरी देने के लिए सदस्यों की सहमति दी गई है। शेयर धारकों को निदेशकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ-साथ इस बैठक से पहले प्रस्तुत उपरोक्त लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन के जवाब को एतद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि वार्षिक आम बैठक की तारीख तय करने, वार्षिक आम बैठक के लिए वैधानिक नोटिस जारी करने और उससे संबंधित सभी कार्रवाइयां निदेशक मंडल की मंजूरी की प्रत्याशा में और अध्यक्ष की मंजूरी के साथ प्रबंध निदेशक और कंपनी सचिव द्वारा की गई वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और वैधानिक सीमा के भीतर वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के कंपनी के प्रयास को एतद्वारा अनुमोदित और पुष्टि की जाती है।

इसके अलावा यह संकल्प लिया गया कि कंपनी सचिव, प्रबंध निदेशक और सभी / कोई भी कार्यात्मक निदेशक, जैसा कि आवश्यक हो, संयुक्त रूप से और अलग-अलग वार्षिक रिटर्न पर हस्ताक्षर करने, मुहर लगाने और पितरित करने के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक अन्य सभी फॉर्मों के साथ अधिकृत हैं। कंपनी रजिस्ट्रार के पास दायर किया गया।

आगे संकल्प लिया गया कि सदस्यों की सहमति वित्तीय विवरण, शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य सभी दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए दी जाती है, जिन्हें 21 दिन से कम अवधि के लिए बैलेंस शीट के साथ वैधानिक रूप से संलग्न करना आवश्यक है।

(अरुण सभरवाल)

(पी.सी. ध्यानी)

(राधा रतूड़ी)



AGENDA ITEM NO: 19.02

Appointment of Auditors and fixation of their remuneration.

The members were appraised that four days before date of the Annual General Meeting, the Comptroller and Auditor General of India had appointed M/S Amit Ray & Co, Chartered Accountants, 201, Himalaya Apartments, 75 Rajpur Road, Dehradun as the Statutory Auditor of the company vide their email dated 12.09.2023. As per the requirements of law, the appointment of the statutory auditor and fixation of their remuneration has to be approved & recommended by the Board of directors to the shareholders.

Considering the late receipt of information from Comptroller and Auditor General of India, and after the date of Board Meeting, the members passed the following resolution unanimously:

RESOLVED THAT the consent of the members be and is hereby accorded to authorize the Board of Directors of the Company to accept the appointment of Statutory Auditor M/S Amit Ray & Co, Chartered Accountants, 201, Himalaya Apartments, 75 Rajpur Road, Dehradun for Financial Year 2023-2024 on the advice of Comptroller and Auditor General of India received vide email dated 12.09.2023 and to fix their remuneration as per prescribed procedure of law.

RESOLVED FURTHER THAT all acts and deeds done by the Board of Directors for the aforesaid appointment shall be deemed have been to accepted by the members.

AGENDA ITEM NO: 19.03

Declaration of Dividend for the Financial Year 2022-2023.

The members considered the advice of Audit Committee as well as the Board of Directors. While consenting to their advice, the members passed the following resolution unanimously:

RESOLVED THAT on the recommendations of the Audit Committee as well as Board of Directors, the consent of the members be and is hereby accorded for payment of a Dividend for the Financial Year 2022-23 @ Rs. 6.91 per share to all the eligible Equity Shareholders of the Company as at 31st March, 2023.

RESOLVED FURTHER THAT Director (Finance) be and is hereby authorized to perform all other legal actions in conjunction with the Company Secretary in furtherance of declaration of this dividend.

(Arun Sabharwal)

(P.C. Dhyani)

(Radha Raturi)



एजेंडा आइटम नंबर: 19.02

लेखापरीक्षकों की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण।

सदस्यों को अवगत कराया गया कि वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मेसर्स अमित रे एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 201, हिमालय अपार्टमेंट, 75 राजपुर रोड, देहरादून को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में कंपनी ने अपने ईमेल दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से नियुक्त किया था। कानून की आवश्यकताओं के अनुसार, वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण निदेशक मंडल द्वारा शेयरधारकों को अनुमोदित और अनुशसित किया जाना चाहिए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से देर से सूचना प्राप्त होने तथा बोर्ड बैठक की तिथि के बाद को ध्यान में रखते हुए सदस्यों ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:

यह संकल्प लिया गया है कि सदस्यों की सहमति से कंपनी के निदेशक मंडल को सांविधिक लेखा परीक्षक मेसर्स अमित रे एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 201, हिमालय अपार्टमेंट, 75 राजपुर रोड, देहरादून की नियुक्ति स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर दिनांक 12.09.2023 को ई-मेल प्राप्त हुआ और कानून की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका पारिश्रमिक तय किया गया।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि उपरोक्त नियुक्ति के लिए निदेशक मंडल द्वारा किए गए सभी कार्य और कार्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किए गए माने जाएंगे।

एजेंडा आइटम नंबर: 19.03

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए लाभांश की घोषणा।

सदस्यों ने लेखापरीक्षा समिति के साथ-साथ निदेशक मंडल की सलाह पर भी विचार किया। उनकी सलाह पर सहमति जताते हुए सदस्यों ने निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया:

निर्णय लिया गया कि लेखापरीक्षा समिति के साथ-साथ निदेशक मंडल की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के सभी पात्र इक्विटी शेयरधारकों को रुपये 6.91 प्रति शेयर की दर से लाभांश के भुगतान के लिए 31 मार्च, 2023 तक सदस्यों की सहमति प्रदान की जाती है।

आगे यह संकल्प लिया गया कि निदेशक (वित्त) को इस लाभांश की घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी सचिव के साथ मिलकर अन्य सभी कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(अरुण सभरवाल)

(पी.सी. ध्यानी)

(राधा रतूड़ी)



AGENDA ITEM NO: 19.04

To take note of changes in Board of Directors & KMP of the company.

The members took note of the changes in the Board of Directors of the Company. They welcomed the new directors and the Key Managerial Persons and placed on record their sincere thanks and deep appreciation for the valuable services rendered by the outgoing Directors during the tenure of their respective offices.

AGENDA ITEM NO: 19.05

Allotment of Equity Shares to Government of Uttarakhand amounting to Rs. 92, 66, 49,000/-

The Company Secretary explained the legal provisions as detailed in the explanatory statement attached to the agenda note in terms of Section 102 of The Companies Act, 2013. Based upon the recommendation of the Board of Directors and after consideration the members passed the following resolution unanimously.

RESOLVED THAT the consent of the members be and is hereby accorded to issue of 4,26,649 shares amounting to Rs. 42,66,49,000 has already been issued on 01.05.2023 and 5,00,000 shares amounting to Rs. 50,00, 00,000 issued on 03.08.2023 on the approval of the Board of Directors and for which the respective legal formalities for issue of shares have been completed.

RESOLVED FURTHER THAT all actions taken by Corporation Management, their acts and deeds carried out in pursuance of issue of the shares and statutory compliances as per prescribed procedure of law be and are hereby ratified and confirmed.

RESOLVED FURTHER THAT none of the directors and KMP is deemed to be an interested director for purpose of this resolution.

CONCLUSION

The members expressed their satisfaction on the timely completion of the Financial Statement and other statutory requirements. The members also noted with immense pleasure that for the first time in the history of the Company, the milestone of completing the Annual General Meeting before 30th September has been achieved. The members applauded the efforts of the Corporation management and placed in record their sincere thanks and deep appreciation towards the efforts put in by the Honorable Chairperson, Members Chairman Audit Committee, Managing Director, Director (Finance), Company Secretary along with their entire team, but for their efforts achieving this milestone could not have been possible.

The Managing Director proposed a vote of thanks to Chairperson, all shareholders, Audit Committee, Independent Directors, Government Directors, Non Government Directors and the Company Secretary for their continued support.

The meeting concluded with the vote of thanks to the Chair at 16: 15 Hours.

(Arun Sabharwal)
Company Secretary

(P.C. Dhyanl)
Managing Director

(Radha Raturi)
Chairperson

Place: Dehradun

Date:



एजेन्डा आइटम नंबर: 19.04

कंपनी के निदेशक मंडल और केएमपी में बदलावों पर ध्यान देना।

सदस्यों ने कंपनी के निदेशक मंडल में हुए बदलावों पर गौर किया। उन्होंने नए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों का स्वागत किया और अपने संबंधित कार्यालयों के कार्यकाल के दौरान निवर्तमान निदेशकों द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद और गहरी सराहना दर्ज की।

एजेन्डा आइटम नंबर: 19.05

उत्तराखण्ड सरकार को रु. 92, 66, 49,000/- की राशि के इक्विटी शेयरों का आवंटन।

कंपनी सचिव ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के संदर्भ में एजेन्डा नोट से जुड़े व्याख्यात्मक विवरण में विस्तृत कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की। निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर और विचार के बाद सदस्यों ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया।

संकल्प लिया गया कि सदस्यों की सहमति से रु. 4,26,649 की राशि के शेयर जारी करने की अनुमति दी जाती है। 01.05.2023 को 42,66,49,000 रुपये और 5,00,000 शेयर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। निदेशक मंडल के अनुमोदन पर 03.08.2023 को 50,00,00,000 जारी किए गए और जिसके लिए शेयर जारी करने की संबंधित कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।

आगे संकल्प लिया गया कि निगम प्रबंधन द्वारा की गई सभी कार्यवाहियां, शेयर जारी करने और वैधानिक अनुपालन के अनुसरण में किए गए उनके कृत्यों को कानून की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित और पुष्टि की जाएगी।

इसके अलावा संकल्प लिया गया कि इस संकल्प के प्रयोजन के लिए किसी भी निदेशक और केएमपी को इच्छुक निदेशक नहीं माना जाएगा।

निष्कर्ष

सदस्यों ने वित्तीय विवरण और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने पर संतोष व्यक्त किया। सदस्यों ने इस बात पर भी अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की कि कंपनी के इतिहास में पहली बार वार्षिक आम बैठक 30 सितंबर से पहले पूरी करने का मील का पत्थर हासिल किया गया है। सदस्यों ने निगम प्रबंधन के प्रयासों की सराहना की और माननीय अध्यक्ष, सदस्यों के अध्यक्ष ऑडिट समिति, प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), कंपनी सचिव के साथ-साथ उनकी पूरी टीम द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद और गहरी सराहना दर्ज की। लेकिन उनके प्रयासों से यह मुकाम हासिल करना संभव नहीं हो सका।

प्रबंध निदेशक ने अध्यक्ष, सभी शेयरधारकों, लेखापरीक्षा समिति, स्वतंत्र निदेशकों, सरकारी निदेशकों, गैर सरकारी निदेशकों और कंपनी सचिव को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

बैठक 16:15 बजे अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(अरुण सभरवाल)
कंपनी सचिव

(पी.सी. ध्यानी)
प्रबंध निदेशक

(राधा रतूड़ी)
अध्यक्ष

स्थान: देहरादून
तारीख:



Final Replies of Comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Accounts of Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd. for the Year ended 31st March 2023.

Audit Para	Audit Para (AiR)	Management Reply
1.	Balance Sheet Non-Current Assets Property, Plant and Equipment (Note 2): Rs. 1,610.71 crore 1. The above includes Rs. 84.11 crore being the cost of 220 KV Gas Insulated Substation at Baram. As per Significant Accounting Policy Note 1 (iii) (a), "the transmission system assets are considered as ready for intended use on the date of commercial operation declared in terms of Uttarakhand Electricity Regulatory Commission tariff regulations and capitalised accordingly". The said Sub-station was not commissioned and put to commercial operation as on 31 March 2023 but same was capitalised on 31 August 2022 in violation of Company's own Significant Accounting Policy. Hence, the same should have been accounted as Capital Work in Progress. Further, depreciation of Rs. 2.29 crore was also charged on assets capitalised in the Statement of Profit and Loss for the year 2022-23. This resulted in over statement of Property, Plant and Equipment by Rs. 81.82 crore and depreciation by Rs. 2.29 crore and understatement of Capital Work in Progress by Rs. 84.11 crore. Consequently, Profit for the year has also been understated by Rs. 2.29 crore.	It is to apprise that as per Ind AS-16, the assets should be capitalized in books of accounts, when an assets is ready for use. In accordance with the provision of Ind-AS-16, the work was completed on 31.08.2022 and the assets was ready for use on that date (Work Completion certificate enclosed). Further, as per our accounting policy "Transmission system assets are considered as ready for intended use on the date of commercial operation declared in terms of UERC tariff regulations and capitalized accordingly." Hence, the assets was completed and capitalized in accordance with Ind AS-16 and as per the policy of Corporation.
2.	Current Liabilities Short Term Provision (Note - 23) Provision against Capital Expenditure - Rs. 19.36 crore 1- The above does not include Rs. 58.72 lakh being the amount payable to supplier for supply of protection relays. The bill was raised by supplier on 29.03.2023 and supply was completed on 30.03.2023 as per Measurement Book. This resulted in understatement of Short Term Provision (Provision against Capital Expenditure) as well as Capital Work in Progress by Rs. 58.72 lakh, each.	Noted for compliance. Necessary Modification shall be made in the accounts for the F.Y. 2023-24. Position As on Date:- Provision of Capital Expenditure as pointed out by the CAG has already been made in Books of Account for the F.Y 2023-24 vide Voucher no. 2597 dated 09.06.2023. Liability against the price variation will be recognized in the books of accounts on approval of competent authorities/ Board.

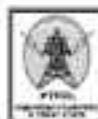


31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के खातों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के उत्तर।

पैरा ऑडिट	ऑडिट पैरा (AIR)	प्रबंधन का उत्तर
1.	सुलन पत्र गैर तात्कालिक परिसंपत्ति संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 2): रु. 1,610.71 करोड़ 1. उपरोक्त में बाराम में 220 कंवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की लागत रु. 84.11 करोड़ रुपये है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति नोट 1 (iv) (a) के अनुसार, "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग टैरिफ विनियमों के संदर्भ में घोषित वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर ट्रांसमिशन सिस्टम संपत्तियों को इच्छित उपयोग के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है"। उक्त सब-स्टेशन को 31 मार्च 2023 तक चालू नहीं किया गया था और वाणिज्यिक परिचालन में नहीं लाया गया था, लेकिन कंपनी की अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति का पालन करते हुए 31 अगस्त 2022 को इसका पूंजीकरण किया गया था। इसलिए, इसे पूंजीगत कार्य प्रगति पर माना जाना चाहिए था। इसके अलावा, रुपये का मूल्यहास, वर्ष 2022-23 के लिए लाभ और हानि के विवरण में पूंजीकृत संपत्तियों पर रु. 2.29 करोड़ का कुल भी लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्य रु. 81.82 करोड़ से अधिक बताया गया और मूल्यहास रु. 2.29 करोड़ और प्रगति में पूंजीगत कार्य को रु. 84.11 करोड़, से कम बताया गया। नतीजतन, वर्ष के लिए लाभ भी रु. 2.29 करोड़, से कम करके आंका गया है।	यह अवगत करना है कि Ind AS-16 के अनुसार, जब कोई संपत्ति उपयोग के लिए तैयार हो, तो संपत्ति को खातों की पुस्तकों में पूंजीकृत किया जाना चाहिए। Ind AS-16 के प्रावधान के अनुसार, कार्य 31.08.2022 को पूरा हो गया था और संपत्ति उस तिथि पर उपयोग के लिए तैयार थी (कार्य समापन प्रमाणपत्र संलग्न)। इसके अलावा, हमारी लेखांकन नीति के अनुसार "ट्रांसमिशन सिस्टम परिसंपत्तियों को यूईआरसी टैरिफ नियमों के अनुसार घोषित वाणिज्यिक संचालन की तिथि पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार माना जाता है और तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।" इसलिए, परिसंपत्तियों को इंडस्ट्रीज एएस-16 के अनुसार और निगम की नीति के अनुसार पूरा और पूंजीकृत किया गया था।
2.	वर्तमान देनदारियां अत्यावधि प्रावधान (नोट-23) पूंजीगत व्यय के विरुद्ध प्रावधान - रु. 19.36 करोड़ 1- उपरोक्त में रुपये 58.72 लाख शामिल नहीं हैं, जो सुरक्षा रिसे की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता को देय रहित है। आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल 29.03.2023 को जारी किया गया था और माप पुरिस्ताका के अनुसार आपूर्ति 30.03.2023 को पूरी की गई थी। इसके परिणामस्वरूप शॉर्ट को कम करके आंका गया। सावधि प्रावधान (पूंजीगत व्यय के विरुद्ध प्रावधान) के साथ-साथ पूंजीगत कार्य प्रगति पर रु. 58.72 लाख, प्रत्येक।	अनुपालन के लिए नोट किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खातों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। तिथि के अनुसार रिशति- सीएजी द्वारा बताए गए पूंजीगत व्यय का प्रावधान वास्तविक सख्या 2597 दिनांक 09.06.2023 के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों की पुस्तकों में पहले ही किया जा चुका है। सक्षम प्राधिकारियों/बोर्ड के अनुमोदन पर खातों की पुस्तकों में मूल्य गिनता के विरुद्ध दायित्व को मान्यता दी जाएगी।



Audit Para	Audit Para (AIR)	Management Reply
	2- The above does not include 36.52 crore being amount payable to the contractors for four projects towards Price Variation (for the works executed prior to 31.03.2023), as per the relevant clause of the terms and condition of contracts. The contractors had submitted the price variation bills which were duly verified and accepted by the concerned divisional authorities before the adoption of accounts by the Board of Directors on 27.06.2023. Since liabilities of price variation was known to the Company before approval of the accounts, provision for liability for the same should have been made in the accounts. This resulted in understatement of Short Term Provision (Provision against Capital Expenditure) by Rs. 36.52 crore, Capital Work In Progress by Rs. 27.90 crore, Property, Plant and Equipment by Rs. 8.18 crore and Depreciation by Rs. 44 lakh. Consequently, this also resulted in overstatement of Profit for the year by Rs. 44 lakh.	Accordingly, necessary provisions shall be made in the books of accounts in the relevant years. In this regard, accounting policy of PTCUL inter-alia states that 'Claims of the Price Variation in case of contracts are accounted for on acceptance of Bills and acceptance thereof by the Company as per the terms of contract'. The contractor has raised the bills after the close of Financial year 2022-23. Moreover the PV bills required to be verified in accordance with the terms of contract and IEEMA formula provided in the contract. Before making any provision of liability it is necessary to make reliable estimate of the obligation. If the amount cannot be estimated reliably, provision cannot be recognized. The liability on account of PV cannot be estimated without IEEMA formula as provided in the contract, hence provision is not made in the Financial year 2022-23.
3.	Provision against O&M Expenses – Rs. 10.39 crore 3- The above does not include Rs. 50.29 lakh being amount payable for salary of contractual employees and hiring of vehicles pertaining to the period from January to March 2023. However, no provision for liability of Rs. 50.29 lakh made in the books of accounts. This resulted in understatement of Short Term Provision (Provision against O&M Expenses) and Repair and Maintenance Expenses by Rs. 50.29 lakh, each. Consequently, Profit for the year has also been over stated by Rs. 50.29 lakh.	Noted for compliance. Necessary Modification shall be made in the accounts for the F.Y. 2023-24. Position As on Date:- Provision of Revenue Expenditure as pointed out by the CAG has already been made in Books of Account for the F.Y 2023-24.



पैरा ऑडिट	ऑडिट पैरा (AIR)	प्रबंधन का उत्तर
	2- उपरोक्त में अनुबंध के नियमों और शर्तों के प्रासंगिक खंड के अनुसार, मूल्य परिवर्तन (31.03.2023 से पहले निष्पादित कार्यों के लिए) के लिए चार परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों को देय 36.52 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। ठेकेदारों ने मूल्य भिन्नता बिल प्रस्तुत किए थे जिन्हें 27.06.2023 को निदेशक मंडल द्वारा खातों को अपनाने से पहले संबंधित प्रभागीय अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित और स्वीकार किया गया था। चूंकि कंपनी को खातों के अनुमोदन से पहले मूल्य भिन्नता की देनदारियों के बारे में पता था, इसलिए खातों में इसके लिए देनदारी का प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप शीट को कम करके आंका गया। सावधि प्रावधान (पूजीगत व्यय के विरुद्ध प्रावधान) रु. 36.52 करोड़ रुपये का है। पूजीगत कार्य रु. 27.90 करोड़ प्रगति पर है। संपत्ति संग्रह और उपकरण रु. 8.18 करोड़ और मूल्यहास रु. 44 लाख, नतीजतन, इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ को रु. 44 लाख से अधिक बताया गया।	तदनुसार, प्रासंगिक वर्षों में लेखा पुस्तकों में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। इस संबंध में, पिटकुल की लेखांकन नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि "अनुबंधों के मामले में मूल्य भिन्नता के दावों को बिलों की स्वीकृति और अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंपनी द्वारा उनकी स्वीकृति पर ध्यान में रखा जाता है।" ठेकेदार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति के बाद बिल जारी किए हैं। इसके अलावा पीवी बिलों को अनुबंध की शर्तों और अनुबंध में दिए गए IEEMA फॉर्मूले के अनुसार सत्यापित किया जाना आवश्यक है। दायित्व का कोई भी प्रावधान करने से पहले दायित्व का यह वसूली अनुमान लगाना आवश्यक है। यदि राशि का अनुमान वि वसूली रूप से नहीं लगाया जा सकता है, तो प्रावधान को मान्यता नहीं दी जा सकती है। पीवी के कारण देनदारों का अनुमान अनुबंध में दिए गए IEEMA फॉर्मूले के बिना नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रावधान नहीं किया गया है।
3.	ओ एंड एम व्यय के विरुद्ध प्रावधान - रु. 10.39 करोड़ 3- उपरोक्त में रुपये 50.29 लाख शामिल नहीं हैं, जो जनवरी से मार्च 2023 की अवधि के लिए सविदा कर्मचारियों के वेतन और वाहनों को किराये पर लेने के लिए देय राशि है। हालांकि, रुपये 50.29 लाख की देनदारी के लिए खातों की किताबों में कोई प्रावधान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक प्रावधान (ओ एंड एम व्यय के विरुद्ध प्रावधान) और मरम्मत और रखरखाव व्यय को रुपये 50.29 लाख, प्रत्येक से कम बताया गया। नतीजतन, वर्ष के लिए लाभ नी रुपये 50.29 लाख से अधिक बताया गया है।	अनुपातन के लिए नोट किया गया, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खातों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। आज की स्थिति- सीएजी द्वारा बताए गए राजस्व व्यय का प्रावधान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों की पुस्तकों में पहले ही किया जा चुका है।



SECRETARIAL AUDIT REPORT

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR- 1st April, 2022 to 31st March, 2023

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

**Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited,
Vidyut Bhawan, Near I.S.B.T Crossing, Saharanpur Road
Majra, Dehradun-248001, Uttarakhand.**

We have conducted the secretarial audit of compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited** (hereinafter called "the company") for the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2023. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, the explanations and clarifications given to us and the representation made by the Management, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period under consideration complied with the statutory provisions listed hereunder except as specified in this report and also that the Company has proper Board processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by company for the financial year ended on **31st March, 2023** according to the provisions of:

- i. The Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder;
- ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("**SCRA**") and the rules made thereunder; (**Not Applicable during the Audit period**)
- iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder; (**Not Applicable during the Audit period**);
- iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; (**Not Applicable during the Audit period**)
- v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("**SEBI Act**"): (**Not Applicable during the Audit period**)



सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

फॉर्म नंबर एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष के लिए— 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी के नियम संख्या 9 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार,

सेवा में,

शुद्धरय,

पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड,

विद्युत भवन, आईएसबीटी क्रॉसिंग के पास, सहारनपुर रोड

माजरा, देहरादून-248001

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के लिए पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से आयोजित किया गया था जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, मिनट बुक्स, प्रपत्रों और रिटर्नों के हमारे सत्यापन और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के आधार पर और कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने दिवाराधीन ऑडिट अवधि के दौरान इस रिपोर्ट में निर्दिष्ट को छोड़कर यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं हद तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन।

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए बहियों, कागजों, मिनट बुक्स, प्रपत्रों और रिटर्न दाखिल किए गए अन्य अभिलेखों की जांच की है।

- i. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियम;
- ii. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके तहत बनाए गए नियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
- iii. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
- iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक की सीमा तक उधार; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)
- v. प्रतिभूतियों के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश और भारतीय विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम"):-



- a. Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- b. Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- c. Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- d. Securities and exchange Board of India (Registrar to an issue and share transfer Agents) Regulations, 1993
- e. Securities and exchange Board of India (depositories and participants) regulations, 2018

and circulars/guidelines issued thereunder;

We report that, having regard to the Compliance system prevailing in the Company and on examination of relevant documents and records in pursuance thereof, on test-check basis, the Company has complied with the following laws applicable specifically to the Company:

- (a) The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952
- (b) The Employees State Insurance Act, 1948
- (c) Maternity Benefit Act, 1961
- (d) Payment of Gratuity Act, 1972
- (e) Equal Remuneration Act, 1976
- (f) Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

We further report that, based on the information provided and the representation made by the Company and also on the review of the internal compliance reports taken on record by the Board of Directors of the Company, in our opinion, adequate systems and processes exist in the Company to monitor and ensure compliance with provisions of applicable industry specific Acts, general laws like labour laws and environmental laws etc.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards with respect to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India and auditing standard for secretarial audit.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above and other applicable Acts subject to the observations as mentioned below:

1. **REGISTERS:** The Company is not in compliance with maintenance of proper Statutory Registers for the period under review as per following provisions of the Companies Act, 2013:-
 - (a) Register of Members u/s 88
 - (b) Register of Charges u/s 85
 - (c) Register of Directors and KMP u/s 170
 - (d) Other Registers as specified under the Companies Act, 2013.



- (a) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;
- (b) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- (c) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
- (d) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993
- (e) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018

और उसके तहत जारी परिपत्र/ दिशानिर्देश;

हम रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसरण में परीक्षण-जांच के आधार पर प्रासंगिक दस्तावेजों और रिकॉर्डों की जांच के बाद, कंपनी ने कंपनी पर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है: हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (a) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- (b) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- (c) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- (d) पेन्शनी भुगतान अधिनियम, 1972
- (e) रमान पारिश्रमिक अधिनियम, 1978
- (f) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, प्रदान की गई जानकारी और कंपनी द्वारा दिए गए अन्यावेदन के आधार पर और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर ली गई आंतरिक अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर, हमारी राय में, पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं मौजूद हैं। कंपनी लागू उद्योग विशिष्ट अधिनियमों, सामान्य कानूनों जैसे श्रम कानूनों और पर्यावरण कानूनों आदि के प्रावधानों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानकों के लागू खंडों और सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानक के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों और नीचे उल्लिखित टिप्पणियों के अधीन अन्य लागू अधिनियमों का अनुपालन किया है-

1. रजिस्ट्रार: कंपनी अधिनियम, 2013 के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी उचित वैधानिक रजिस्ट्रारों के रखरखाव का अनुपालन नहीं कर रही है: -
 - (a) धारा 88 के तहत सदस्यों का रजिस्ट्रार
 - (b) धारा 85 के तहत आरोपों का रजिस्ट्रार
 - (c) धारा 170 के तहत निदेशकों और केएमपी का रजिस्ट्रार
 - (d) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट अन्य रजिस्ट्रार।



This is to bring to kind notice of the management that the contravention of provisions of above sections of Companies Act, 2013 is punishable under section 86 and 88(5) of the Act. There is provision for penalty on Company up to Rupees Five Lacs (Rs.5,00,000/-) and every officer who is in default shall be liable to a penalty of Fifty thousand rupees. (Rs. 50,000)

2. **SHARE CERTIFICATE:** During the period under review, the Company has issued 2,00,000 Equity shares of Rs. 1,000/- each on 22 July, 2022 and 2,63,300 of Rs. 1,000/- each on 26 December, 2022 Equity shares to the Governor of Uttarakhand; but the share Certificates were not issued for the said allotments. This is not in compliance with the provisions of section 48 of the Companies Act, 2013 read with rule 5 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014.
3. **Meetings and Minutes:** As per information provided by the management, the Company is regular in holding the meetings and preparation of Minutes thereof, but during our audit we have been provided only soft copy of the Minutes. Originally signed Minutes were not provided to us.

Further, in the Board meeting held on 13th October, 2022 the Board has re-constituted the Nomination and Remuneration Committee (NRC) in terms of section 178 of the Companies Act, 2013. But during the period under review no any Nomination and Remuneration Committee Meeting were held, as informed by the management of the Company. It is hereby suggested that any change in the Committee shall also be recorded in the properly conducted Nomination and Remuneration Committee Meeting and the Company should regularly hold such committee meeting.

4. **Corporate Social Responsibility:** The Company is in default in complying with the provisions of Section 135 (6) of the Companies Act, 2013; as per the said section

"Any amount remaining unspent under sub-section (5), pursuant to any ongoing project, fulfilling such conditions as may be prescribed, undertaken by a Company in pursuance to of it's Corporate Social Responsibility Policy, shall be transferred by the Company within a period of 30 days from the end of the Financial Year to a special account to be opened by the Company in that behalf for the financial year in any scheduled bank to be called the Unspent Corporate Social Responsibility Account and such amount shall be spent by the Company in pursuance to its obligation towards the Corporate Social Responsibility Policy within a period of three financial years from the date of such transfer; failing which the Company shall transfer the same to a fund specified in Schedule- VII within a period of thirty days from the date of completion of third financial year"

During the financial year 2022-23 we found that the Company has Rs.327.68 Lacs balance in CSR fund, out of which Rs. 169.65 Lacs were the provision made in financial year 2021- 22 under section 135 of the Act for expenditure during the year and remaining balance of Rs. 158.03 Lacs was an unspent balance amount along with interest of financial year 2020- 21. As per the above proviso of Section 135(6) of the Companies Act, 2013 the unspent balance of any financial year is to be deposited in a separate bank account called Unspent Corporate Social Responsibility Account and shall be spent within a period of three financial years from the date of such transfer.



यह प्रबंधन को सूचित करने के लिए है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की उपरोक्त धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन अधिनियम की धारा 86 और 88(5) के तहत दंडनीय है। कंपनी पर पांच लाख रुपये (5,00,000/- रुपये) तक के जुर्माने का प्रावधान है और चुक करने वाला प्रत्येक अधिकारी पचास हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। (रु. 50,000)

2. शेयर प्रमाणपत्र: समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने 22 जुलाई, 2022 को 1,000/- प्रत्येक रुपये के 2,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए हैं। और 26 दिसंबर, 2022 को 1,000/- प्रत्येक रुपये के 2,63,300 इक्विटी शेयर उत्तराखण्ड के राज्यपाल को; लेकिन उक्त आवंटन के लिए शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे। यह कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है।

3. बैठकें और कार्यवृत्त: प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कंपनी नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती है और उनके कार्यवृत्त तैयार करती है, लेकिन हमारे ऑडिट के दौरान हमें केवल कार्यवृत्त की सॉफ्ट कॉपी प्रदान की गई है। मूल रूप से हस्ताक्षरित कार्यवृत्त हमें उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसके अलावा, 13 अक्टूबर, 2022 को हुई बोर्ड बैठक में बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के संदर्भ में नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का फिर से गठन किया है, लेकिन समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं है। कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बैठक आयोजित की गई। इसके द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि समिति में किसी भी बदलाव को उचित रूप से आयोजित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में भी दर्ज किया जाएगा और कंपनी को नियमित रूप से ऐसी समिति की बैठक आयोजित करनी चाहिए।

4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (6) के प्रावधानों का अनुपालन करने में कंपनी चूक कर रही है; उक्त धारा के अनुसार

"उप-धारा (5) के तहत किसी भी चल रही परियोजना के अनुसार, निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए, किसी कंपनी द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति के अनुसरण में खर्च की गई कोई भी राशि, कंपनी द्वारा एक अवधि के भीतर हस्तांतरित की जाएगी वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों के अंतराल में कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक में एक विशेष खाता खोला जाएगा जिसे अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता कहा जाएगा और ऐसी राशि कंपनी द्वारा खर्च की जाएगी ऐसे हस्तांतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के प्रति अपने दायित्व का पालन करना, ऐसा न करने पर कंपनी इसे तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची-VII में तीसरा वित्तीय वर्ष पूरा होने पर निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर देगी।"

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हमने पाया कि कंपनी के पारा सीएसआर में 327.68 लाख रुपये शेष हैं, जिसमें से वर्ष के दौरान व्यय के लिए अधिनियम की धारा 135 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 169.65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था और शेष राशि 158.03 लाख रुपये थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के ब्याज सहित एक अव्ययित शेष राशि थी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष की अव्ययित शेष राशि को एक अलग बैंक खाते में जमा किया जाना है। अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता कहा जाता है और इसे ऐसे हस्तांतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर खर्च किया जाएगा।



As the Company has not transferred the said unspent balance amount in any separate account, it must be transferred to a fund specified in Schedule-VII of the Act within a period of 30 days from the date of end of financial year.

In view of the above stated details and as per information and records examined by us the Company is in default under section 135(6) of the Companies Act, 2013 on the following grounds:

- a) The Company has not opened any separate account of Unspent Corporate Social Responsibility Account and no unspent balance were deposited.*
- b) In a case where separate account was not opened the unspent balance should have been deposited in funds specified in Schedule-VII of the Act ie PM Care Fund, which was not deposited within specified time.*
- c) Board Report of the Company for financial year 2021-22 did not disclose the reason for such default/delay.*

Further, we also wish to bring kind notice of the management of the Company that in case of default in complying with the provisions of section 135(5) or 135(6) of the Act, the Company shall be liable to a penalty of twice the amount required to be transferred by the Company to fund specified in Schedule-VII or the Unspent Corporate Social Responsibility Account, as the case may be, or one crore rupees, whichever is less and every officer of the Company who is in default shall be liable to an amount one tenth of the amount required to be transferred by the Company to such fund specified in Schedule-VII or the Unspent Corporate Social Responsibility Account as the case may be, or two lakh rupees whichever is less.

- 5. Others:** *We also further found during audit that some of the e-forms as applicable to the Company under the provisions of Companies Act, 2013 are being filed delayed and additional fee are being paid for the same. This is to inform herewith that the delayed form filing, may require to go for condonation of delay under section 460(b) of the Companies Act, 2013, wherein the Central Government may for the reason to be recorded in writing may condone the delay.*

During the audit period, based on the information provided and the representation made by the Company, there were no major events which had bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines etc.

We further report that, the compliance by the Company of applicable financial laws like direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books of accounts has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory auditor and other designated professionals.

We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-executive Directors, Independent Directors and Woman Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.



चूंकि कंपनी ने उक्त अव्ययित शेष राशि को किसी अलग खाते में स्थानांतरित नहीं किया है, इसलिए इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची-VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त विवरण के मद्देनजर और हमारे द्वारा जांच की गई जानकारी और रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी निम्नलिखित आधारों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के तहत डिफॉल्ट है:

- कंपनी ने अव्ययित कॉर्पोरेट का कोई अलग खाता नहीं खोला है सामाजिक उत्तरदायित्व खाता और कोई अव्ययित शेष राशि जमा नहीं की गई।
- ऐसे मामले में जहां अलग खाता नहीं खोला गया था, अव्ययित शेष राशि होनी चाहिए, अधिनियम की अनुसूची-सातवीं यानी पीएम केयर में निर्दिष्ट निधियों में जमा किए गए हैं, निधि, जो निर्दिष्ट समय के भीतर जमा नहीं की गई थी।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट ने ऐसे डिफॉल्ट/विलंब का कारण इसका खुलासा नहीं किया।

इसके अलावा, हम कंपनी के प्रबंधन को यह भी सूचित करना चाहते हैं कि अधिनियम की धारा 135(5) या 135(6) के प्रावधानों के अनुपालन में चूक के मामले में, कंपनी दोगुने जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगी। कंपनी द्वारा अनुसूची-VII या अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि, जैसा भी मामला हो, या एक करोड़ रुपये, जो भी कम हो और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूककर्ता है। कंपनी द्वारा अनुसूची-VII में निर्दिष्ट ऐसे फंड या अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते में, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि का दसवां हिस्सा या दो लाख रुपये, जो भी कम हो, के लिए उत्तरदायी होगा।

5. अन्य: हमने ऑडिट के दौरान यह भी पाया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत कंपनी पर लागू कुछ ई-फॉर्म देरी से दाखिल किए जा रहे हैं और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ यह सूचित किया जाता है कि फॉर्म दाखिल करने में देरी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 460 (बी) के तहत देरी को माफ करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें केंद्र सरकार लिखित रूप में दर्ज किए गए कारण के आधार पर देरी को माफ कर सकती है।

ऑडिट अवधि के दौरान, प्रदान की गई जानकारी और कंपनी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर, कोई बड़ी घटना नहीं हुई जिसका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर असर पड़ा।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों के रखरखाव की इस ऑडिट में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक लेखा परीक्षक और अन्य नानित द्वारा समीक्षा के अधीन है। पेशेवर,

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।



Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings; agenda and detailed notes on agenda were sent within prescribed time, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions at the Board Meetings and Committee Meetings were carried out with requisite majority as recorded in the minutes of the Meetings of the Board of Directors or Committee(s) of the Board as the case may be.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

**For Pranav Kumar & Associates,
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P2005BI010400**

**Date: 17/07/2023
Place: Dehradun**

**(Anjan Kumar)
Partner
ACS-24267: COP-24688
UDIN: A024267E000622161**

Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure-A and forms an integral part of this report.



बोर्ड बैठकों निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है; एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट निर्धारित समय के भीतर भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत के साथ किए गए, जैसा कि मामला हो, निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति (समितियों) की बैठकों के मिनटों में दर्ज किया गया हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं।

प्रणव कुमार एवं एसोसिएट्स के लिए,
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिट कोड: P2005BI010400

दिनांक: 17 / 07 / 2023
स्थान: देहरादून

(अंजन कुमार)
पार्टनर
एसीएस-24267: सीओपी-24688
UDIN: A024267E000622161

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे तदु दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुलग्नक-A के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।



Annexure-A

To,
The Members,
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited
Vidyut Bhawan, Near I.S.B.T crossing
Saharanpur Road, Majra, Dehradun-248001
Uttarakhand

Our report of even date is to be read along with this letter:

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For Pranav Kumar & Associates,
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P2005BI010400

Date: 17/07/2023
Place: Dehradun

(Anjan Kumar)
Partner
ACS-24267: COP-24688
UDIN: A024267E000622161

सेवा में,
सदस्य,
पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
विद्युत भवन, आई.एस.बी.टी घौराहे के पास
सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248001
उत्तराखण्ड

तद् दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का एड्रसखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आवासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आवासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आवासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

प्रणव कुमार एवं एसोसिएट्स के लिए,
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिड कोड: P2005BI010400

दिनांक: 17/07/2023
स्थान: देहरादून

(अंजन कुमार)
पार्टनर
एसीएस-24267: सीओपी-24688
UDIN: A024267E000622161